CONTENTS

Fifteenth Series, Vol.III, Second Session, 2009/1931 (Saka)
No.12, Friday, July 17, 2009/ Asadha 26, 1931 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
* Starred Question Nos. 201 to 204	3-43
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 205-220	44-107
Unstarred Question Nos. 1801-1987	108-523

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE	524-534
BUSINESS OF THE HOUSE	535-537
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE	
Need to check pollution in rivers and lakes in the country	
Yogi Aditya Nath	539 547-550
Shri Jairam Ramesh	539-546 550-552
MOTION RE: THIRD REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE	553
SUBMISSION BY MEMBERS	
(i) RE : Talks between the Prime Minister of India and Pakistan	555-556
(ii) RE : Need to provide Central assistance to the people affected by heavy rain and landslides in Northern districts of Kerala	557-559
DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL), 2009-2010	566-599
Ministry of Agriculture and Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution	
Shri Rajnath Singh	569-585
Shri Jagdambika Pal	587-592 597-599
STATEMENT BY PRIME MINISTER	
Recent visits to Italy, France and Egypt	
Dr. Manmohan Singh	593-596
PRIVATE MEMBERS' BILLS - INTRODUCED	600-603
(i) Ban on Cow Slaughter Bill, 2009	
By Yogi Adityanath	600
(ii) Constitution (Amendment) Bill, 2009 (Omission of article 44 etc.)	
By Yogi Adityanath	600

(iii) Freedom Fighters and their Families (Welfare) Bill, 2009

By Shri Jai Prakash Agarwal 601

(iv) Compulsory Voting Bill, 2009

By Shri Jai Prakash Agarwal 601

(v) Free and Compulsory Education Bill, 2009

By Shri Jai Prakash Agarwal 602

(vi) Destitute Women and Widows Welfare Bill, 2009

By Shri Jai Prakash Agarwal 602

(vii) Agricultural Workers (Employment, Conditions of Service and Welfare) Bill, 2009

By Shri Adhir Chowdhary 603

(viii) Prevention of Female Infanticide Bill, 2009

By Shri Adhir Chowdhary 603

UNDERDEVELOPED AND BACKWARD AREAS AND REGIONS (SPECIAL PROVISIONS FOR ACCELERATED DEVELOPMENT) BILL, 2009 604-656

Motion to Consider 604-616

Shri Baijayant Panda 604-616

Shri Hukamdeo Narayan Yadav 617-622

Dr. Vinay Kumar Pandey 623-627

Shri Prem Das Rai 628-630

Shri Bhakta Charan Das 631-635

Shri Pinaki Misra 636-640

Choudhary Lal Singh 641-644

Shri B. Mahtab 645-656

ANNEXURE –I

Member-wise Index to Starred Questions 662

Member-wise Index to Unstarred Questions 663-665

ANNEXURE-II

Ministry-wise Index to Starred Questions 666

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 667

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Franciso Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Shri Beni Prasad Verma

Dr. Girija Vyas

SECRETARY GENERAL

Shri P.D.T. Achary

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, July 17, 2009/ Asadha 26, 1931 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHRAMPUR): Madam Speaker, I would like to raise an important matter regarding West Bengal. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Shri Chowdhury, we will take it up during the Zero Hour. Please let the Question Hour continue.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: All these will not go on record.

(Interruptions) ... *

MADAM SPEAKER: Shri Chowdhury, you do it in the Zero Hour.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: All right. Shri Chowdhury, please sit down. Let the Question Hour continue.

… (*Interruptions*)

---

* Not recorded

(Q. No. 201)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : अध्यक्ष महोदया, देश में बिजली की मांग दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है। केन्द्र और राज्य सरकारें उस मांग को पूरा करने में असफल रही हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पन बिजली परियोजनाओं के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों में बिजली प्रदान कराने के लिए अपना सहयोग दिया है। लगभग 6500 मेगावाट बिजली का उत्पादन पन बिजली परियोजनाओं के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में होता है। सन् 2012 तक हमारे राज्य में पन बिजली परियोजनाओं द्वारा 10,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता हो जाएगी। मैंने अपने लिखित प्रश्न में मंत्री जी से पूछा था कि क्या हिमाचल प्रदेश सरकार से आपके यहां कोई ऐसी रिकवेस्ट पेंडिंग है, जिसमें प्रदेश सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में विदेशी सहायता के लिए आवेदन किया हो। उसके जवाब में मंत्री जी ने 'न' लिखा है। हमने 500 मेगावाट बिजली के उत्पादन के लिए हिमाचल प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन के माध्यम से 2100 करोड़ रुपए की विदेशी सहायता के लिए आवेदन किया था। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन लिमिटेड की ओर जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उनके माध्यम से जो बिजली पैदा होगी...(व्यवधान) एचपी पावर कार्पोरेशन के माध्यम से हम लोग ट्रांसमिशन के लिए आने वाले समय में जो उत्पादन होगा, उसे सही समय के अंदर दे सकें, उसके लिए लगभग 4500 करोड़ रुपए का और खर्च आएगा। ये दो डिमांड्स हमारी आपके पास पेंडिंग्स हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें स्वीकृति दे दी गई है, यदि नहीं दी गई तो कब तक दे दी जाएगी, ताकि देश में जो बिजली की कमी है, उसे दूर किया जा सके?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Madam Speaker, the hon. Member is correct when he says that there is a big gap between the demand, the requirement and the availability of power. There are no two opinions about it. It is equally a fact that in the past five-year plan period, we have not been able to achieve the target which we, ourselves, fixed for the generation from different sources, hydel, thermal and host of other sources.

But the limited question is that whether any proposal from the Government of Himachal Pradesh is pending with the Ministry. So far as my Ministry is concerned, the Ministry of Finance, the Department of Economic Affairs, which deals with the external assistance, no proposal is pending. That I have stated.

Secondly, in respect of proposals, we receive various proposals for the power development, like hydel power development and thermal power development. Various multilateral projects, we do through multilateral agencies, through bilateral donors and aid givers.

So far as the multilateral projects are concerned, it is mainly through the two institutions – ADB and World Bank. The World Bank has two components – IBRD and IDA. We expose our proposals, which we receive from the State Governments, and after they sanction those projects, those are being implemented. There is a detailed mechanism for that.

Similarly, we have received certain projects. We have exposed them to the various developmental agencies- ADB and the World Bank and some projects for bilateral assistance from Japan which I have mentioned in reply to the question. It is mentioned in the statement that Japan has a system of rolling plan and seven such projects which have been exposed to Japan have been listed in the statement. Therefore, these issues are being addressed. If the hon. Members are interested to have the number of projects which have been exposed to international agencies – bilateral and multilateral – I can give the detail.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से इतना ही पूछना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश ने, एक्सटर्नल फंडिंग के लिए, जो रिक्वैस्ट भेजी थी, अगर वह पैंडिंग नहीं है तो क्या उसे रिजैक्ट कर दिया गया है या अप्रूव्ड कर दिया गया है?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Madam, I would just like to clarify. I want to help the hon. Member to put the question properly.

Whenever we receive the projects, we expose it to the agencies either the World Bank or the Asian Development Bank or bilateral aid givers like USA, UK, Japan and Germany. Then, in consultation with their team, the projects are being examined at various stages starting from the pre-feasibility to the preparation of the detailed project reports. Therefore, whenever a project comes, we pose it to the agencies from which the State Government is interested to borrow money and

thereafter the process starts. Therefore, it is not the question of approving or rejecting by us.

SHRI P.C. CHACKO : Madam, the hon. Minister has explained the *modus operandi* as to how the external assistance proposals are being cleared by the Government of India. But, Madam, I must say that in spite of this, certain proposals are escaping the attention of the Ministry of Finance. One such case is the collaboration entered into the Kerala Government by the Canadian Company `Lavalyin'.

Madam, this turned out to be a very big scandal which is rocking the State of Kerala in which some prominent political personalities are involved. If this agreement was without the Government of India's clearance, what action is taken on this matter?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Madam, this is a question to a specific project related to a particular State. The main question is of a general nature. Therefore, if the hon. Member wants to ascertain the full particulars, he will have to give a separate notice to me. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: I have called Dr. Ram Chandra Dome.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: The hon. Minister has already replied.

… (*Interruptions*)

SHRI P.C. CHACKO : Madam, this question is not only about Himachal Pradesh but also about other States also. So, it is relevant to the question. … (*Interruptions*)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: You put a specific question to me. … (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: You give a notice.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please address the Chair and do not talk in between.

… (*Interruptions*)

DR. RAM CHANDRA DOME : Madam, a list of seven power projects is given in the statement of the hon. Minister. In this list of seven, two projects are from West Bengal and one project, particularly, belongs to my district Birbhum.

Madam, I categorically want to know about Bakreshwar Thermal Power Project Extension-IV which is of 500 MW. I would like to know whether the final clearance has been made and in what stage this project lies at present. I want to know from the hon. Minister about this project.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I have stated in the Statement itself that of the seven Projects which are being considered by the donors, Bakreshwar Thermal Power Project-IV is one such Project.

MADAM SPEAKER: Q. 202. Shri M. Sreenivasulu Reddy – not present.

Shri K.C. Singh 'Baba'.

(Q. No. 202)

श्री के.सी.सिंह 'बाबा' : अध्यक्ष महोदया, सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतर गांवों में जनसंख्या 250 से भी कम होती है जो एक और आधे कि.मी. के अंदर ही है। क्या सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में 250 जनसंख्या से कम वाले मानदंड को प्राथमिकता देने की सोच रही है?

डॉ. सी.पी.जोशी: महोदया, हिली एरिया में पाथवे के 1.5 कि.मी.के क्लस्टर को आधार मानकर हेबीटेशन को जोड़ा जाता है। इसलिए माननीय सदस्य ने जो बात कही है, वह इसके साथ इंकॉरपोरेट नहीं होती है।

श्री के.सी.सिंह 'बाबा' : अध्यक्ष महोदया, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए आबंटित धनराशि को यदि राज्य द्वारा उसी वित्त वर्ष में खर्च नहीं किया जाता है तो क्या वह धनराशि अगले वित्त वर्ष में की जाने वाली आबंटित धनराशि के साथ जमा होती है?

डॉ. सी.पी.जोशी: महोदया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसे वर्ष 2000 में यह सोचकर प्रारम्भ किया गया था कि वर्ष 2003 के अंत तक हम 1000 की पोपुलेशन को कम्पलीट कर देंगे और दसवें प्लान के अंत तक 500 जनसंख्या को पूरा कर देंगे और हिली तथा एसटी एरिया में 250 जनसंख्या को पूरा कर देंगे। इसलिए जब राज्य द्वारा पैसा उपयोग नहीं किया जाता है तो अगली बार टार्गेट में इसे जोड़कर देखा जाता है। तब उस साल उस पैसे को उनको उपयोग करने के लिए नहीं दिया जाता।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी योजना है लेकिन 'नरेगा' के तहत जो ग्रेवल रोड बन रही है, वह भी एक बहुत अच्छा काम गांवों में हो रहा है लेकिन जब तक उसका डामरीकरण नहीं होगा तब तक उसका पूरा उपयोग नहीं होगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि 'नरेगा' के तहत जो ग्रेवल रोड बन रही है, क्या उसके डामरीकरण करने का कोई प्लान पीएमजीएसवाई में है?

डॉ. सी.पी.जोशी: महोदया, 'नरेगा' योजना और पीएमजीएसवाई योजना दोनों अलग-अलग योजनाएं हैं। 'नरेगा' योजना में प्रथम शैड्यूल के अन्तर्गत यह बताया गया है कि कौन कौन से काम कर सकते हैं। अभी कंवर्जेन्स करने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जब कंवर्जेन्स के बारे में विभाग से चर्चा कर लेंगे तब यदि उस रोड के साथ नरेगा की कंडीशन अगर फुलफिल होती है और विभाग भी इस बात से सहमत होगा कि इसके साथ इसे जोड़ा जा सकता है तो उस बारे में चर्चा करके निर्णय करेंगे।

श्री धर्मेन्द्र यादव : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह सच है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और यह भी सच है कि इस

योजना के माध्यम से ग्रामीण भारत को जोड़ने का एक बहुत बड़ा काम हुआ है। लेकिन आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि मैदानी इलाकों में अभी आपने 500 जनसंख्या का मानदंड रखा है और अधिकांश मैदानी जनपदों में 500 जनसंख्या का टार्गेट कई जगह पूरा भी हो रहा है। क्या इस योजना को आगे बढ़ाते हुए मैदानी इलाके में चाहे वह कम जनसंख्या हो, चाहे 250 हो या उससे और कम हो, क्या उनको भी इस योजना के अन्तर्गत लाने का काम करेंगे?

डॉ. सी.पी. जोशी: माननीय अध्यक्ष महोदया, हमने भारत निर्माण के अंतर्गत लक्ष्य रक्षा था कि 1,000 जनसंख्या वाले 38447 गांव जोड़ेंगे। इस टार्गेट में केवल 22437 गांव ही जुड़ पाए हैं। सबसे तकलीफ की बात है कि जिन स्टेट्स में जितना टार्गेट दिया गया था वे पूरा नहीं कर पाए। 1000 जनसंख्या वाले गांव भी नहीं जुड़ पाए हैं जबकि हमने भारत निर्माण योजना के अंतर्गत 500 जनसंख्या वाले 16201 गांवों को जोड़ने का लक्ष्य रखा था लेकिन 9487 गांव जुड़े हैं। 1000 जनसंख्या वाले इतने गांव बाकी हैं इसलिए उन स्टेट्स को प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। इस योजना में कोर नेटवर्क, थ्रू रोड, लिंक रोड जोड़ने का भी काम है, जिन स्टेट्स ने 1000 वाला लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, यदि वे अपना प्रस्ताव भेजेंगे तो उसके बारे में सोचा जाएगा।

SHRI B. MAHTAB : Madam, this relates to the answer for the question. In part (f) of the question, it was asked about the corrective steps that the Government is going to take and while answering to that question relating to the implementation of the programme, it is stated that the implementation of the programme is being monitored through monthly reports, periodical review, meetings and field visits of officers.

It is reported that the Centre spends around 0.5 per cent or even less on monitoring. So, how does it spend the remaining 99.5 per cent of the national Budget whereas in the case of international projects, the spending on monitoring is anywhere between 8 and 10 per cent of the project cost? Is it true that the Ministry of Rural Development, which has a budget of Rs. 62, 707 crore this year, has its Secretariat's Budget of only Rs. 21.55 crore which is 0.03 per cent out of which even smaller portion will be spent on monitoring the PMGSY? The C&AG has also stated that Rs. 51,259 crore has been spent, but little is known as to what happened to that money and the Government expenditure is "overstated" in 2007-

08. My question is whether the Government is going to put in more funds to see proper monitoring of the projects relating to PMGSY is done.

DR. C.P. JOSHI: Madam, what he has stated is about the international practice that is prevailing. I have already stated as to what is the provision in PMGSY. I can assure the hon. Member that if we require more money, we will be able to give direction and give more funds for monitoring.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Madam, PMGSY is a very important project. This programme was started to connect habitations with a population of 1,000 and in tribal areas, habitations with a population of 500. So far, even 50 per cent of the target has not been achieved. After construction of the road under PMGSY, the problem is the maintenance of the road and after construction of the road, traffic also increases. With the increase of traffic, there is a need for strengthening and widening of the road. I would like to know whether the Government is considering the proposal for maintenance, strengthening and widening of the roads which were constructed under PMGSY.

DR. C.P. JOSHI: Madam, I am very happy that the hon. Member is so concerned about this. But the fact remains that the target given for the State of West Bengal was 6,954 villages and till today they have completed only 3,679 villages. They already have a backlog. As a Member if he is so concerned about this, then he should take this matter up with the State Government… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please sit down. Let the hon. Minister reply

… (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Madam, he has not replied to my question… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Only the statement of hon. Minister will go on record.

(Interruptions) … *

---

* Not recorded

DR. C.P. JOSHI: He was a Chairperson of the Committee also… (*Interruptions*) The hon. Member should be aware of all these things… (*Interruptions*)

(Q. No. 203)

श्री अनंत कुमार हेगड़े : माननीय अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2008-2009 में 8600 मिलियन यूनिट्स यानी 11.9 परसैन्ट बिजली की कमी थी। मेरी जानकारी के अनुसार पिछले पांच सालों से यह लगातार होता आ रहा है। आंकड़ों में थोड़ा आगे-पीछे हो सकता है। सरकार अपना टारगेट रखती है, लेकिन बाद में उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाती है। पता नहीं किस आधार पर और किस तर्क पर टारगेट रखा जाता है और बाद में उस तक पहुंच नहीं पाती है। यह भी एक अजीब सी चर्चा का विषय बन सकता है।

महोदया, मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने बिजली उत्पादन की नई योजनाओं के अलावा एग्जिस्टिंग यूनिट्स में अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने का या डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन लॉस को कम करके इंटरनेशनल लैवल पर लाने का या एग्जिस्टिंग प्राइवेट कैप्टिव पावर प्लान्ट्स की तत्कालीन क्षमता को बढ़ाकर वहां से बिजली खरीदने का कोई विचार किया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

श्री सुशीलकुमार शिंदे : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने इतने प्रश्न पूछे हैं कि उन्हें एक्सप्लेन करने में मुझे कम से कम आधा घंटा लगेगा।...(व्यवधान)

SHRI ANANT KUMAR HEGDE : Let there be a debate on this!

अध्यक्ष महोदया : उसके लिए आप नोटिस दे दीजिएगा।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please ask one question at a time.

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदया, इस मिनिस्ट्री पर सदन में डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में चर्चा होनी है, उस समय जितना चाहें बोल सकते हैं।

श्री सुशीलकुमार शिंदे : लेकिन इन्होंने इसमें बहुत सारे क्वैश्चंस पूछे हैं। इसमें मेन क्वैश्चन यह है कि जनरेशन कम क्यों हैं और टारगेट ज्यादा क्यों रहता है, जिसके बारे में मैं बता देता हूं। सदन में पावर मिनिस्ट्री डिमांड फॉर ग्रांट में चर्चा के लिए आ रही है, उस वक्त हम आपको ज्यादा डिटेल में बतायेंगे। आज मैं इतना ही बताऊंगा कि पिछले आठवें, नौवें और दसवें प्लान में हमने सदन को बार-बार बताया है कि 56 हजार मेगावाट टोटल कैपेसिटी एडीशन हो गया है और इस वक्त भी देखा जाए तो 11वीं योजना में हमने 78700 मेगावाट का जनरेशन कैपेसिटी का टारगेट रखा है। यदि इतना बड़ा टारगेट रखेंगे तभी हम 60 या 65 हजार मेगावाट तक पहुंच सकेंगे, क्योंकि इसमें स्लीपेजिज बहुत होते हैं, गैस की वजह से स्लीपेज होता है, कोल की वजह से स्लीपेज होता है, नैचुरल कैलामिटीज और बारिश न होने के कारणों से

टारगेट बड़ा रखना पड़ता है, तभी हम उसमें ज्यादा से ज्यादा मॉनिटररिंग करके उस टारगेट तक पहुंचने का प्रयास करते हैं।

श्री अनंत कुमार हेगड़े : मैडम, इसका मतलब यह है कि टारगेट तो रखते हैं, लेकिन हर साल हम उस टारगेट पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। यह बिल्कुल हकीकत है, अभी मंत्री जी ने इसे मान लिया है।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि कर्नाटक राज्य में वर्ष 2008-2009 में .06 प्रतिशत की डिमांड और सप्लाई में कमी थी। यानी 2590 मिलियन यूनिट्स की कमी थी। आज यह बढ़कर 18.5 परसैन्ट तक पहुंच रही है। ये मेरे नहीं, सरकार के ही आंकड़े हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार के पास एडिशनल पावर सप्लाई के लिए कोई डिमांड रखी है, यदि हां तो इसकी पूर्ति कैसे की जायेगी और कब तक की जायेगी, इसका ब्यौरा सरकार दे?

श्री सुशीलकुमार शिंदे : हम बार-बार कह रहे हैं कि यह कन्करेन्ट लिस्ट का सब्जैक्ट है। जब तक राज्य सरकारें बिजली निर्माण का काम नहीं करती हैं, तब तक बिजली का संकट हमारे देश में रहने वाला है। लेकिन राज्य सरकारें ऐसा समझ रही हैं कि यह सब भारत सरकार को करना है। हमारे लिये यह सौभाग्य की बात है कि हमारे यहां एन.टी.पी.सी. और एन.एच.पी.सी. जैसे कॉरपोरेशन्स बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। यह मूलतः राज्यों का काम है फिर भी केन्द्र बिजली का उत्पादन करता है और बिजली देता है, संकट के वक्त हम भी बिजली देने की व्यवस्था करते हैं। हम कर्नाटक सरकार से बार-बार कह रहे हैं कि वह बिजली के उत्पादन का काम करे। मैं इस संबंध में इलैक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 के सैक्शन-11 का जिक्र करूंगा जिसका उपयोग इमरजैंसी में हो सकता है लेकिन यह कहें कि स्टेट की बिजली बाहर न जाये, ऐसा उपबंध हो, यह गलत बात है। देश में बहुत जगह बिजली कम है तो केन्द्र के पास सैंट्रल स्टेशन है जिनसे हम राज्यों को बिजली देते हैं। अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य को सैक्शन-11 के बारे में बता रहा हूं कि इसका इस्तेमाल हम लोग इमरजैंसी में कर सकते हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि अगर अलमाटी डैम के पास कुडगी अल्ट्रा मेगा प्रोजैक्ट स्टेट बनाना चाहते हैं, लेकिन प्रोजैक्ट साइट उपयुक्त नहीं पाया गया । इसलिये मैं सदन में आपके माध्यम से विनती करूंगा कि माननीय सदस्य राज्य में बिजली उत्पादन के लिये प्रयास करें, जिसके लिये भारत सरकार लोन दिलवाने में पूरी सहायता करेगी ताकि देश में ज्यादा से ज्यादा बिजली का उत्पादन हो।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : माननीया अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से आंकड़े दिये हैं। आज स्वयं ही उन्होंने कह दिया है कि पॉवर मिनिस्ट्री की डिमांड्स पर इस संबंध में चर्चा होनी चाहिये। मगर ये आंकड़े अपने आप में कुछ दूसरी ही कहानी कह रहे हैं। अगर आप इन्हें गौर से देखेगें तो मालूम होगा कि अगर सिक्किम के बिजली उत्पादन के आंकडें छोड़ दिये जायें जिसके कारण कमी का प्रतिशत घट जाता है, पर वहां कितनी प्रतिशत बिजली का उत्पादन होता है, वह केवल 400 मिलियन यूनिट्स हैं। इससे काम नहीं चलता है। आंकड़े साफ होने चाहिये।

अध्यक्ष महोदया, पिछली बार सरकार ने 9.1 प्रतिशत टारगेट रखा था जो केवल 2 प्रतिशत तक ही पूरा हो पाया। इसलिये अगर आप कहते हैं कि आप टारगैट बहुत रखते हैं, उसके बाद पूरा करने की कोशिश करते हैं तो पिछली बार का टारगेट 9.1 प्रतिशत था तो केवल 2 या ढाई प्रतिशत तक ही पूरा हो पाया। यह कहानी बिलकुल दूसरी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और और वित्त मंत्री जी ने बार बार कहा है कि ग्रोथ 9 प्रतिशत रखनी है जिसमें इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल ग्रोथ बहुत जरूरी है। बिजली के अभाव में न तो कृषि हो सकती है और न ही इंडस्ट्री चल सकती है। ग्रोथ 9 प्रतिशत टारगेट की थ्योरी की सीधी जिम्मेदारी ऊर्जा मंत्रालय पर आयेगी क्योंकि ग्रोथ की कुंजी उनके पास है। यह कहने से काम नहीं चलेगा कि राज्य बिजली का उत्पादन नहीं करते हैं। जो कुंजी ऊर्जा मंत्रालय के पास है, उसे चलाना चाहिये। कलावती के गांव में बिजली पहुंच गई लेकिन लीलावती के गांव में कब बिजली पहुंचेगी, यह सवाल है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नाभिकीय क्षेत्र में कितनी बिजली पैदा हो रही है और कितनी बिजली उपलब्ध हो रही है या आपको वहां से मिल रही है या नहीं मिल रही है, क्या आप ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, अगर ले रहे हैं तो कितनी ले रहे हैं? क्या आप उनसे आग्रह करेंगें कि वे ज्यादा बिजली पैदा करें। अभी मेघालय के लोगों ने यूरेनियम की खान में काम करवाना बंद करवा दिया है। क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि हमारा जो यूरेनियम का समझौता हुआ था, उसका बिजली पर कब तक प्रभाव पड़ेगा और इस अभाव से सरकार कब मुक्त होगी, क्योंकि यह बात बार-बार मंत्रालय पर आ रही है? इसके लिये जरूरी है कि आप उनसे मालूम करें, सहयोग करें कि यूरेनियम वाली बिजली कब मिलने वाली है? कब उस बिजली से इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल ग्रोथ बढ़ने वाली है ? आप कब तक यह जवाब देते रहेंगे कि अगर राज्य सरकार नहीं करेगी, हम क्या करेंगे?

श्री सुशीलकुमार शिंदे: अध्यक्ष महोदया, भारतीय संविधान में यह विषय कनकरंट लिस्ट में है। जब तक यह कनकरंट लिस्ट में, मैं क्या कर सकता हूं और मैं तब तक यह बात कहता रहूंगा। चाहे हम उधर रहें या आप इधर रहें, तब वही बातें करनी पड़ेंगी।

MADAM SPEAKER: Let the hon. Minister reply.

श्री सुशीलकुमार शिंदे : महोदया, पंडित जी को ठीक से उत्तर देना जरूरी होता है क्योंकि ये प्रोफेसर महाशय है, इसलिए इन्हें 45 मिनट बात करने की आदत है, इसलिए वे करेंगे, लेकिन मुझे विद्यार्थी होने के नाते यह समझ लेना चाहिए। सम्माननीय महोदय जी, मैं आपको बराबर ठीक तरह से रिप्लाई दे दूंगा। न्यूक्लियर के बारे में हम अभी तक 4120 मेगावाट तक पहुंचे हैं और मैं आपको आश्वासित करूंगा कि,...(व्यवधान) यह ठीक है कि मैंने बराबर ठीक तरह से बिना चिट्ठी के यह बोल दिया है कि हम 4120 मेगावाट तक पहुंचे हैं, लेकिन आपने असल बात कही है कि हमारी यूपीए सरकार और विशेषकर प्रधानमंत्री जी ने एग्रेसिव भूमिका लेकर जो सिविल न्यूक्लियर डील की है, आपने उसके बारे में कहा है। यह हम उसके लिए करते रहेंगे। सदन के सम्माननीय सदस्य ने जो कलावती की बात की थी, उसी कलावती की वजह से इतने पैसे मिले हैं। यदि राहुल जी कलावती को मेंशन नहीं करते तो इतने पैसे...(व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : जो राज्य सरकारें हैं, लीलावती हैं, उनको भी तो दीजिए।

श्री सुशीलकुमार शिंदे: हां हम देंगे। एक कलावती को ध्यान में रखते हुए ही कांग्रेस ने देश के देहातों में बिजली देने का विचार किया है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री सुशीलकुमार शिंदे: मैं आपको पूरी तरह से रिप्लाई दूंगा। हम 11वीं योजना में 78 हजार मेगावाट बिजली निर्माण का काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि गत 15 वर्ष में 56 हजार मेगावाट बिजली तैयार हो गयी है, लेकिन ग्यारहवें प्लान में हम 78 हजार मेगावाट बिजली के लक्ष्य पर काम करे रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कैप्टिव की बात की है, उसमें 12 हजार मेगावाट बिजली तैयार हो रही है और इसे हमने 78 हजार मेगावाट में कैलकुलेट नहीं किया है। यह उसमें इसलिए नहीं रखा है क्योंकि जब हम टारगेट रखते हैं तो उस टारगेट तक पहुंचना चाहते हैं। आज हमारे देश में 80 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता का काम चालू है। मैं कहता हूं कि आने वाले साल में, स्लिपेजेज हो

सकते हैं, क्योंकि नैचुरल कैलेमिटीज हैं, गैस नहीं मिलती है, कोयला नहीं मिलता है, कहीं पर जमीन नहीं मिल रही है, कहीं पर्यावरण की समस्या है, कहीं पानी नहीं है, ये स्लिपेजेज हो सकती हैं।

महोदया, मैं थोड़ा वक्त लेकर यह बताना चाहूंगा कि हमने यह कार्य किस रफ्तार से शुरू किया है। हमने 10 दिन पहले देश के सभी राज्यों के पॉवर मिनिस्टर्स की बैठक बुलायी, हमने आई.पी.पी. के सभी इनडिपेंडेंट पॉवर प्रोड्यूसर्स की बैठक बुलायी। इस देश में भेल कंपनी है, जब हम 78 हजार मेगावाट का टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी चाहिए, जबकि अभी चार कारखाने ज्वाइंट सैक्टर में आ रहे हैं और हमने उनकी टैक्नोलॉजी ट्रांसफर को दिशा दी है और इसकी बैठक कल हो गयी है। हम सभी तरफ से कार्यक्रम कर रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, जैसा कि युद्ध के शुरू होने के समय जनरल बुला लेते हैं, वैसे ही बिजली की दिक्कत है, इसमें हमारी कहीं गलती हो सकती है, इसलिए यह प्रयास किया है कि जो हमारे डिपार्टमेंट के पांच-छह सेकेट्रीज रिटायर हो गये हैं, उन्हें भी हमने बुलाया है कि वे हमें सलाह दें। हमने उनकी भी कमेटी बुलायी है और मैंने कोल मिनिस्ट्री से, फिक्की से, सी.आई.आई,ए. से भी सेकेट्रीज को बुलाया है ताकि इसमें किसी भी प्रकार की कमी न रहे क्योंकि देश को बिजली चाहिए।

महोदया, प्रधानमंत्री जी और यूपीए सरकार जिस रफ्तार से काम कर रही है और मुझे खुशी है कि इस रफ्तार को हमारे प्रोफेसर जोशी साहब मान्य करेंगे। आपने मेघालय में यूरेनियम के बारे में कहा है, इसके बारे में बहुत बार चर्चा हुई है। वहां कई दिक्कते हैं और इसके लिए आपने भी प्रयास किया था। इस पर अभी चर्चा हो रही है और इसके बारे में प्रयास चल रहा है।

DR. K.S. RAO : Madam Speaker, power is the key for development of any nation. The hon. Minister is holding that key with him. Earlier, when we talked of power, we used to think of only industry and the richer sections of society. But today, it has become the key of the farmer and also the poor man in the village; and the Government is committed to supply power to every village in this country. Added to that the Government of Andhra Pradesh is giving free power to the farmers in Andhra Pradesh. But there is still a short supply of power in spite of the efforts being made by the Chief Minister to supply power, at least, nine hours a day.

There was a proposal to install a nuclear power plant about 25 years back near Nagarjuna Sagar in Andhra Pradesh. So, I would like to know from the hon. Minister whether he is thinking in terms of giving the priority to install it, because the National Power Sector has also agreed that Nagarjuna Sagar is the most suitable place for setting up a nuclear power plant.

Therefore, I would like to know whether the hon. Minister is thinking in terms of giving a first power plant to be located in Andhra Pradesh, and whether the State Government has asked the Union Government about it.

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: Madam Speaker, though this subject does not belong to the main Question, yet I would reply to it. About the nuclear power, the hon. Prime Minister had already taken the initiative and this House has wholehearted supported that initiative that we are bound to get such types of power from the nuclear energy. So, options of having such plants in Gujarat, Maharashtra, Rajasthan and some other states including Andhra Pradesh are under consideration.

श्री शरद यादव : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि देश में मौसम की बुरी हालत हो गई है। एनएचपीसी द्वारा पानी से जो बिजली बनाई जाती है, वह कितनी कम हुई है? प्रश्न 203 और 205 को, यदि आपकी अनुमति हो तो इकट्ठा कर देना चाहिए। पूरे देश में एनएचपीसी आपके पास है, आपको उसकी पूरी जानकारी होगी। जनरेशन में कितनी गिरावट आई है और आगे कितनी गिरावट होने का खतरा है, इसको आपने एंटिसिपेट किया होगा। वह एंटिसिपेशन आपका कितना है और कैसे इससे निपटा जाएगा? चूँकि जो बिजली है, उसमें भी भारी कमी होने वाली है। जोशी जी ने कहा कि यह सारी चाबी पूरे विकास की है। मैं जानना चाहूँगा कि पन-बिजली की क्या हालत है और अभी तक उसमें कितनी गिरावट आई है?

श्री सुशीलकुमार शिंदे : अध्यक्ष महोदया, पानी से जो बिजली का निर्माण होता है, वह प्रकृति पर निर्भर होता है। जब भी पानी गिरता है तो ज्यादा बिजली तैयार होती है। इस बिजली का उपयोग ...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : आप दोनों सवाल जोड़ सकते हैं। प्रश्न 203 और 205 को इकट्ठा कर दीजिए। ...(व्यवधान)

श्री सुशीलकुमार शिंदे : शरद जी, मैं बताता हूँ। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Mr. Minister, you may only reply to Supplementaries relating to Question No. 203. उसी पर आप जवाब दीजिए।

श्री सुशीलकुमार शिंदे : जब वर्षा ज्यादा गिरती है, तभी बिजली का निर्माण ज्यादा होता है। पानी से जो बिजली का निर्माण होता है, उसका पीक आवर्स में ज्यादा उपयोग होता है। जैसे सुबह-शाम बिजली का ज्यादा उपयोग होता है और रात में नहीं। यह बात सही है कि जैसे एनएचपीसी में काम हो रहा है, उसमें थोड़ी सी कमी आई है। उसके लिए हमने देखा तो पाया कि अरुणाचल प्रदेश में 50 हजार मैगावाट की क्षमता निर्माण हो सकती है। मुझे आए हुए अभी ढाई-पौने तीन साल ही हुए हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना के आखिरी साल में मैं यहाँ आया हूँ। हमने देखा कि अरुणाचल प्रदेश में इतनी अधिक बिजली का निर्माण हो सकता है।

हमने मुख्यमंत्री से बात की और एक एग्रीमेंट एनएचपीसी से करवाया है और एक प्राइवेट में एग्रीमेंट करवाया है। तीन-तीन हजार मेगावाट के प्रोजेक्ट वहां चल रहे हैं...(व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते : इनका प्रश्न था सूखे से बिजली कितनी प्रभावित है...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: No, you cannot ask a question. Nothing will go on record.

*(Interruptions) ... **

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए, वे जवाब दे रहे हैं।

श्री सुशीलकुमार शिंदे : महोदया, माननीय शिंदे जी इस विभाग के मंत्री रहे हैं, इसीलिए वे बोल रहे हैं। कभी-कभी जब शोक लगता है, तब ऐसा होता है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपसी संवाद न करें।

श्री सुशीलकुमार शिंदे : महोदया, हमने एनएचपीसी को काम दे दिया है। निपको का भी कुछ काम नहीं हो रहा था, इसलिए हमने बिजली निर्माण के कार्य में उनको लगाया है। जब भी बारिश कम होती है तो इसमें कमी आती है।

श्री दारा सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि देश में बिजली का जबरदस्त संकट है। आपके आंकड़े भी बता रहे हैं कि पूरे देश में बिजली का संकट है। डिमांड और सप्लाई का जो आंकड़ा आपने दिया है, उससे यह लगता है कि काफी अंतर है। मुझे यह कहीं न कहीं सच्चाई से परे भी लगता है। मैं जानना चाहता हूं कि भविष्य में इस अंतर को कम करने के लिए आपकी क्या योजना है?

---

* Not recorded

उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल के अलग होने के बाद से पनबिजली योजना उत्तरांचल में चली गई हैं, लेकिन आबादी के हिसाब से बड़ा राज्य होने के कारण वहां बिजली की खपत ज्यादा है। वहां विगत बीस वर्षों से कोई योजना नहीं बन पायी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी की उत्तर प्रदेश में कोई बिजली परियोजना लगाने की योजना है? इसके अलावा उत्तर प्रदेश में डिमांड और सप्लाई के अंतर को कम करने के लिए, वैसे तो पूरे देश की बात है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप प्रश्न पूछिए।

श्री दारा सिंह चौहान : किसान और बुनकर जो कि रोज कमाता और खाता है, उनको बिजली के अभाव में काफी परेशानी होती है, इसके लिए माननीय मंत्री जी की क्या योजना है?

श्री सुशीलकुमार शिंदे : महोदया, हमने उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री को बैठक में बुलाया था और कहा है कि आपको जो टारगेट दिया है, उस पर काम कीजिए, आपको यदि कठिनाई होती है तो भारत सरकार मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में मैं अभी यह बताना नहीं चाहता हूं कि बिजली निर्माण नहीं करते हैं, उसकी क्या स्थिति है, इत्यादि। जो बीत गया है, उसको भूलकर वर्तमान की बात करनी चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप जितना तेजी से काम करेंगे, उतनी ज्यादा बिजली निर्माण होगी। हम उत्तर प्रदेश की मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वह बिजली निर्माण का काम तो करें।

(Q.No. 204)

श्री पशुपति नाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा मूल प्रश्न नरेगा के अंतर्गत सौ दिन रोजगार की गारंटी मिलने से संबंधित है। मूल प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने खण्ड 'क' और 'ख' में कहा है और बड़ी ईमानदारी से स्वीकार किया है कि वह पूरा नहीं दे पाते हैं। लेकिन इसकी जिम्मेदारी सरकार ने स्वयं नहीं ली है, बल्कि इसकी जिम्मेदारी गरीब पर छोड़ दी है। इन्होंने उत्तर में दिया है कि परिवार द्वारा प्राप्त किए रोजगार के दिनों की संख्या परिवार द्वारा मांगे गए रोजगार की संख्या पर निर्भर करती है। गरीब के साथ यह बहुत बड़ा मज़ाक है। प्रश्न के उत्तर में है कि सौ दिन का वह रोजगार नहीं मांग रहा है। इस तरह लोग और उनके परिवार सौ दिन का रोजगार मांगने के लिए तैयार नहीं हैं। इतना भ्रामक उत्तर नहीं आना चाहिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप प्रश्न पूछिए।

श्री पशुपति नाथ सिंह : मेरा प्रश्न यह है कि पूरे देश में सौ दिन का रोजगार देने के लिए राज्यवार कितने लोगों को चयनित किया गया और कितने लोगों को सौ दिन का रोजगार दिया गया, उसमें चाहे पुरुष हो या महिला हो। जिन्हें रोजगार नहीं मिला, उन्हें रोजगार भत्ता कितना दिया गया, यह मेरा पहला प्रश्न है?

डॉ. सी.पी.जोशी: अध्यक्ष महोदया, इसके लिए परिवार को चयनित नहीं किया जाता है। इस एक्ट के अनुसार जिस आदमी को काम करना है, उसे पंचायत में जाकर अपनी एप्लीकेशन देनी है। उसमें कोई किसी का चयन नहीं करता है। जितने आदमी काम करने के लिए तैयार हैं, उतने आदमियों को वहां काम मिलता है।

अध्यक्ष महोदया, इसके आंकड़े बहुत चोंकाने वाले हैं। अभी तक केवल मात्र नौ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं, जहां लोगों ने सौ दिन का काम अवेल किया है और इनमे एक भी स्टेट नार्थ-ईस्ट के अलावा नहीं है। मैं समझता हूं कि इस एक्ट की भावना यह है कि गांव में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति पंचायत में एप्लीकेशन दे तो उसे सौ दिन का काम मिलेगा और इस एक्ट में इसकी गारंटी दी गई है।

अध्यक्ष महोदया, मुझे यह कहते हुए तकलीफ होती है कि इस एक्ट में यह व्यवस्था हुए तीन साल पूरे हो गए हैं। जिन स्टेट्स के बारे में ज्यादा चिन्ता है, गरीब, वल्नरेबल आदमी की और जिसके बारे में बार-बार ये बातें कही जाती हैं तथा उसका चेम्पियन बनने की बात की जाती है, उन स्टेट्स में भी अभी तक का जो फीगर है, वह चोंकाने वाला है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, मेरे वेस्ट बंगाल के साथी नाराज होंगे। वेस्ट बंगाल में सन् 2006-07 में एवरेज डे केवल मात्र 14 है, सन् 2007-08 में 25 और सन् 2008-09 में 26 है। जिन स्टेट्स के बारे में हम सबसे ज्यादा वल्नरेबल सैक्शन की बात करते हैं, इस एक्ट

के अंदर यह प्रोविजन है कि वे सौ दिन का काम ले सकते हैं। स्टेट के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वह उस काम को ठीक ढंग से लागू करे। दुर्भाग्य है कि वह स्टेट अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रही है और सेंट्रल एक्ट का प्रोविजन होने के बाद भी उसका लाभ गरीब आदमी को नहीं दिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि यह हम सब के लिए चिन्ता का विषय होना चाहिए कि कैसे हम उन लोगों को काम दे सकें, तब जाकर इस एक्ट की स्पीड पूरी हो सकेगी। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस एक्ट की भावना के अनुरूप गांव के गरीब आदमी को सौ दिन का काम मिले, उसके लिए मोनिटरिंग करें, लोगों को प्रेरित करें, जिससे वे सौ दिन का काम एवेल कर सकें। इस एक्ट के अंदर प्रोविजन है कि उन लोगों को सौ दिन का काम मिलेगा और उसका वेज़ उन्हें मिलेगा। ऐसा ऐतिहासिक कानून आज तक नहीं बना है, उसका लाभ उन सबको मिलना चाहिए।

श्री पशुपति नाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री प्रश्न यह है, मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि पूरे देश में संबंधित कानून के अंतर्गत सौ दिन का काम नहीं मिलता है।...(व्यवधान) आप हमें प्रश्न पूछने दीजिए। आप जब जवाब देंगे तो हम आपके जवाब को आराम से सुनेंगे।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कृपया प्रश्न पूछने दीजिए।

श्री पशुपति नाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी को कहा जाए कि हमें प्रश्न पूछने दें। ...(व्यवधान) बहुत चर्चा हुई कि हम लोग सौ दिन का रोजगार दे रहे हैं, लेकिन पूरे देश में कहीं सौ दिन का रोजगार नहीं मिला, इसे माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है। इसकी सुपरविज़न करने के बाद नरेगा में चारों तरफ घोटाला ही घोटाला दिखाई दे रहा है और यह चर्चा हो रही है। उसमें पहले दो परसैंट, चार परसैंट और फिर छ: परसैंट का सरकार ने प्रावधान किया है। मेरा प्रश्न यह है कि उस प्रावधान के अंतर्गत एक तो यह बेरोजगारी भत्ते के बारे में साइलेंट हैं, शायद यह एक्ट में है या नही। दूसरा, इसके बारे में राज्यवार बताएं और खास कर झारखंड में सुपरविज़न पर क्या खर्च हुआ?

डॉ. सी.पी.जोशी: अध्यक्ष महोदया, मुझे आश्चर्य होता है कि जो एक्ट है, उसे इन्होंने पूरा पढ़ा नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हर स्टेट ने, मध्य प्रदेश जैसी स्टेट ने सन् 2006-07 में बडवानी डिस्ट्रिक्ट में जो 1574 अनएम्प्लॉयमेंट एप्लीकेंट्स थे, उन्हें 4 लाख 75 हजार का अनएम्प्लॉमेंट एलाऊंस दिया है। उन्हें यह जानकारी होनी चाहिए। इसलिए माननीय सदस्य इस एक्ट को पूरा समझ लें। सरकार इस एक्ट में यदि 15 दिन के बाद काम नहीं दे सकती है तो अनएम्पलायमेंट भत्ता देने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है। जिन-जिन स्टेट्स में जिन-जिन लोगों ने सौ दिन का काम मांगा है, उनको सौ दिन का काम इस एक्ट के अन्तर्गत मिलेगा। यदि वह स्टेट उसको 15 दिन में काम नहीं देती है तो

उस स्टेट को उसके लिए अनएम्पलायमेंट भत्ता देना पड़ेगा। यह अनएम्पलायमेंट भत्ता मध्य प्रदेश में मिला है, उड़ीसा में मिला है, कर्नाटक में मिला है, वेस्ट बंगाल में मिला है, केरल में मिला है, त्रिपुरा में मिला है और झारखंड में मिला है।

जहां एक तरफ वे सौ दिन का काम देने में असफल रहे हैं और वहां पर जहां पर एन.जी.ओ. एक्टिव हैं, वे वहां पर बाध्य कर रहे हैं, वहां पर उनको अनएम्पलायमेंट भत्ता भी देना पड़ रहा है, यह इसका उदाहरण है। इसमें दो तरह के उदाहरण हैं। मैं माननीय सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि इस एक्ट की भावना को समझें। हिन्दुस्तान का रहने वाला हर गरीब आदमी सौ दिन का काम लेने का अधिकारी है। इसमें चयन की आवश्यकता नहीं है। यदि सरकार उसको 15 दिन में सौ दिन का रोजगार नहीं दे सकती तो स्टेट गवर्नमेंट को अनएम्पलायमेंट भत्ता देना है। भारत सरकार ने उन गरीब आदमियों को सौ दिन का रोजगार देने के लिए पूरे पैसे की व्यवस्था की है। उस पैसे का उपयोग स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर पा रही हैं। स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि जहां पर भी मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ फंड हो रहा है, उसके लिए मोनेटरिंग करने की जिम्मेदारी प्राइमरी रूप में स्टेट गवर्नमेंट पर है, क्योंकि यह स्टेट सबजैक्ट है, जबकि पंचायती राज और एम्पलायमेंट कन्करेंट लिस्ट के अन्तर्गत हैं। इस एक्ट में दोनों जिम्मेदारी निर्वहन करने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है।

फिर भी भारत सरकार ने इस काम को करने के लिए नेशनल लेवल पर एन.एल.एम. का काम किया है, नेशनल लेवल पर मोनीटर नियुक्त कर रखे हैं, उनके पास शिकायत आने पर वे जाते हैं, उसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। यह काम भी भारत सरकार कर रही है। हमने इस सारे काम के लिए ऑन लाइन एम.आई.एस. सिस्टम डैवलप किया है, हमारे पास हिन्दुस्तान में कौन आदमी किस जगह पर काम कर रहा है, उसकी जानकारी है। हमने सारी जानकारी वैबसाइट पर उपलब्ध करा रखी है। भारत सरकार अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही है।

मैं चाहता हूं कि हमारे जितने माननीय सदस्य हैं, वे इस भावना को समझें और इस ऐतिहासिक एक्ट को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए अपने-अपने प्रदेश में अपनी-अपनी सरकारों से इस कर्तव्य का निर्वहन करायें, जिससे गरीब आदमी को सौ दिन का रोजगार मिल सके।

श्री विश्व मोहन कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने विस्तार से सारी बातें बताईं। राज्यवार ब्यौरा इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन पूरे देश का आंकड़ा दिया गया है कि 2006-07 में 21,42,728, 2007-08 में 36,126, इसी तरह से आंकड़े दिये गये हैं। पंचायत के मुखिया जी के द्वारा यह काम किया जाता है। जॉब कार्ड उन्हीं के द्वारा बांटा जाता है और सरकार के जो यहां से पैसे जाते हैं, वे

सीधे वहां पंचायत में जाते हैं तो मुखिया जी अपने चहेतों को देने के लिए जॉब कार्ड बनाते हैं। जो असली आदमी हैं, वे छूट जाते हैं और जो काम करने वाले हैं, उनको जॉब कार्ड नहीं मिलता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कानून में इसके लिए सुधार करने के लिए कुछ प्रावधान है? जो भी रही-सही कसर है, वह जब बैंक में खाता खुलवाने जाता है, उसमें जो परेशानी होती है, सरकार द्वारा इसमें सुधार करने के लिए इसमें कुछ प्रावधान किया गया है, यह मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं?

डॉ. सी.पी.जोशी: अध्यक्ष महोदया, इस एक्ट में सारे प्रोवीजन किये गये हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को किस तरह से एप्लीकेशन लेनी है, किस जगह पर इनकी ग्रिवांसेज़ का रीड्रैसल करना है। ये सब प्रोवीजन इस एक्ट के अन्तर्गत किये गये हैं। सारी स्टेट्स को इसके लिए गाइड लाइंस दी गई हैं। पर आप जो कह रहे हैं, यह बात सत्य है कि नीचे लेवल पर, पंचायत लेवल पर, क्योंकि पंचायत को 50 परसेंट काम करने हैं, वहां पंचायत के सरपंच को अधिकार है, जिसको आप मुखिया कहते हैं, वह जॉब कार्ड बनाता है। यह जानकारी हमारे पास आती है कि जॉब कार्ड बनाने में गड़बड़ी हो रही है, जॉब कार्ड ज्यादा बन रहे हैं, हाउसहोल्ड से ज्यादा जॉब कार्ड बन रहे हैं और जॉब कार्ड बनने के बाद कुछ सरपंच जॉब कार्ड को अपने पास रखकर फिक्टिसियस मस्टर रोल में नाम जोड़ रहे हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं। इसकी शिकायत यदि भारत सरकार में आ रही है तो अपनी कार्रवाई कर रही है।

मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। एक एम.पी. के रूप में आप उस मोनेटरिंग कमेटी के चेयरपर्सन हैं। आप इस चीज को उनके नोटिस में लायें। कलैक्टर उसका प्रोग्राम आफिसर है, सबसे प्राइमरी रैस्पोंसिबिलिटी उसकी है कि इस तरह की ग्रीवांसेज़ का रीड्रैसल करे। आप अपने जिलाधीश महोदय को यह बात कहें कि इस तरह की शिकायतों के सम्बन्ध में अविलम्ब कार्रवाई करें। अगर नहीं हो तो हमारे नोटिस में लायें, हम इस सम्बन्ध में कार्रवाई करेंगे।

श्री सन्दीप दीक्षित : अध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री जी से केवल स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं कि जैसे मंत्री जी ने कहा कि इसमें जो भी परिवार चाहे, सौ दिन या सौ दिन से कम दिन उसको 15 दिन के अन्दर काम मिलना चाहिए।

पिछले साल-डेढ़ साल में कई ऐसे उदाहरण सामने आए हैं। कई राज्य सरकारों ने अपने कलेक्टरों को ये निर्देश भेजे हैं कि नरेगा द्वारा उनके चलाए हुए कई विकास के कार्यक्रमों में, नरेगा का पैसा, नरेगा के काम में अप्लाई किया जाय। कुछ राज्यों ने इरीगेशन पर ऐसे नोटिसेज भेजे हैं। मैं किसी राज्य का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि लोग इसे राजनीति समझते हैं। मैं इसको राजनीति के रूप में नहीं कह रहा हूं। मैं

कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने की बात कह रहा हूं। अगर राज्य सरकारें बार-बार अपने कार्यक्रमों के अंदर नरेगा के काम जोड़ेंगी, तो 15 दिन के अंदर काम की गारंटी कभी नहीं दी जा सकती है।

क्या भारत सरकार के पास ये सूचनाएं हैं कि कई राज्य सरकारों ने नरेगा को अपने कार्यक्रमों के साथ जोड़ने की कोशिश की है? इसके लिए क्लियर गाइडलाइंस भेजी हैं और कुछ जगहों पर कलेक्टरों को इस बात के लिए दंडित भी किया है कि वह राज्य सरकार की गाइडलाइन को नहीं मान रहे हैं। क्या इस बात को भारत सरकार ने अपने संज्ञान में लिया है और अगर लिया है, तो इनको रोकने के लिए क्या काम किया है? क्या इस तरह का काम आगे करेंगे कि राज्य सरकारें इस कार्यक्रम को अपने कार्यक्रमों से जोड़कर या अपने कार्यक्रमों के अंदर इसकी मूल भावना को डिस्ट्रॉय नहीं करें? ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया आप बैठ जाइए। यह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

*(Interruptions) ... **

डॉ. सी.पी.जोशी : अध्यक्ष महोदया, हमारा फेडरल कांस्टीट्यूशन है। उसमें कुछ काम स्टेट गवर्नमेंट को परफार्म करने हैं। यह बात सही है कि विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स से अलग-अलग इस तरह की शिकायत आ रही है। उसको रीड्रैसल करने के लिए क्या व्यवस्था हो, इस बारे में भारत सरकार गंभीरता से सोच रही है कि इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए क्या काम करें? मैं माननीय सदस्य की इस भावना से सहमत हूं कि इस एक्ट की जो स्प्रिट है, उस स्प्रिट में मैनुअल वर्क देने के लिए 100 डेज का हमने एश्योरेंस दिया है। उसमें केवल तीन-चौथाई एमाउंट दिया है, जो मैटेरियल कंपोनेंट में वह खर्च कर सकते हैं। शेड्यूल फर्स्ट में हमने प्रायरिटी आधार पर कुछ काम बताये हैं, उन कामों पर ही आप कुछ खर्च कर सकते हैं। जिन स्टेट्स को उनके अलावा किसी काम में धन खर्च करना है, तो उसे भारत सरकार की स्वीकृति लेकर, वह काम उसमें जोड़ सकते हैं। इस तरह की जो बातें आ रही हैं, उसे रिव्यू करके पूरे ढंग से इस योजना को लागू कर सकें, उस समय में जो रेमैडियल मेजर्स लेने हैं, भारत सरकार उसको एड्रेस कर रही है और शीघ्र ही इस संबंध में कोई कदम उठाकर आपके सामने आएगी।

* Not recorded

SHRI ARJUN CHARAN SETHI : Madam Speaker, while replying to the queries raised by the hon. Members, hon. Minister has just said that in some of the States, people have been provided work under NREGP for only 6 days, 10 days or 14 days. What is the procedure of providing funds to different States? I would also like to know, if they have provided employment to the workers under the NREGS for 14 days or less than 14 days, whether they have utilized that amount. As has been mentioned by the hon. Member just now, I would like to know whether that money has been spent otherwise or for implementation of that particular Scheme.

DR. C.P. JOSHI: This is a demand-driving scheme. As and when you require money, the Government of India is able to release the amount. So, there is no deficiency of funds. We have adequate funds at our disposal. Whatever I am saying as '14 days or 16 days', this was the demand generated by the State concerned.

SHRI ARJUN CHARAN SETHI : Where has the money gone?

DR. C.P. JOSHI: You are so senior a Member. I said that it is a State subject and the State is supposed to care about this. If any complaint is there, we will take care of this. You bring it to our notice. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: No, this will not go on record.

(Interruptions) … *

MADAM SPEAKER: Hon. Minister, please address the Chair.

DR. C.P. JOSHI: Madam Speaker, we are releasing the money. About the manual labour, 90 per cent is released by the Government of India and 10 per cent is supposed to be contributed by the State Government. So far as material components are concerned, we distributed three-fourth amount from the side of Government of India and one-fourth share is contributed by the State Government.

---

* Not recorded

I do not know what sort of problem you are having. If your State had demanded … (*Interruptions*)

SHRI ARJUN CHARAN SETHI : Who is monitoring it?

DR. C.P. JOSHI: You are a learned Member. It is the concern of the State Government. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Shri S. Semmalai.

SHRI S. SEMMALAI : Madam Speaker, it is true that on implementation of NREGS, the household income of labourers has increased considerably. However, there is an adverse impact on agriculture front.

MADAM SPEAKER: Please be brief as very little time is left.

SHRI S. SEMMALAI : It is because the beneficiaries are gainfully employed for 100 days as a result of which there is scarcity of hands to carry out sowing, ploughing and harvesting operations.

12.00 hrs.

The farmers have to pay higher wages, and they even find it difficult to employ labourers. Hence, I would suggest that 100 days of work under NREGS may be designed and carried out during the non-farming operation period, so that the farmers may not experience difficulty to hire labourers for agricultural operations.

MADAM SPEAKER: Hon. Member, please ask your Question to the hon. Minister.

SHRI S. SEMMALAI :Will the hon. Minister give a serious consideration to my suggestion, and work-out suitable strategy in this regard?

डॉ. सी.पी.जोशी : अध्यक्ष महोदया, यह एक फॉल्स प्रौपगंडा प्रौपगेट किया जा रहा है कि नरेगा की लेबर के कारण एग्रीकल्चर के लेबर नहीं मिल रहे हैं या फैक्ट्री में काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। हमारे पास जो स्टैटिस्टिक उपलब्ध है, वहां जिस स्टेट में जितनी एग्रीकल्चरल लेबर उपलब्ध है, उस लेबर से कम लोग नरेगा में काम कर रहे हैं। इसका मतलब उस स्टेट में काम करने वाले लोग उपलब्ध हैं। वहां खेती में काम करने वाला आदमी उस गरीब आदमी को अंडर पे करना चाहता है। इसलिए यह प्रौपगंडा करना चाहते हैं कि वहां एग्रीकल्चर के लेबर उपलब्ध नहीं हैं। भारत सरकार ने सौ रुपये का मिनिमम वेज इसलिए किया है कि उस गांव के गरीब आदमी को भी खेती में काम करने पर या सौ रुपये दिए जाएं या उससे ज्यादा दिए जाएं। यह जो एक तरफा बात करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति नहीं है।

12.01 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

MADAM SPEAKER: Now, Papers to be laid.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI S. JAIPAL REDDY): I beg to lay on the Table a copy of the Report (Hindi and English versions) of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Commercial) (No. PA 17 of 2008) - Public Sector Undertakings Implementation of Phase I of Delhi Mass Rapid Transit System by Delhi Metro Rail Corporation Limited-(Performance Audit) for the year ended March, 2007 under article 151(1) of the Constitution.

(Placed in Library, See No. LT 325/15/09)

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT AND MINISTER OF PANCHAYATI RAJ (DR. C.P. JOSHI): I beg to lay on the Table : -

(1) A copy of the Outcome Budget (Hindi and English versions) of the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development for the year 2009-2010.

(Placed in Library, See No. LT 326/15/09)

(2) A copy of the Outcome Budget (Hindi and English versions) of the Department of Drinking Water Supply, Ministry of Rural Development for the year 2009-2010.

(Placed in Library, See No. LT 327/15/09)

(3) A copy of the Outcome Budget (Hindi and English versions) of the Department of Land Resources, Ministry of Rural Development for the year 2009-2010.

(Placed in Library, See No. LT 328/15/09)

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री कांति लाल भूरिया): महोदया, मैं राट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय के बीच वर्ा 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(Placed in Library, See No. LT 329/15/09)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI KRISHNA TIRATH): I beg to lay on the Table :-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Public Cooperation and Child Development, New Delhi, for the year 2007-2008, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Public Cooperation and Child Development, New Delhi, for the year 2007-2008.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 330/15/09)

(3) A copy of the Outcome Budget (Hindi and English versions) of the Ministry of Women and Child Development for the year 2009-2010.

(Placed in Library, See No. LT 331/15/09)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S.S. PALANIMANICKAM): I beg to lay on the Table :-

(1) A copy each of the following Notification (Hindi and English versions) under Section 48 of the Foreign Exchange Management Act, 1999:-

(i) The Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in foreign Exchange) (Amendment) Regulations, 2009 published in Notification No. G.S.R. 61(E) in Gazette of India dated the 30th January, 2009.

(ii) The Foreign Exchange Management (Borrowing and Lending in Rupees) (Amendment) Regulations, 2009 published in Notification No. G.S.R. 107(E) in Gazette of India dated the 20th February, 2009.

(iii) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of any Foreign Security) (Amendment) Regulations, 2009 published in Notification No. G.S.R. 108(E) in Gazette of India dated the 20th February, 2009.

(iv) The Foreign Exchange Management (Acquisition and Transfer of Immovable Property in India) (Amendment) Regulations, 2009 published in Notification No. G.S.R. 299(E) in Gazette of India dated the 1st May, 2009.

(v) The Foreign Exchange Management (Guarantees) (Amendment) Regulations, 2009 published in Notification No. G.S.R. 300(E) in Gazette of India dated the 1st May, 2009.

(vi) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of any Foreign Security) (Second Amendment) Regulations, 2009 published in Notification No. G.S.R. 301(E) in Gazette of India dated the 1st May, 2009.

(vii) The Foreign Exchange Management (Current Account Transactions) (Amendment) Rules, 2009 published in Notification No. G.S.R. 349(E) in Gazette of India dated the 22nd May, 2009.

(viii) The Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) (Amendment) Regulations, 2009 published in Notification No. G.S.R. 440(E) in Gazette of India dated the 23rd June, 2009.

(ix) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) (Third Amendment) Regulations, 2009 published in Notification No. G.S.R. 441(E) in Gazette of India dated the 23rd June, 2009.

(x) The Foreign Exchange Management (Deposit) (Amendment) Regulations, 2009 published in Notification No. G.S.R. 442(E) in Gazette of India dated the 23rd June, 2009.

(Placed in Library, See No. LT 332/15/09)

(2) A copy of the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2009 (Hindi and English versions) published in Notification No. LAD-NRO/GN/2009-10/11/167759 in Gazette of India dated the 29th June, 2009 under Section 31 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992.

(Placed in Library, See No. LT 333/15/09)

(3) A copy of the Notification No. S.O. 1580(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 30th June, 2009 regarding amalgamation of the Jammu Rural Bank and Kamraj Rural Bank in the State of Jammu and Kashmir sponsored by Jammu and Kashmir Bank Limited under sub-section (4) of Section 23A of the Regional Rural Banks Act, 1976.

(Placed in Library, See No. LT 334/15/09)

(4) A copy each of the following Notification (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993:-

(i) The Debts Recovery Tribunal-III, Chennai (Group ‘C’ and ‘D’ posts) (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2009 published in Notification No. G.S.R. 404(E) in Gazette of India dated the 12th June, 2009.

(ii) The Debts Recovery Tribunal-II, Ahmedabad (Group ‘C’ and ‘D’ posts) (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2009 published in Notification No. G.S.R. 405(E) in Gazette of India dated the 12th June, 2009.

(iii) The Debts Recovery Tribunal-II, Chandigarh (Group ‘C’ and ‘D’ posts) (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2009 published in Notification No. G.S.R. 406(E) in Gazette of India dated the 12th June, 2009.

(iv) The Debts Recovery Tribunal, Madurai (Group 'C' and 'D' posts) (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2009 published in Notification No. G.S.R. 407(E) in Gazette of India dated the 12th June, 2009.

(Placed in Library, See No. LT 335/15/09)5

(5) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 159 of the Customs Act, 1962 :-

(i) G.S.R. 432(E) published in Gazette of India dated the 19th June, 2009 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the two notifications, mentioned therein.

(ii) G.S.R. 433(E) published in Gazette of India dated the 19th June, 2009 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 10/2008-Cus. dated the 15th January, 2008.

(iii) G.S.R. 484(E) published in Gazette of India dated the 7th July, 2009 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 21/2002-Cus. dated the 1st March, 2002.

(iv) G.S.R. 485(E) published in Gazette of India dated the 7th July, 2009 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the three notifications, mentioned therein.

(v) G.S.R. 486(E) published in Gazette of India dated the 7th July, 2009 together with an explanatory memorandum seeking to reintroduce exemption from additional duty of customs on parts, components and accessories of mobile handsets including cellular phones up to 6th July, 2010.

(vi) G.S.R. 487(E) published in Gazette of India dated the 7th July, 2009 together with an explanatory memorandum seeking to provide exemption to packaged software or canned software, from so much of the additional duty leviable thereon.

(Placed in Library, See No. LT 336/15/09)

(6) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of section 38 of the Central Excise Act, 1944:-

(i) The CENVAT Credit (Amendment) Rules, 2009 published in Notification No. G.S.R. 481(E) in Gazette of India dated the 7th July, 2009, together with an explanatory memorandum.

(ii) The Central Excise (Amendment) Rules, 2009 published in Notification No. G.S.R. 482(E) in Gazette of India dated the 7th July, 2009, together with an explanatory memorandum.

(iii) G.S.R. 483(E) published in Gazette of India dated the 7th July, 2009, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 49/2008-C.E. (N.T.) dated the 24th December, 2008.

(iv) G.S.R. 465(E) published in Gazette of India dated the 7th July, 2009, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the two notifications, mentioned therein.

(v) G.S.R. 466(E) published in Gazette of India dated the 7th July, 2009, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 28/2002-C.E. dated the 13th May, 2002.

(vi) G.S.R. 467(E) published in Gazette of India dated the 7th July, 2009, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 8/2003-C.E. dated the 1st March, 2003.

(vii) G.S.R. 468(E) published in Gazette of India dated the 7th July, 2009, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 23/2003-C.E. dated the 31st March, 2003.

(viii) G.S.R. 469(E) published in Gazette of India dated the 7th July, 2009, together with an explanatory memorandum making certain

amendments in the Notification No. 29/2004-C.E. dated the 9th July, 2003.

(ix) G.S.R. 470(E) published in Gazette of India dated the 7th July, 2009, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 30/2004-C.E. dated the 9th July, 2004.

(x) G.S.R. 471(E) published in Gazette of India dated the 7th July, 2009, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 3/2006-C.E. dated the 1st March, 2006.

(xi) G.S.R. 472(E) published in Gazette of India dated the 7th July, 2009, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 4/2006-C.E. dated the 1st March, 2006.

(xii) G.S.R. 473(E) published in Gazette of India dated the 7th July, 2009, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 5/2006-C.E. dated the 1st March, 2006.

(xiii) G.S.R. 474(E) published in Gazette of India dated the 7th July, 2009, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 6/2006-C.E. dated the 1st March, 2006.

(xiv) G.S.R. 475(E) published in Gazette of India dated the 7th July, 2009, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 10/2006-C.E. dated the 1st March, 2006.

(xv) G.S.R. 476(E) published in Gazette of India dated the 7th July, 2009, together with an explanatory memorandum making certain

amendments in the Notification No. 23/2006-C.E. dated the 1st March, 2006.

(xvi) G.S.R. 477(E) published in Gazette of India dated the 7th July, 2009, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 2/2008-C.E. dated the 1st March, 2008.

(xvii) G.S.R. 478(E) published in Gazette of India dated the 7th July, 2009, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 59/2008-C.E. dated the 7th December, 2008.

(xviii) G.S.R. 479(E) published in Gazette of India dated the 7th July, 2009, together with an explanatory memorandum seeking to exempt Bio-diesel from additional duty of excise.

(xix) G.S.R. 480(E) published in Gazette of India dated the 7th July, 2009, together with an explanatory memorandum seeking to exempt packaged software or canned software, falling under Chapter 85 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985.

(Placed in Library, See No. LT 337/15/09)

(7) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (7) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 :-

(i) G.S.R. 455(E) published in Gazette of India dated the 30th June, 2009, together with an explanatory memorandum seeking to impose final safeguard duty on imports of Phthalic anhydride at the rates, mentioned therein.

(ii) G.S.R. 456(E) published in Gazette of India dated the 30th June, 2009, together with an explanatory memorandum rescinding Notification No. 9/2009-Cus. dated the 29th January, 2009.

(iii) G.S.R. 434(E) published in Gazette of India dated the 19th June, 2009, together with an explanatory memorandum seeking to impose

definitive safeguard duty on the products, mentioned therein at specified rates, when imported into India from the People's Republic of China.

(iv) G.S.R. 435(E) published in Gazette of India dated the 19th June, 2009, together with an explanatory memorandum seeking to rescinding Notification No. 26/2009-Cus. dated the 23rd March, 2009.

(Placed in Library, See No. LT 338/15/09)

(8) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of section 94 of the Finance Act, 1994 :-

(i) G.S.R. 488(E) published in Gazette of India dated the 7th July, 2009, together with an explanatory memorandum seeking to amend sub-clause (zzze) of clause (105) of Section 65 of the Finance Act to exempt the taxable service provided to the Federation of India Export Organizations and specified Export Promotion Councils, on the membership or any other fee collected by them.

(ii) G.S.R. 489(E) published in Gazette of India dated the 7th July, 2009, together with an explanatory memorandum seeking to supersede Notification No. 41/2007-ST dated 06.10.2007, and a revised refund scheme is being brought into effect so as to bring simplification and facilitation of refunds.

(iii) G.S.R. 490(E) published in Gazette of India dated the 7th July, 2009, together with an explanatory memorandum seeking to exempt two taxable services, namely, 'transport of goods by road' and 'commission paid to foreign agents' from the levy of service tax, if the exporter is liable to pay service tax on reverse charge basis.

(iv) G.S.R. 491(E) published in Gazette of India dated the 7th July, 2009, together with an explanatory memorandum seeking to to amend sub-clauses (zm) or (zzk) of clause (105) of Section 65 of the Finance

Act to exempt the taxable service provided to a Scheduled bank, by any other Scheduled bank, in relation to inter-bank purchase and sale of foreign currency.

(v) G.S.R. 492(E) published in Gazette of India dated the 7th July, 2009, together with an explanatory memorandum seeking to amend sub-clauses (zn) of clause (105) of Section 65 of the Finance Act to exempt the taxable service provided to inter-state or intra-state transportation of passengers, in a vehicle bearing 'contract carriage permit', with specified conditions.

(vi) G.S.R. 493(E) published in Gazette of India dated the 7th July, 2009, together with an explanatory memorandum seeking to amend Notification No. 1/2002-Service Tax, dated the 1st March, 2002.

(vii) G.S.R. 494(E) published in Gazette of India dated the 7th July, 2009, together with an explanatory memorandum seeking to amend rule 2, for clause (e) of the Taxation of Services (Provided from outside India and Received in India) Rules, 2006.

(viii) G.S.R. 495(E) published in Gazette of India dated the 7th July, 2009, together with an explanatory memorandum seeking to amend sub-rule(1), for the explanation in rule 3 of the Works Contract (Composition Scheme for Payment of Service Tax) Rules, 2007 to allow the benefit of optional composition scheme, only for such works contracts, where the entire value of goods and services is declared.

(Placed in Library, See No. LT 339/15/09)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI BHARATSINH SOLANKI): I beg to lay on the Table :--

(1) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the North Eastern Electric Power Corporation Limited and the Ministry of Power for the year 2009-2010.

(Placed in Library, See No. LT 340/15/09)

(2) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Satluj Jal Vidyut Nigam Limited and the Ministry of Power for the year 2009-2010.

(Placed in Library, See No. LT 341/15/09)

(3) A copy of the Outcome Budget (Hindi and English versions) of the Ministry of Power for the year 2009-2010.

(Placed in Library, See No. LT 342/15/09)

THE MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF TOURISM (KUMARI SELJA): On behalf of Shri Sultan Ahmed, I beg to lay on the Table :-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the Punjab Ashok Hotel Company Limited, Chandigarh, for the year 2006-2007.

(ii) Annual Report of the Punjab Ashok Hotel Company Limited, Chandigarh, for the year 2006-2007, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 343/15/09)

(b) (i) Review by the Government of the working of the Assam Ashok Hotel Corporation Limited, Guwahati, for the year 2006-2007.

(ii) Annual Report of the Assam Ashok Hotel Corporation Limited, Guwahati, for the year 2006-2007, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 344/15/09)

(c) (i) Review by the Government of the working of the Utkal Ashok Hotel Corporation Limited, Puri, for the year 2006-2007.

(ii) Annual Report of the Utkal Ashok Hotel Corporation Limited, Puri, for the year 2006-2007, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Three statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 345/15/09)

(3) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the India Tourism Development Corporation Limited and the Ministry of Tourism for the year 2009-2010.

(Placed in Library, See No. LT 346/15/09)

12.04 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

MADAM SPEAKER: Statement by Minister of Parliamentary Affairs, Item No. 9, Shri Pawan Kumar Bansal.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Madam, with your permission, I rise to announce that the Government Business during the week commencing Monday, the 20th of July 2009, will consist of :-

1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.
2. Discussion and voting on the Demands for Grants for 2009-2010 under the control of the Ministry of :-
   (a) Home Affairs;
   (b) Power;
   (c) Women and Child Development; and
   (d) Labour and Employment.
3. Consideration and passing of the Finance (No. 2) Bill, 2009.

श्री गणेश सिंह (सतना): महोदया, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित वियों को सम्मिलित किया जाए:-

1. मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा में 62 लाख परिवार सूचीबद्ध हैं। केन्द्र सरकार मात्र 42 लाख परिवारों को खाद्यान व मिट्टी तेल उपलब्ध करा रही है। कृपया शेष बचे 20 लाख परिवारों को भी शासन उचित मूल्य का खाद्यान एवं मिट्टी तेल उपलब्ध कराने हेतु विषय को शामिल करें।

2. मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्य विद्युत संकट से जूझ रहे हैं। केन्द्रीय पूल से राज्य को पहले 350 मेगावाट बिजली मिलती थी, उसमें कटौती कर मात्र 31 मेगावाट कर दिया गया है। पुन: 350 मेगावाट बिजली प्रदेश को देने हेतु विषय को सम्मिलित करें।

MADAM SPEAKER: Please only read out the subject matter.

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Madam, my humble submission is that the following items may be included in next week's agenda :-

1. Recrudescence of Dengue fever, which has striken at various parts of West Bengal if not checked properly could boil down to serious heath implications.
2. Performance of Ganga River Basin Authority.

MADAM SPEAKER: Hon. Member, you do not have to go into the details.

श्री दिनेश चन्द्र यादव (खगड़िया): अध्यक्ष महोदय, लोक सभा के आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषय को जोड़ा जाये।

1. बिहार राज्य का खगड़िया जिला अत्यंत पिछड़ा है। प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना अन्तर्गत स्वीकृत सड़कों का निर्माण नहीं होने से आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए स्वीकृत सड़कों का निर्माण शीघ्र कराया जाये। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप उसका केवल शीर्षक पढ़िये।

श्री दिनेश चन्द्र यादव : अध्यक्ष महोदया, मैं शीर्षक ही पढ़ रहा हूं,, जो लिखा हुआ है।

2. बिहार राज्य के केन्द्रीय विद्यालय खगड़िया का अपना भवन नहीं रहने से छात्र-छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। विद्यालय भवन निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता है। अतः केन्द्र सरकार भूमि अधिग्रहण के लिए राशि उपलब्ध करा दे।

SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR): Madam, I want that the following items may be included in next week's agenda:

1. One bypass at Panagarh at national Highway No. 2 in West Bengal has not been constructed. Widening NH. 2 at that place is not possible because a number of structures are to be dismantled. There is serious traffic congestion. Hence, I demand that one bypass at NH. 2 be immediately undertaken.
2. Katwa-Ahmedpur narrow gauge railway line is the only narrow gauge line in West Bengal to be converted into broad gauge line. Survey has already been done by the Railways. Hence, I demand that the narrow

gauge line between Katwa and Ahmedpur be immediately converted to broad gauge.

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): अध्यक्ष महोदया, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों का समावेश किया जाये।

1. देश के वह जिले जहां केन्द्रीय विद्यालय नहीं खोले गये हैं, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले सहित सभी जिलों में शीघ्र ही केन्द्रीय विद्यालय खोलने की पहल की जाये।
2. केन्द्रीय सड़क निधि से सागर से मड़ावरा, बड़ागांव, धसान, टीकमगढ़, मोहनगढ़ होते हुए झांसी मार्ग का निर्माण किया जाये। इस मार्ग से सागर से झांसी की दूरी लगभग 40 कि.मी. कम हो जायेगी। देश के अन्य राज्यों में भी सी.आर.एफ. से ऐसी कम दूरी की सड़कों के निर्माण की कार्य योजना बनायी जाये।

MADAM SPEAKER: Yogi Aditya Nath. Calling Attention.

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष महोदया, आप इससे पहले जीरो ऑवर ले लीजिए। मुझे भी एक विषय उठाना है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अभी हमें कालिंग अटैंशन शुरू करना है।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदया, कालिंग अटैंशन में समय लगेगा। मुझे केवल दो मिनट में ही अपनी बात कहनी है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अभी हमने कालिंग अटैंशन के लिए कह दिया है, इसलिए आप थोड़ी देर बाद बोल लीजिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदया, कालिंग अटैंशन में तो 45 मिनट लग जायेंगे। मेरा विषय बहुत गंभीर है। यहां संसदीय कार्य मंत्री बैठे हुए हैं, इसलिए आप मुझे दो मिनट अपनी बात कहने दीजिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : इस विषय पर कई और माननीय सदस्य भी बोलेंगे, इसलिए आप पहले कालिंग अटैंशन हो जाने दीजिए। ...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदया, यह वैसा जीरो ऑवर नहीं है। यह तो केवल एक विषय है, इसमें मुझे सरकार से मांग करनी है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मैं उसी विषय पर बुला रही हूं। यह सुबह निश्चित हो गया था। आप थोड़ी देर रुक जाइये।

12.08 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE
Need to check pollution in rivers and lakes in the country

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): अध्यक्ष महोदया, देश की पवित्र नदियों और प्राकृतिक झीलों को प्रदूषण से मुक्त करने से संबंधित एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मैं आपके संज्ञान में लाया था। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि मुझे माननीय मंत्री जी का जो जवाब प्राप्त हुआ है, मैं उस पर दो शब्द कहना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): Sir, I am on a point of order. My point of order is that the Minister has to make a statement first.

MADAM SPEAKER: Yes.

योगी आदित्यनाथ जी, आप पहले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मूव कीजिए।

...(व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ : अध्यक्ष महोदय, मैं पर्यावरण और वन मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें :

"देश में नदियों और झीलों में प्रदूषण नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI JAIRAM RAMESH): Madam Speaker, I am glad that the hon. Member has given this Calling Attention Motion on a subject of vital national importance. I have prepared a detailed Statement which has been placed on the Table of the House and which is going to be made available to those Members who are interested in the Statement. I have already requested the Secretariat to circulate the Statement, but I was told that those hon. Members who were interested in the Statement could ask for the Statement. I have already prepared a detailed Statement on this Calling Attention Motion.

However, I will just make a couple of brief points in response to the hon. Members Calling Attention Motion. Madam, in 1985, the first systematic attempt at cleaning our rivers was started with the Ganga Action Plan.

We have had about 20 years of the Ganga Action Plan. We have spent about Rs.817 crore on cleaning of the River Ganga both under Ganga Action Plan, Phase-I and Phase-II. The plan has consisted largely in setting up a sewage treatment plants in cities and towns along the River Ganga in five different States of the country. I have no hesitation in saying that even after spending Rs.816 crore, there does not seem to be any visible improvement in the quality of the River Ganga. That is because of the fact that the pollution load of the River Ganga has increased much beyond our expectations. That is also because the sewage treatment plants that have been set up have not been run to full capacity because of the inability of the urban local bodies to provide for full operation and maintenance cost.

The second major intervention of the Government of India has been the Yamuna Action Plan which started in 1993 at a total cost of Rs.680 crore and in December 2004, we extended this by another Rs.624 crore. The story in the Yamuna Action Plan also is broadly similar to the Ganga Action Plan. A large number of sewage treatment plants that are being set up, unfortunately, are not being utilised to full capacity and, therefore, the pollution load is not being visibly reduced.

The third major intervention of the Government of India came in 1995 with the National River Conservation Plan under which roughly about 37 rivers in the country in 21 different States of the country have been taken up for river conservation and river cleaning. This year roughly Rs.256 crore has been provided for this. These are the broad facts that I wanted to bring to the attention of the hon. Member and the House.

I think, the single biggest problem that we are facing is because of municipal sewage being emptied into our rivers. Roughly 75 per cent of pollution

in our rivers comes from the municipal sewage and about 25 per cent comes from industrial sewage. Now the inability of the Central Government, the State Government and the urban local bodies to provide adequate municipal sewage treatment facilities has caused a disaster for our rivers. Out of the 35 metropolitan cities in our country, only about 50 per cent of the sewage is treated. Out of 497 class-I cities in our country, only about 32 per cent of our sewage is treated. And in 415 class-II towns of our country, only eight per cent of our sewage is treated. Even where we have sewage treatment plants, they do not operate to full capacity because of the failure of the urban local bodies to provide full operation and maintenance costs. This is the biggest problem facing the river cleaning programme. Under the Jawaharlal Nehru Urban Renewal Mission -- the hon. Minister for Urban Development is sitting here -- a large number of cities have come forward for establishing and expanding sewage treatment facilities. But the true challenge is going to be to provide money for the operation and maintenance. The Central Government is giving the money for setting up sewage treatment, but operation and maintenance is the responsibility of the urban local bodies.

The hon. Member will be pleased to know that just a couple of days ago, our Ministry, the Ministry of Environment and Forests has submitted a proposal to the 13th Finance Commission that for the next five years, the full cost of operation and maintenance should also be borne by the Central Government. This is in recognition of the fact that urban local bodies are not in a position to provide operation and maintenance. We have estimated that under the National River Conservation Programme, a sum of Rs.1300 crore will be required in the next five years for operation and maintenance. I have met the Chairman of the 13th Finance Commission. He was receptive to this proposal. The Report of the Finance Commission will come in November this year. We hope that the full cost of operation and maintenance will be borne by the Central Government for the next five years.

This will have a major impact on the operation of our sewage treatment plants, and thereby on the cleanliness of our rivers. I want to assure the hon. Member and the august House through you, Madam Speaker, that the funds that are going to be required for cleaning of the rivers is not going to be a major constraint.

The Finance Minister, in the Budget that he presented a few days ago, has made an initial allocation of Rs.250 crore for the National Ganga River Basin Authority that was established last year under the chairmanship of the Prime Minister comprising of the Chief Ministers of the five Ganga States. The initial allocation is Rs.250 crore. We have called for global bids for preparing a Basin Management Plan for the river Ganga. We have received thirty offers. In the next two months we will decide on the Consultant who will prepare the Basin Management Plan.

I want to state here that we are going to completely transform our approach to the cleaning of rivers. We are going to go from a town-based approach to a basin-based approach. We are going to go from purely sewage treatment to sewage reuse, sewage recycling, afforestation and improvement along the river beds.

Thirdly, the National Ganga River Basin Authority is an empowered authority, empowered by a notification to carry out works along the river Ganga. Similar authorities could be conceived of in due course of time for other important rivers. As I said, Rs.250 crore has been allocated this year. I am sure that as we proceed, allocation of funds is not going to be a problem.

In conclusion, Madam, I want to say that we are fully conscious of the cultural, economic and ecological significance of the rivers of our country. We are trying to control the emptying of both municipal and industrial sewage. But we also have a problem in States like Uttarakhand. We also have a problem that the lean season flows in some of the rivers has come down considerably because of the fact that we are building a large number of hydroelectric dams.

In my previous Ministerial capacity I was advocating the construction of more dams. In my new capacity I will advocate for greater caution on the construction of these dams because they do interfere with the lean season flow of many of these rivers. I hope that my colleague the Minister of Power, who is not here, will pay adequate attention to this problem as well. I say this because unless we are able to assure adequate lean season water in our rivers we will not be able to solve the problem that the hon. Member has drawn our attention to.

*The pollution load on the major rivers of the country has increased over the years due to urbanisation and industrialization. The following schemes are being implemented by the Central Government, jointly with the State Governments, on a cost sharing basis to address the problem of pollution in rivers and lakes.

Ganga Action Plan Phase-I & II

Ganga Action Plan (GAP) Phase I was launched as a centrally funded scheme in 19.85. The Plan was launched with the objective of improving the water quality of the Ganga to acceptable standards. Various pollution abatement works like Interception & Diversion of sewage, setting up of sewage treatment plants, low cost sanitation works, crematoria works, etc. were taken up. This Phase was declared complete in March, 2000.

Since GAP Phase - I did not cover the pollution load of Ganga fully, GAP Phase - II which includes the tributaries of Ganga namely, Yamuna, Gomti, Damodar and Mahananda, besides Ganga, was approved in stages from 1993-1996. In December, 1996 GAP Phase II was merged with the National River Conservation Plan (NRCP). The total expenditure incurred on river Ganga under the GAP Phase - I & II so far, is Rs.816.47 crore and sewage treatment capacity of 1007 million liters per day (mid) has been created.

Water quality monitoring carried out by reputed institutions such as IIT Kanpur, BHEL, Patna University, etc. indicates that, water quality of the river

* …* This part of the speech was laid on the Table

Ganga conforms to the prescribed standards in terms of key indicators, namely, Bio-chemical Oxygen Demand (BOD) and Dissolved Oxygen (DO) at most of the locations, except in the stretch between Kannauj and Varanasi in Uttar Pradesh. However, the levels of fecal coliforms are reported to exceed the maximum permissible limit at a number of monitoring stations along the river Ganga.

Yamuna Action Plan Phase-I & II

The first phase of the Yamuna Action Plan (YAP) for the abatement of pollution of river Yamuna was started in April, 1993 in 21 towns of three States of UP, Delhi & Haryana. YAP-I was completed in February, 2003 at a total expenditure of Rs. 682 crore. The second Phase of YAP, an ongoing programme, commenced in December, 2004 at an approved cost of Rs. 624 crore. Till March, 2009, an expenditure of Rs 190.15 crore has been incurred. Sewage treatment capacity of 753.25 mid has been created under the Plan.

As per the water quality monitoring undertaken through independent institutions, the water quality in the stretch of the river Yamuna from Tajewala to Palla in Haryana is found to be within the prescribed limits. However, the stretch of the river in the vicinity of Delhi (downstream of Wazirabad barrage to upstream of Okhla barrage) and parts of Uttar Pradesh exceeds the standards in terms of Bio-chemical Oxygen Demand of 3.0 milligram per litre (mg/1) mainly due to significant increase in pollution load and lack of fresh water in the river during lean period.

National River Conservation Plan (NRCP)

The Centrally sponsored scheme of National River Conservation Plan (NRCP) was initiated in 1995 for taking up conservation works in the identified polluted stretches of major rivers. The objective of NRCP is to check pollution in rivers and to improve their water quality through implementation of various pollution abatement works. The Plan covers 166 towns along polluted stretches of 37 rivers spread over 20 States. The major rivers covered include Ganga, Yamuna, Gomti, Damodar, Satluj, Krishna, Musi, Cauvery and Godavari, among others.

Thus, of the seven rivers mentioned in the Notice to the Motion, five are covered under NRCP.

Pollution abatement works in the river Cauvery cover 13 towns in Karnataka & Tamil Nadu at a sanctioned cost of Rs.269.09 crore. Sewage treatment capacity of 151 mld has been created so far.

Pollution abatement works in the river Godavari cover 7 towns of Andhra Pradesh & Maharashtra at a sanctioned cost of Rs. 118.98 crore. Sewage treatment capacity of 186 mld has been created so far.

Pollution abatement works in the river Narmada cover 2 towns in Madhya Pradesh at a sanctioned cost of Rs.l4.33 crore. Schemes for creation of sewage treatment capacity of 16 mid have been sanctioned recently.

So far under NRCP (including GAP-I), an expenditure of Rs.4302 crore has been incurred and sewage treatment capacity of 3926 mld has been created under the River Action Plans, besides schemes for interception & diversion works and other non-core works such as crematoria, low cost sanitation works etc.

National Lake Conservation Plan (NLCP)

National Lake Conservation Plan (NLCP) is a Centrally Sponsored Scheme of Ministry of Environment & Forests, Government of India for conservation/restoration of polluted and degraded lakes. The Scheme presently covers 57 Lakes in 13 states. The objective of the Scheme is to restore and conserve the polluted lakes in urban and semi-urban areas of the country. The activities covered under NLCP include (i) Prevention of pollution from point sources by intercepting, diverting and treating the pollution load entering the lakes from the entire lake catchment area, (ii) In-situ measures of lake cleaning such as de-silting, de-weeding, bio-remediation etc., depending upon the site conditions, (iii) Catchment area treatment which may include bunding, afforestation, fencing and shore line development etc.

So far, an amount of Rs. 285.06 crore has been released under the Plan to the States and restoration works in 18 lakes have been completed.

New initiatives- National Ganga River Basin Authority (NGRBA)

Review of river conservation strategy is a continuous process. Several measures such as concurrent evaluation of schemes have been initiated to improve the performance of the National River Conservation Plan. The Central Government has also set up the 'National Ganga River Basin Authority' on 20.2.2009 as an empowered planning, financing, monitoring and coordinating authority to ensure effective abatement of pollution and conservation of the river Ganga by adopting a holistic approach, with the river basin as the unit of planning. The Authority is chaired by the Prime Minister and has as its members, the Union Ministers concerned, the Chief Ministers of the States through which Ganga flows viz., Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand and West Bengal, among others.

River conservation activities such as sewage treatment infrastructure are also being implemented under other Central schemes, such as Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission, Urban Infrastructure Development Scheme for Small and Medium Towns, as well as State schemes.*

योगी आदित्यनाथ : महोदया, सन् 1985 में गंगा एक्शन प्लान की घोषणा हुई थी। जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि उस पर 816 करोड़ रुपए से अधिक व्यय हो चुके हैं, लेकिन गंगा मैली की मैली रही। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और बीएचयू की गंगा अनुसंधान प्रयोगशाला के आंकड़े बताते हैं कि गंगा में पानी बहुत खतरनाक स्थिति में है। पीने के लिए जो योग्य पानी होना चाहिए, उसमें फीकल कॉलीफोर्म की स्थिति कतई नहीं होनी चाहिए। नहाने के पानी में उसकी संख्या 50,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और खेती योग्य पानी में उसकी संख्या पांच लाख से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन हिन्दुओं की धार्मिक, सांस्कृतिक और पवित्र नगरी वाराणसी के आंकड़े बताते हैं कि गंगा नदी के बेसिन में जल प्रदूषण के कारण फीकल कॉलीफोर्म की संख्या पांच लाख से 21 लाख तक है। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक जितने भी नगर और कस्बे पवित्र गंगा के किनारे पड़ते हैं, उनका सीवरेज लोड और साथ-साथ औद्योगिक इकाइयों का जितना भी कचरा है, बिना ट्रीटमेंट के ही इस पवित्र नदी में पहुंच जाता है। जहां वह इस नदी के पॉल्यूशन का कारण है। माननीय मंत्री महोदय ने इस बारे में बताया कि गंगा जैसी पवित्र नदियों के प्रदूषण के पीछे एक अन्य कारण भी है। गंगा और उसकी सहायक नदियों पर बनी या प्रस्तावित पन-विद्युत परियोजनाएं भी एक कारण है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण ही गंगा का मूल स्रोत गंगोत्री-ग्लेशियर बहुत तेजी से सिकुड़ रहा है और इस पर देश के पर्यावरणविदों ने इस पर काफी चिंता व्यक्त की है। पूरी दुनिया उससे चिंतित है। छोटी-बड़ी पन-विद्युत परियोजनाओं के कारण, पहाड़ी क्षेत्रों में जो विस्फोट हुए हैं, उन विस्फोटों ने भी भागीरथी के प्राकृतिक प्रवाह के साथ जुड़ने वाले छोटे-बड़े स्रोतों को पूरी तरह नष्ट किया है। माननीय मंत्री जी इस बात को जानते होंगे कि आज भी गंगा और उसकी सहायक नदियों पर, अकेले उत्तराखंड में, भारत सरकार की मदद से, प्रदेश सरकार की मदद से, लगभग 250 से ऊपर पन-विद्युत परियोजनाएं बन रही हैं या प्रस्तावित हैं।

इस बार गंगा-दशहरे के अवसर पर, हरिद्वार में, बहुत बड़ी संख्या में लोग गये थे। पिछले दशहरे के अवसर पर, हरिद्वार में गंगाजल का जो स्तर था वह 43000 क्यूबिक था लेकिन एक साल के बाद, इस बार देखा गया कि गंगा-दशहरे के दिन वहां का जल स्तर 8000 क्यूबिक था। टिहरी जैसे डैम बनाते समय हम सब को आश्वासन दिया गया था कि ये डैम बनेंगे, लेकिन भागीरथी का जो प्राकृतिक प्रवाह है उसे अवरूद्ध नहीं किया जाएगा, उस प्राकृतिक प्रवाह को अनवरत बनाये रखने का प्रयास होगा। लेकिन यह नहीं हो पाया। उसका मूल प्रवाह, पहले टिहरी डैम के कारण अवरुद्ध हुआ और अब उसी टिहरी में मलेरीभाली बांध के कारण पूरी तरह से अवरुद्ध हो रहा है। मैं स्वयं गंगोत्री गया था, मैंने देखा कि एनटीपीसी की बहुत

सारी परियोजनाएं टिहरी से लेकर गंगोत्री तक बन रही हैं और बहुत सारी जगह भागीरथी का प्रवाह पूरी तरह से सूखा हुआ है, वहां कोई नदी नहीं हैं, कोई प्रवाह नहीं है। यह स्थिति वहां पर है।

स्वतंत्र भारत में जब हम पवित्र गंगा की बात करते हैं, अविरल गंगा की बात करते हैं तो हम सभी के लिए चुनौती है कि जितनी भी पवित्र नगरी गंगोत्री से लेकर गंगा-सागर तक हैं, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, गढ़मुक्तेश्वर है, प्रयाग है, काशी है, वहां की जनता और पूरा समाज तो इससे उद्वेलित है ही, लेकिन पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर जो इसका बूरा असर पड़ रहा है, उससे भी माननीय मंत्री जी अच्छी तरह से अवगत होंगे।

इसके साथ-साथ दो अन्य चीजें जो आई हैं उन चीजों के कारण गंगा जैसी पवित्र नदी अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही है और अब उत्तर प्रदेश में गंगा-एक्सप्रेस-वे के नाम पर एक नयी परियोजना प्रारम्भ हुई है, पर्यावरण के मानकों की धज्जियां उड़ाकर इस योजना को प्रारम्भ किया जा रहा है। अगर यह परियोजना प्रारम्भ होती है तो गंगा जैसी पवित्र नदी का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, दिल्ली के गंदे नाले की तरह गंगा की शक्ल होगी, जो हम सब की चिंता का विषय है।

माननीय मंत्री जी ने यहां पर तथ्य रखे कि गंगा एक्शन प्लान अब तक पूरी तरह से फ्लॉप रहा है, उसी तरह से यमुना एक्शन प्लान में भी लगभग 682 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी यमुना मैली की मैली है। यह बात केवल गंगा और यमुना की नहीं है, हम लोगों को बचपन में एक श्लोक याद कराया जाता था कि " गंगे च यमुनेचैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सनिधम् कुरु" । यानी इनको स्मरण करके ही हम अपनी दिनचर्या प्रारम्भ करते थे। देश की पवित्र नदियों का स्मरण करके ही हम अपनी दिनचर्या प्रारम्भ करते थे। हम न केवल इन नदियों की पवित्रता और इनकी अविरलता को अक्षुण बनाएंगे, अपितु हम लोग इन नदियों के माध्यम से राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी सुनिश्चित रखेंगे। अपितु हम लोग राष्ट्रीय नदियों के माध्यम से राष्ट्र की एकता और उसकी अखंडता को सुनिश्चित रखेंगे। लेकिन आज देश की सभी पवित्र नदियां अपवित्र हो चुकी हैं। मैं गोरखपुर से आता हूं। गोरखपुर में एक नदी है जो गोरखपुर जिले को दो भागों में बांटती है, उसे आमी नदी कहते हैं। यह सच है कि अधिकतर बड़ी नदियां सीवेज लोड के कारण प्रदूषित हुई हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त करिए।

योगी आदित्यनाथ : मैडम, मुझे केवल 2-3 क्लेरिफिकेशन पूछने हैं। उसके बाद मैं समाप्त ही करूंगा। आमी नदी में जहां से शुरुआत होती है, सिद्धार्थ नगर जनपद से, संत कबीर नगर जनपद और फिर गोरखपुर जनपद में वहां राप्ती नदी में मिल जाती है। शुरुआत से ही वहां पर औद्योगिक इकाइयों का सारा कचरा डाल दिया गया है और आज वह नदी लगती ही नहीं है कि वह नदी है। ऐसा लगता है कि सीवेज का कोई नाला बह रहा हो और उसके चारों तरफ कई किलोमीटर तक भयंकर बदबू आती रहती है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त करिए। आपके सारे बिन्दु आ गये।

योगी आदित्यनाथ : महोदया, साथ-साथ प्राकृतिक झीलों के संरक्षण के बारे में भी एक प्रस्ताव गोरखपुर का था। गोरखपुर में 1700 एकड़ क्षेत्र में एक रामगढ़ ताल है। उस रामगढ़ ताल जैसी प्राकृतिक झीलों को बचाये रखने के संबंध में भी मंत्री जी ने अपने उत्तर में यद्यपि विस्तार से कहा है लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से इस प्रस्ताव के माध्यम से जानना चाहता हूं कि गंगा नदी के महत्व और भारतीय आस्था को देखते हुए माननीय प्रधान मंत्री जी ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है और उन्होंने एक गंगा बेसिन ऑथोरिटी बनाने की घोषणा भी की थी। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस संबंध में कोई विधेयक इस सदन में आएगा और उसका क्रियान्वयन कब तक प्रारम्भ हो जाएगा?

दूसरे, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्ष 1985 में जब गंगा एक्शन प्लान प्रारम्भ हुआ था, उस समय गंगा जी में जल की स्थिति क्या थी और प्रदूषण की स्थिति क्या थी और आज जल और प्रदूषण की स्थिति क्या है? इसी का दूसरा भाग है कि यमुना एक्शन प्लान प्रारम्भ होते समय इतना पैसा खर्च होने के बाद भी यमुना जी में जल की स्थिति उस समय क्या थी और प्रदूषण की स्थिति क्या थी और आज की तारीख तक इस योजना के अन्तर्गत करोड़ों रुपया खर्च होने के बाद भी, इतना पैसा बर्बाद होने के बाद भी यमुना जी में जल का स्तर क्या है और उसमें प्रदूषण का स्तर क्या है?

तीसरे, गंगा और अन्य नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को रोककर जो बांध बनाये जा रहे हैं, उनके कारण बहुत सारी जगहों पर तमाम समस्याएं पैदा हुई हैं जो पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि उस संबंध में पर्यावरण मंत्रालय क्या करने जा रहा है? मैंने जो बताया कि विभिन्न जनपदों में बहुत सारी नदियां हैं जो उन जनपदों के लाखों लोगों के जीवन से जुड़ी हुई हैं। मैंने गोरखपुर की आमी नदी की बात कही। उस आमी नदी के प्रदूषित होने से ढ़ाई लाख मछुआरे बेरोजगार हुए हैं। गोरखपुर का उन्नत पशु धन और उन्नत खेती उस नदी के दोनों तटों पर होती थी लेकिन आज वह पूरी तरह से नष्ट हो गई है, लोग आज भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं, लोग बेरोजगार हो चुके हैं और उनके भूखों मरने की स्थिति आ चुकी है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आमी

नदी जैसी नदियों के प्रदूषण को दूर करने के लिए और रामगढ़ जैसी प्राकृतिक झीलों का संरक्षण करने के लिए माननीय मंत्री जी द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

SHRI JAIRAM RAMESH : Madam, as far as the National Ganga River Basin Authority is concerned, this was constituted under the Environment Protection Act of 1986. A notification was issued last year. No separate Act of Parliament is required. The NGRBA has been notified under the chairmanship of the Prime Minister and five Chief Ministers. We are shortly going to call the first meeting of the NGRBA. An allocation of Rs.250 crore has been made. Madam, we have received 30 offers for preparing the Master Basin Management Plan. In the next two months' time we will select the consultant who will prepare the Basin Management Plan. This is my answer to the question on the NGRBA.

The hon. Member has raised questions on whether the Ganga quality has improved and whether the Yamuna quality has improved. I would like to say that I can always give you figures to show that it has improved. But the true test is, does the Ganga look cleaner today than 20 years ago. The answer is, 'No'. The true test is, does the Yamuna look cleaner today than 20 years ago. The answer is, 'No'.

Of course, Yamuna does not exist today and that is a separate issue altogether. So I can give you any number of indicators. I can give you bio-chemical oxygen demand and I can give you dissolved oxygen. The hon. Member with Physics background is here and he will know all these indicators and what they mean. But really to the layman what counts is: Is the river looking cleaner today or not? The answer is a depressing no. So, I think we need to understand this. I would be glad to give the numbers to the hon. Member but I myself do not believe these numbers. These numbers can always be given; they can always be measured and they can always be monitored. We can always find a stretch where we can say that it is cleaner today than it was 20 years ago. But I admit with full responsibility that the Ganga and the Yamuna today are no cleaner

today than what they were 20 years ago. We have to make a determined and a renewed effort if we were to save these rivers.

The third question he has raised is on Uttarakhand and I want to say that there were series of meetings which our Prime Minister took. There was a high level committee that went into this issue of the Loharinag Pala Project of NTPC. The high level committee recommended the release of four cumecs of water. But the Prime Minister and the hon. Union Power Minister decided that instead of four cumecs of water going into the river, 16 cumecs will be released back into the river. So, it is not just *aviral dhara*, it is *aviral dhara* four times multiplied. What this means is that this power project of NTPC will function only for five months in a year. This is a big compromise that we have struck and it shows that the Government when faced with the choice between environment, protecting the rivers and generating the power, sometimes can take a decision for protecting rivers and saving the environment like what happened 25 years ago in the case of Silent Valley in Kerala when the then Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi decided that she will not have the hydel project but she will preserve the rain forest in Kerala. Similarly, such choices have to be made and we have made this choice in Loharinag Pala Project and I am sure that in other projects also we will look at the compromise between generating power and saving the environment.

Now, Madam, there are many other issues that the hon. Member has raised that relates to Gorakhpur. I had answered this question in the Question Hour last week. We have a Lake Conservation Programme and 57 lakes have been taken up across the country. My young colleague, the Minister for Surface Transport has also met me who is a Member from Kushinagar. Hon. Member from Gorakhpur has also met me. We have a proposal for cleaning up the Ramgarh Taal. We are examining it and it is a Rs.146 crore proposal that has come from the State Government. I have assured both the Minister of State and the hon. MP that we will very soon give our approval to this Project. Its 70 per cent will be funded by

the Central Government and 30 per cent will be funded by the State Government and I hope we will be able to accord final approval.

Finally, the hon. Member has raised the issue of Ganga Expressway. I think that is a slightly different subject and I would rather not comment on it as part of my reply today.

(Placed in Library, See No. LT 347/15/09)

12.33 hrs.

MOTION RE: THIRD REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): I beg to move:

> "That this House do agree with the Third Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 16th July, 2009."

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That this House do agree with the Third Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 16th July, 2009."

The motion was adopted.

MADAM SPEAKER: Now we will take up matters of urgent public importance, 'Zero Hour'.

… (*Interruptions*)

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं एक प्वाइंट ऑफ आर्डर कहना चाहता हूं। …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अभी नहीं। अभी सुषमा स्वराज जी बोलेंगी।

…(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): अध्यक्ष महोदया, इन्होंने प्वाइंट ऑफ आर्डर उठाया है।

अध्यक्ष महोदया : आप बताइए, क्या प्वाइंट ऑफ आर्डर है।

…(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : कॉलिंग अटैंशन में पांच प्रश्न पूछ सकते हैं।…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बताएं कौन सा नियम है?

…(व्यवधान)

श्री रेवती रमन सिंह : महोदया, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर पहले पांच क्वैश्चंस अलाऊ होते थे।

अध्यक्ष महोदया : नियम बताइये।

श्री रेवती रमन सिंह : हम बता रहे हैं, आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर दिखवा लीजिए कि पहले की प्रोसीडिंग्स में पांच प्रश्न अलाऊ होते थे। जो मेन क्वैश्चन पूछने वाले हैं, उनके अलावा पांच प्रश्न अलाऊ होते थे। इसलिए आपसे इस पर रूलिंग चाहता हूं कि क्या वह नियम बदल गया है?

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, नियम बताइए । हम वह रूलिंग दे देंगे। श्रीमती सुषमा स्वराज, आप बोलिये।

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Madam, now the time for making special mentions under `Zero Hour' notices is from 8.30 a.m. to 9.30 a.m. It should be reviewed. It should be from 9 a.m. to 9.30 a.m.

अध्यक्ष महोदया : आप बैठिये।

12.36 hrs.

SUBMISSIONS BY MEMBERS

(i) Re: Talks between the Prime Minister of India and Pakistan

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष महोदया, आपकी अनुमति से मैं सदन का ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम की तरफ आकृष्ट करना चाहती हूं। भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ताओं के दौर अनेक बार चले हैं। हर सरकार के शासनकाल में चले हैं। सरकार चाहे किसी भी राजनीतिक दल की रही हो, किसी भी राजनीतिक गठबंधन की रही हो, भारत इस बात पर अडिग रहा है कि आतंकवाद पर चर्चा किये बिना पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। आगरा शिखर वार्ता के टूटने का प्रमुख कारण यही था कि सदरे पाकिस्तान चाहते थे कि कश्मीर को कोर इश्यु मानकर हम चर्चा करें। लेकिन भारत की तरफ से कह दिया गया कि जब तक सीमा पार आतंकवाद पर चर्चा नहीं होगी, बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। पूरे पांच साल तक यूपीए सरकार भी यह कहती रही कि बिना आतंकवाद पर चर्चा किये पाकिस्तान से बातचीत करना बेमानी है। 26/11 की घटना के बाद सरकार का रुख और भी कड़ा हो गया। यह स्वाभाविक था, क्योंकि वह कोई साधारण आतंकवादी घटना नहीं थी, बल्कि वह भारत पर परोक्ष रुप से किया गया एक हमला था। सदन को बार-बार आश्वस्त किया गया कि जब तक पाकिस्तान आतंकवादी ठिकानों को खत्म नहीं कर देता, हम बातचीत के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। अभी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री जी ने सदन को कहा कि अगर भारत-पाक वार्ता होगी तो पाकिस्तान यदि दो कदम आगे बढ़ेगा तो भारत अपनी ओर से दो कदम आगे बढ़कर आधे रास्ते मिलने के लिए तैयार होगा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि कल अचानक क्या घटा? क्यों सरकार 26/11 की घटना की भयावहता को भूल गई, क्यों सरकार देश के संकल्प को भूल गई, क्यों सरकार संसद को दिए गए आश्वासन को भूल गई? कल शाम को हमें यह समाचार मिला कि भारत आतंकवाद को एक तरफ रखकर कम्पोजिट डॉयलाग यानी समग्र वार्ता के लिए राजी हो गया है।...(व्यवधान)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): It is not true. It is not like that… (*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदया, इसीलिए मैं सुबह-सुबह आपसे मिलने के लिए गई और मैंने आपसे निवेदन किया कि मैं इस बात को यहां उठाना चाहती हूं। अगर संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं कि यह बात ऐसी नहीं है तो मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि आज ही सरकार इस पर बयान दे और स्थिति को स्पष्ट करे।

मैं यहां एक बात और कहना चाहती हूं कि संसद की यह परम्परा रही है कि जब-जब प्रधानमंत्री संसद के चलते विदेश जाते हैं तो उनकी विदेश यात्रा के ऊपर बाकायदा एक औपचारिक वक्तव्य सदन में दिया जाता है और सदन को विश्वास में लिया जाता है कि बाहर क्या-क्या बातें हुईं। इस बार प्रधान मंत्री जहां-जहां गए हैं, उनमें से बहुत से विषय उपजे हैं। अभी एक दिन पहले श्री बसुदेव आचार्य ने जी-8 का मामला उठाया था और मैंने अपनी पार्टी की तरफ से उससे सम्बद्ध किया था। मैं यह भी चाहती हूं कि संसदीय कार्य मंत्री यहां बैठे हैं, एक बयान तो प्रधानमंत्री जी की तमाम विदेश यात्राओं के बारे में यहां आना चाहिए, हम उस पर चर्चा करना चाहेंगे। लेकिन जो बात मैं भारत-पाक वार्ता के संबंध में पहले उठा रही थी, वह स्थिति को बहुत गम्भीर बना रही है। इसलिए हम उस औपचारिक बयान का इंतजार नहीं कर सकते। आज ही संसदीय कार्य मंत्री बतायें कि कितने बजे सरकार की तरफ से यहां बयान दिया जायेगा। कल से देश चिंतित है और इस गम्भीर चिंता का समाधान करते हुए कौन सा बयान आप कितने बजे देना चाहेंगे। मैं चाहूंगी कि इस बारे में सरकार स्थिति स्पष्ट करे।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदया, क्योंकि साढ़े तीन से लेकर छः बजे तक प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस होगा। उससे पहले सवा तीन बजे इस पर एक स्टेटमैंट जरूर दे दी जायेगी। हमारा प्रयास यह रहेगा कि दोनों विषय लम्बे हैं। अगर एक स्टेटमैंट हो पाई, ठीक होगा अगर एक नहीं हो पाई तो भी भारत-पाक वार्ता पर सवा तीन बजे एक स्टेटमैंट आज यहां जरूर दे दी जायेगी।

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ): अध्यक्ष महोदया, मैं समझता हूं कि सरकार इस मामले से अवगत है लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आज देश के अंदर, चाहे, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, बिहार हो या महाराष्ट्र हो, या देश का कोई कोना हो, सब जगह नकली नोटों का कारोबार होने की खबर समाचार-पत्रों में रोजाना आ रही है, हमें पढ़ने को मिलती है। पहले तो यह मसला आता था कि देश की सीमाओं के बाहर से नकली नोट देश में आते हैं, विशेषकर नेपाल के रास्ते से यहां आते है। लेकिन आज मसला उससे ज्यादा गम्भीर हो गया है। आज राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से तमाम गड्डियां और ए.टी.एम. के द्वारा आज तमाम नकली नोट उपभोक्ताओं तक पहुंच रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले राज्य सभा में यह मसला उठा था जिसे एक माननीय सदस्य ने उठाकर नकली नोट दिखाया भी था। वह नोट ए.टी.एम. से निकला था। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जनहित एवं देशहित में इस नकली नोट के कारोबार को रोकने का काम किया जाये। ऐसी कई घटनायें

देश के विभिन्न प्रान्तों में हो रही है जिनका ब्यौरा देकर मैं सदन का समय खराब नहीं करना चाहता हूं। लेकिन सदन का ध्यान एक गम्भीर घटना की ओर दिलाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया, अभी कुछ समय पूर्व उत्तर प्रदेश के फीरोज़ाबाद जिले में दो घटनायें घटित हुई है जिसे मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं। पहली फरवरी माह में और दूसरी अभी पिछले माह की 9 तारीख को जब मैं सदन के सत्र अवकाश के दौरान अपने क्षेत्र में पहुंचा तो वहां के समाचार-पत्रों के माध्यम से मालूम हुआ कि जनपद फीरोज़ाबाद में खुलेआम नकली नोटों का कारोबार चल रहा है। वहां के स्थानीय समाचार-पत्र, "जनमानस" में चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो कार्यवाहियां वहां चल रही हैं, वे तो हैं ही लेकिन जब किसी प्रान्त की सरकार के जिस मंत्री ने संविधान की रक्षा करने की शपथ ली हो, जनता के बीच संविधान के अनुसार चलने का जनता से वायदा किया हो, विधानसभा में वायदा किया हो...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया समाप्त करें।

श्री धर्मेन्द्र यादव : अध्यक्ष महोदया, यह बहुत ही गम्भीर मसला है। ऐसा कहा जा रहा है किफीरोज़ाबाद जनपद में मंत्री की देखरेख में सुनियोजित ढंग से नकली नोटों का कारोबार चल रहा है। और तो और सब समाचार पत्र लिखते हैं कि सफेदपोशों की देखरेख में चल रहे नकली नोटों के कारोबार करने वालों को बचाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। इसलिये इस मौके पर मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि यह देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, यह राष्ट्रद्रोह का मसला है, ऐसे मामले की सी.बी.आई. द्वारा जांच की जानी चाहिये।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया शान्त रहें। यह रिकॉर्ड में नहीं जायेगा। Shri K. C. Venugopal.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what Shri Venugopal will say.

*(Interruptions) … **

---

* Not recorded

12.45 hrs.

SUBMISSION BY MEMBERS……..(Contd.)

(ii) Need to provide central assistance to the people affected by heavy rain and landslides in northern districts of Kerala

MADAM SPEAKER: Shri K.C. Venugopal will speak now. Shri E.T. Mohammed Basheer will associate with him on that issue.

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam, I would like to invite the attention of this august House to the serious situation prevailing in the State of Kerala due to heavy rains and landslides occurring simultaneously. Seven people were killed in the last 48 hours and 4032 families lost their houses all over the State.

Within a period of one month, 73 persons had died in the natural calamity. The northern part of Kerala is severely affected. Electric lines are cut off; water connections are cut off; and the traffic system is also badly affected. Our Members of Parliament from Wayanad and Calicut, Shri M.I. Shanavas and Shri M.K. Raghavan rushed to their constituencies for leading the relief work and rescue operations. Thousands of houses are fully damaged. Huge amount of live stocks have been lost. Sea erosion has also occurred simultaneously. Hundreds of houses of fishermen have also been damaged. Damages to life and property are running into crores of rupees. The situation is very serious.

So, I urge the Government to send a Central team immediately for assessing the losses and extend maximum help and maximum financial assistance from the Centre. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Hon. Members, if you want to associate yourselves with this issue, please send your names to the Table. It will be done.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Shri P.T. Thomas, Shri Jose K. Mani, Shri K.P. Dhanapalan, and Shri M.B. Rajesh are allowed to associate with the issue raised by Shri K.C. Venugopal.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Shri Basu Deb Acharia and Shri B. Mahtab are also allowed to associate with this issue.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Shri Basu Deb Acharia please.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: I called Shri Basu Deb Acharia to speak.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what Shri Basu Deb Acharia is saying.

*(Interruptions) …**

MADAM SPEAKER: Hon. Members, I have told you that I would take it up. Then, why are you getting so impatient? Please sit down.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Hon. Members, please sit down. The hon. Minister is responding.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD PAWAR): Madam Speaker, as far as the issue raised by the hon. Member regarding the flood situation is concerned, I would like to say that yesterday I got a telephonic communication from the hon. Chief Minister of Kerala. He also explained the situation. He has requested that the Government of India should depute a team. I just explained the procedure to him. I requested him that he should send a written communication about the areas where the Central team should go.

---

* Not recorded

When we get that written communication, we will immediately constitute a team, we will send it and we will assess the situation. Whatever be the damage, whether it is regarding the fishermen; whether it is regarding lives of cattle; whether it is regarding the crop; whether it is any other damage, the Government of India will give a serious thought to it and try to give relief and support to the State Government and the affected people.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Madam Speaker, through you, I draw the attention of the Government towards a problem being faced by millions and millions of people of our country. The lives of eighty per cent of the people of our country have become miserable because of abnormal rise in the prices of all the essential commodities. In our country, 77 per cent of the people depend on only Rs. 20 a day. How can the people survive with such increase in the prices of almost all the essential commodities?

Madam Speaker, within one year we find how the prices have increased. In the case of potato, the increase is more than 200 per cent. In the case of pulses, like *arhar*, it is 35.4 per cent, within one year. This is the wholesale price index. Now, the price of *arhar* is more than Rs. 80 per kg. The pulses are called poor man's protein. The prices of almost all the pulses – *arhar, masoor, chana, urad, moong* are not less than Rs. 80/-. In the case of edible oil and mustard oil, the situation is the same and it has reached Rs. 90/- which never happened. The increase in the price of rice is more than 30 per cent within one year. This is the wholesale price index. If you see the consumer price index, it is much more than the increase in the wholesale price index. The Government is saying that the inflation is negative. Today, it is -1.21 per cent. Inflation is negative whereas the prices are increasing. The Government has failed to control and contain the prices. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please conclude.

… (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA : There is a stipulation that hoarding is taking place; and because of delayed monsoon, there will be less production of kharif this year and there will be artificial crisis.

Madam, there is a need to strengthen the Public Distribution System (PDS). There is a need to amend the Essential Commodities Act. More and more commodities should be brought under the essential commodities. However, the Government, so far, is quite indifferent. The hon. Minister of Agriculture and Food is present in the House. He should assure the House as to what plan of action the Government is contemplating to control and contain the prices of almost all the essential commodities. The livelihood of common people has become miserable. This is the concern of 80 per cent people of our country, but the Government is quite indifferent. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please conclude.

SHRI BASU DEB ACHARIA : I demand that the Government should tell the House as to what measures it is contemplating to take to control the prices so that the livelihood of the people can be saved. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please conclude.

… (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Madam, the Public Distribution System should be strengthened. It should be universalized and the Government should immediately call the meeting of Food Ministers of all the States. The Government should take concrete measures to contain and control the prices of all the essential commodities.… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Shri Ananth Kumar.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: I have already called Shri Ananth Kumar.

Shri Basu Deb Acharia, please take your seat.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Now, whatever Shri Basu Deb Acharia speaks will not go in the record.

(Interruptions) … *

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो बात उठाई है, दो बातों के चलते महंगाई बढ़ी है। एक तो डीज़ल के दाम बढ़े हैं और ऐसा मौसम है। डीज़ल के दाम तो सरकार के हाथ में हैं। …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप अपने को उससे संबद्ध कर लीजिए।

श्री शरद यादव : डीज़ल के दाम थोड़ा घटाने का काम करें तो स्थिति कुछ ठीक होगी। …(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Shri Mahtab, I have already told that you have been associated with this matter. Please take your seat.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: I cannot compel the Government.

… (*Interruptions*)

श्री बसुदेव आचार्य : सरकार सदन को बताए, देश को बताए। …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बसुदेव आचार्य जी, यह ज़ीरो आवर है। आप बैठ जाइए।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व): इस पर नियम 193 के तहत चर्चा कराइए। मैंने नोटिस दिया हुआ है। …(व्यवधान)

* Not recorded

DR. RAM CHANDRA DOME (BOLPUR): Madam, we want Half-an-Hour Discussion on this matter. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Today, there is a discussion on two Ministries, namely, the Ministry of Agriculture and the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. You can raise all these issues during the discussion.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: I have called Shri Ananth Kuimar.

SHRI ANANTH KUMAR (BANGALORE SOUTH): Madam, during the last five years, scams after scams are getting unfolded during the Congress and the UPA Government. While the hon. Minister for Railways was presenting her Railway Budget, she said that a while paper is required.

Madam, I want to draw your attention, the attention of the Government and the attention of the entire House to the fact that a new scam in the State Trading Corporation Limited, which is a trading wing of the Commerce Ministry, is getting unfolded.… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): Madam, his notice was in relation to the Spices Trading Corporation but he is mentioning about the State Trading Corporation.… (*Interruptions*)

SHRI ANANTH KUMAR : Actually, the STCL has lost a huge amount of Rs.1250 crore, that is, a quarter billion US Dollars. The STCL has become a middleman in the last ten months to procure the scrap nickel and scrap copper from various international sellers and to supply it to the third-world countries like Vietnam (to the Bhushan Port), Indonesia and South Korea but they did not procure the scrap nickel and scrap cooper. Unfortunately, they procured scrap iron.

The STCL has recently filed a complaint against two trading companies – the Future Metals Private Limited and the Future Exim India Private Limited – of

Bangalore. What is most unfortunate is that when the complaint has been given by the STCL, the Union Finance Ministry, through its Enforcement Directorate, sends an advice to the Bangalore Police. It is very curious and mysterious.

MADAM SPEAKER: Please conclude.

SHRI ANANTH KUMAR : Madam, I am concluding. The Director of Enforcement, in a communication to the Bangalore Police Commissioner, advised a week ago not to go ahead with filing an FIR as it would require at least two-months' time to investigate and gather basic evidence required to assess the gravity of the evidence.

Now, I would put a straight question to the Government. When the Bangalore Police is ready to file an FIR against these two fraudulent companies, why is the Union Finance Ministry, through its Enforcement Directorate, withholding the entire thing?

MADAM SPEAKER: Please conclude now.

SHRI ANANTH KUMAR : I am concluding now. Why is it sending an advice?… (*Interruptions*) Why do they want to hush up a matter of a mega scam of Rs.1250 crore? Unfortunately, both Shri Kamal Nath, the former Commerce Minister and Shri Anand Sharma, the present Commerce Minister are not here. I, therefore, expect the Government to come out very clean. They should institute a CBI inquiry into the whole matter. I expect the Government to give us an assurance.… (*Interruptions*) Madam, through you, I am asking them to respond to this. If there is a scam, they should respond.… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: No. During "Zero Hour," there is no such system of response. Thank you.

Now, I call Shri Sivakumar *alias* J.K. Ritheesh.

SHRI K. SHIVKUMAR *ALIAS* J.K. RITHEESH (RAMANATHAPURAM): Madam, Ramanathapuram District is naturally a dry District. There is no water source in my District. We are able to do cultivation only during the rainy season.

Even if we dig bore-wells, we get salt water which cannot be utilized for the agriculture purpose.

In spite of the above problems, my District people did not lack even a single meal because, on the first day of the present Government in Tamil Nadu, our hon. Chief Minister Dr. Kalaignar has passed an order reducing the issue price of rice supplied through the Public Distribution System from Rs.3.50 a kilogram to Rs. 2 per kilogram. The Tamil Nadu Government has further reduced the issue price of rice from Rs.2 per kilogram to Re. 1 per kilogram, for which, as a Member of Parliament, I express my heartfelt thanks to our Chief Minister.

Tamil Nadu is the first State in India to issue rice at such a low price of Re.1 per kilogram under the Public Distribution System.

MADAM SPEAKER: Thank you so much. Please sit down. Shri Adhir Chowdhury.

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Madam, I am very much thankful to you for giving me this opportunity.

Day before yesterday, nine Members of the Legislative Assembly of West Bengal, visited an area named after Mangalkot only to provide relief materials to those people who have been forced to leave their hearths and homes.

13.00 hrs.

But the goons of that area, patronaged by the Ruling Party, have committed a murderous assault on those 9 MLAs. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: This is a State matter.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.00 p.m.

13.01 hrs.

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.

<u>14.03 hrs.</u>

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Three Minutes past Fourteen of the Clock.

(Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)

DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL), 2009-2010 - Contd.

Ministry of Agriculture
and
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up together the discussion and voting on Demand Nos.1 to 3 relating to the Ministry of Agriculture and Demand Nos.16 and 17 relating to the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution.

Hon. Members present in the House whose cut motions to the Demands for Grants relating to the Ministry of Agriculture and the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution have been circulated may, if they desire to move their cut motions, send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the cut motions they would like to move. Only those cut motions in respect of which intimation is received at the Table will be treated as moved.

A list showing the serial numbers of cut motions treated as moved will be put up on the Notice Board shortly thereafter. In case any member finds any discrepancy in the list, he may kindly bring it to the notice of the Officer at the Table immediately.

Motion moved:

> "That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2010, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1, 2 and 3 relating to the Ministry of Agriculture."

MR. DEPUTY SPEAKER : Motion moved:

> "That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2010, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 16 and 17 relating to the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution."

श्री राजनाथ सिंह (ग़ाज़ियाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां मिनिस्ट्री आफ एग्रीकल्चर और कंज्यूमर अफेयर्स, फूड व पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत वर्ष 2009-10 के लिए आने वाली अनुदान मांगों पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कोई कट मोशन मूव नहीं किया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के सामने वैसे ही फंड का इतना बड़ा संकट है। बजट वैसे ही इतना कम है, इसलिए मेरा यही दिल गवारा किया कि मैं एक रूपए कटौती करने की मांग न करूं, इसलिए मैं कोई कट मोशन नहीं लाया हूं। मैं केवल मिनिस्ट्री आफ एग्रीकल्चर की डिमांड्स फार ग्रांट्स पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, जब कभी भी संसद में कृषि पर कोई चर्चा हुयी है, तो उस पर बराबर गंभीर चर्चा हुयी है। सम्मानित सदस्यों ने इस देश की कृषि व्यवस्था पर अपनी गहरी चिंता भी व्यक्त की है। इतना ही नहीं, बराबर यह कहा जाता रहा है कि हमारा कृषि प्रधान देश है और साथ ही साथ कहा गया कि किसान यहां का अन्नदाता है, इसलिए दूसरा भगवान है। ऐसे बहुत सारे शाब्दिक अलंकरणों के द्वारा किसानों को विभूषित किया जाता रहा है, लेकिन आजादी के 62 वर्षों का समय गुजर जाने के बाद भी, हम यह देखते हैं कि कृषि क्षेत्र के हालात में जैसा सुधार होना चाहिए, वैसा सुधार आज तक नहीं हो पाया है। मैंने कहीं पढ़ा था और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने भी कहा था : Everything else can wait, but not agriculture. सब मामलों में प्रतीक्षा की जा सकती है, लेकिन कृषि के मामले में प्रतीक्षा नहीं की जा सकती है। चाहे किसी सरकार ने जब भी कोई बजट प्रस्तुत किया होगा, चाहे वह जनरल बजट प्रस्तुत किया होगा, अथवा कृषि से संबंधित बजट प्रस्तुत किया होगा, तो बराबर यही कहा होगा कि हमारी सरकार कृषि क्षेत्र का कायाकल्प करना चाहती है और किसानों के हालात को सुधारना चाहती है। यही सब दावे बराबर किए गए। लेकिन हमने यह देखा कि इसका परिणाम कोई खास नहीं निकला है, बल्कि कृषि क्षेत्र की स्थिति आजादी के 62 वर्षों के बावजूद बद् से बद्तर होती जा रही है। जबकि हम इस सच्चाई को जानते हैं कि इस देश का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, सबसे बड़ा कंज्यूमर यदि कोई है, तो वह हिंदुस्तान का किसान है। जिस दिन हिंदुस्तान के किसान की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, उसी दिन देश की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ चलने लगेगी। चाहे कोई किसी पेशे में लगा हुआ हो, मैं समझता हूं कि उसका भी पेशा ठीक तरीके से चलने लगेगा, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या का ग्राहक यदि कोई है, तो वह हिंदुस्तान का किसान है।

महोदय, कृषि की अनुदान मांग पर चर्चा करने के लिए मैं खड़ा हूं। मैं जानता हूं कि 40 मिनट, 50 मिनट अथवा 2, 4 या 10 घंटे के अंदर इस पर पर्याप्त चर्चा नहीं की जा सकती है। मैं पहले भी इस

संबंध में एक बार अनुरोध कर चुका हूं, इस सदन में नहीं, लेकिन दूसरे सदन में अनुरोध कर चुका हूं कि कृषि का विषय इतना संवेदनशील है कि एक बार भारत सरकार को इस पर एक स्पेशल सैशन बुलाना चाहिए। वह स्पेशल सैशन 10 या 15 दिन का हो, जिसमें कृषि के संबंध में एक विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। जब तक कृषि क्षेत्र के हालात में हम सुधार नहीं लायेंगे, तो जिस प्रकार के विकसित भारत का निर्माण हम करना चाहते हैं, एक डेवलप्ड भारत खड़ा करना चाहते हैं, वैसे डेवलप्ड भारत को खड़ा कर पाना, हमारे लिए किसी भी सूरत में संभव नहीं होगा।

महोदय, जहां तक इस देश के कृषि के हालात का प्रश्न है, हमारे देश की लगभग 75 करोड़ जनसंख्या आज भी कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुयी है अथवा लोग कृषि पर पूरी तरह से आधारित हैं। मैं मान रहा हूं कि आज की हमारे देश की जनसंख्या लगभग 120 करोड़ के आसपास हो गयी है। हमारे देश की जितनी टोटल वर्क-फोर्स है, उस वर्क-फोर्स के 55 प्रतिशत लोग आज कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं, लेकिन एग्रीकल्चर ग्रोथ में तेजी के साथ गिरावट आ रही है, आत्महत्या की घटनायें बढ़ रही हैं, इसके साथ ही साथ गांवों से शहरों की तरफ पलायन भी तेजी के साथ हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि फार्मर और नॉन-फार्मर्स के बीच पहले इंकम का रेश्यो 1:2 हुआ करता था, 1:3 हुआ करता था आज वह बढ़कर 1:6 से 1:8 तक पहुंच गया है।

सबसे अधिक बेरोजगार, सबसे अधिक लोग कुपोषण के शिकार यदि कहीं हैं तो वह कृषि के क्षेत्र में हैं। लेकिन यह बात हमारी समझ के परे है कि कब तक सराकर इसी प्रकार से मार्किट बॉरोइंग करती रहेगी, फिस्कल डैफीसिट को बढ़ाती रहेगी। इन सबके बावजूद एग्रीकल्चरल ग्रोथ जितनी तेजी के साथ बढ़नी चाहिए, वह एग्रीकल्चरल ग्रोथ उतनी तेजी के साथ नहीं बढ़ पाती है। यदि यही सिलसिला आगे बढ़ता रहा और इसी तरीके से हम चलाते रहे, तो मैं समझता हूं कि कृषि के क्षेत्र में हमें किसी भी सूरत में वांछित विकास प्राप्त नहीं हो पाएगा।

चार्वाक ने जो कहा है, वह मुझे याद आता है -

यावत जीवेत् सुखम् जीवेत् ऋणम कृत्वा धृतं पिवेत।
भस्मीभूतः देहस्य पुनरागमनम् कुतः।।

यानी जब तक जीयो, कर्ज लेकर जीयो, सुख से जीयो, नहीं तो यदि यह शरीर ही भस्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद क्या बचेगा। मुझे लगता है कि हमारी यह सरकार भी इसी प्रकार की नीति अपना रही है। मैं जहां कृषि क्षेत्र के इन सारे प्रश्नों पर संसद का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वहीं हमारे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं जिन्हें मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा, क्योंकि भारत के पास इस समय विश्व का सबसे

बड़ा रिसर्च और एक्सटैंशन सिस्टम है। हमारे यहां आईसीएआर है। आईसीएआर से जुड़ी हुई लगभग सौ इस प्रकार की संस्थाएं हैं। लेकिन इतनी संस्थाएं होने के बावजूद भारत अपनी प्रोडक्टिविटी को ग्लोबल ऐवरेज प्रोडक्टिविटी के समक्ष खड़ा नहीं कर पा रहा है। आज हम ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, माडर्नाइजेशन के बाद ग्लोबल कम्पीटिशन में आकर खड़े हो गए हैं, फिर भी उनके सामने टिक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी ग्लोबल ऐवरेज प्रोडक्टिविटी से काफी कम है। हम जानते हैं कि हमारे देश में हर प्रकार की फसल पैदा होती है। हमारे देश में किसी प्रकार की विविधता और क्षमता की कमी नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद आज फूड प्रोसैसिंग, जो एग्रीकल्चर का एक ऐलाइड सैक्टर है, यदि फूड प्रोसैसिंग के मामले में देखा जाए तो भारत फूड प्रोसैस्ड आइटम्स का बामुश्किल दो प्रतिशत ही एक्सपोर्ट कर पाता है। भारत कैसे ग्लोबल कम्पीटिशन में खड़ा हो पाएगा, कैसे हमारे देश का किसान ग्लोबल कम्पीटिशन में खड़ा हो पाएगा।

जहां तक फूड प्रोसैसिंग के लिए बजट ऐलोकेशन का प्रश्न है, बजट को देखने के बाद निराशा हुई है। बजट ऐलोकेशन फूड प्रोसैसिंग के लिए पूरी तरह नॉमिनल है। हमारा कहना है कि वैल्यू एडीशन का लाभ क्या सरकार किसानों को नहीं देना चाहती है? क्या यह सरकार देश के किसानों को सीधा बाजार के साथ नहीं जोड़ना चाहती है? जहां तक एडवांस रिसर्च का प्रश्न है, एडवांस रिसर्च में भी भारत दुनिया के किसी देश से पीछे नहीं है। फिर भी जहां तक साग-सब्जियों, फल-फूल का प्रश्न है, वे इतनी बड़ी मात्रा में बर्बाद होते हैं कि इंग्लैंड में फल-फूल और साग-सब्जियों का जितना कंजम्शन होता है, उससे अधिक मात्रा में हमारे देश में बर्बादी हो रही है। लेकिन उसकी कोई चिन्ता नहीं है, उनके भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं है, कोल्ड चेन बनाने की कोई व्यवस्था नहीं है। यह भी एक बहुत बड़ा संकट है जिसका खामियाज़ा हमारे देश के किसानों को ही भुगतना पड़ता है।

जब फाइनैंस मिनिस्टर बजट स्पीच दे रहे थे, उन्होंने यह बात कही कि भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में जो सबसिडी दी जाती है, उस सबसिडी का लाभ अब सीधे किसानों तक पहुंचाया जाएगा, वह सबसिडी किसानों को दी जाएगी। वित्त मंत्री जी ने किसानों को सबसिडी देने की बात तो कही, उन्हें इस बात की जानकारी है या नहीं, मैं नहीं कह सकता, कि 12 करोड़ से अधिक किसान परिवार हैं। लेकिन बामुश्किल 3 करोड़, 60 लाख किसान परिवारों का ही बैंकों में एकाउंट्स है। आज से तीन साल पहले लगभग 4 करोड़ ऐसे कृषक परिवार थे, जिनका बैंकों में एकाउंट्स था, लेकिन वह संख्या घटती जा रही है। आपने लोन वेवर्स पर लगभग 60 हजार करोड़ रुपया खर्च किया है, उसके बावजूद बैंकों में कृषक परिवारों के एकाउंट्स की संख्या निरंतर कम होती जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले कहा कि वैश्वीकरण, आधुनिकीकरण के बाद भारत का किसान भी ग्लोबल कम्पीटिशन में अपने को खड़ा करना चाहता है। इस ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन के बाद भारत भी डब्ल्यूटीओ का सिगनेटरी बन गया है। उस ग्लोबल कम्पीटिशन में हम कैसे खड़े हों, इसके लिए भी विशेष चिन्ता किए जाने की आवश्यकता है। अब फसलों की इतनी विविधता होने के बावजूद, मैं किसान परिवार का होने के नाते जानता हूं कि जितनी फसलें भारत में पैदा होती हैं, विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है, जहां इतनी प्रकार की, इतनी वैरायटीज की फसलें पैदा होती हैं। लेकिन फिर भी क्रॉप शिफ्ट प्रोग्राम की ओर हमारी सरकार को जितना ध्यान देना चाहिए, उतना नहीं दे रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, हम एग्रीकल्चर जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए यहां खड़े हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि लोक सभा और राज्य सभा का अपना-अपना चैनल है। लोक सभा और राज्य सभा की कार्यवाही यदि किसी व्यक्ति को देखनी होती है, तो वह अपने घर् में बैठकर लोक सभा और राज्य सभा के चैनल्स को खोलकर बड़े आराम से देख सकता है। लेकिन इस देश की 60-65 फीसदी आबादी जिस पेशे में लगी हुई है, उस कृषि पेशे से जुड़ा हुआ एक भी चैनल आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको मनोरंजन, न्यूज, फैशन, धर्म, संस्कृति आदि हर प्रकार के चैनल्स देखने को मिल जायेंगे, लेकिन एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ कोई भी चैनल आपको देखने को कभी नहीं मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं गांव का रहने वाला हूं, इसलिए जानता हूं कि जब हम छोटे थे तब गांव में टेलीविजन नहीं हुआ करता था। उस समय किसान शाम के समय रेडियो खोलकर बैठता था और जो प्रोग्राम्स आते थे, उसी आधार पर कभी-कभी गांव में रहने वाला किसान भी अपने खेती के पैटर्न के संबंध में डिसीजन लेता था। आज भारत के कृषि वैज्ञानिक एग्रीकल्चर रिसर्च जितनी तेजी से कर रहे हैं, उस एडवांस टेक्नोलॉजी का लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। हमारा कहना है कि कहीं न कहीं हमारे जो एक्सटैंशन प्रोग्राम्स चलाये जा रहे हैं, उनमें कमी आ गयी है।

मुझे याद है कि जब मैं गांव में रहकर कक्षा छः, सात और आठ में पढ़ता था, तो वहां ग्राम सेवक और पंचायत सेवक हुआ करते थे। वे ग्राम सेवक, पंचायत सेवक किसानों के पास जाकर गांव-गांव सीधा सम्पर्क करते थे और उनको बताते थे कि तुम इस प्रकार का बीज खेत में डालो, इतने समय के बाद सिंचाई और बुआई करो आदि तरह-तरह बातें बताते थे, तो उसके अनुसार किसान अपनी फसल पैदा करता था और अपनी उत्पादकता को बढ़ाता था। आज संसद में, मैं इस चर्चा के माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि कृषि मंत्री रहते हुए, जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधान मंत्री थे, उनकी इजाजत से मैंने कृषि चैनल प्रारंभ करने का निर्णय लिया। मैं जानता हूं कि हमारे कृषि मंत्री जी भी

गांव के ही रहने वाले हैं। वे गांव, गरीब और किसानों के प्रति संवेदनशील हैं। निश्चित रूप से कृषि चैनल प्रारंभ किए जाने के संबंध में वे फैसला लेंगे।

मैं कहना चाहता हूं कि कृषि चैनल के माध्यम में हम रिसर्च टेक्नोलॉजी की बहुत सारी चीजें किसानों तक पहुंचा सकते हैं। गांव का किसान उस चैनल को देखने में बहुत अधिक रुचि लेगा। आज कृषि की जो वर्तमान स्थिति है, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा कि वर्ष 1950 में नैशनल इनकम में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन लगभग 55 परसेंट था, लेकिन आज वह घटकर एप्रॉक्सीमेटली 17 परसेंट तक पहुंच गया है। उस समय खेती पर जितने लोग निर्भर थे, आज उस पर निर्भर रहने वालों की संख्या पहले की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ गयी है।

यदि पिछले 60 सालों में देखा जाए, एग्रीकल्चर के ग्रोथ रेट का यदि एवरेज निकाला जाए, आज तो एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट दो प्रतिशत से भी कम हो गयी है, लेकिन सन् 1950 से लेकर आज तक अगर हम एवरेज ग्रोथ रेट निकालें, तो हम देखते हैं कि यह दो से 2.5 प्रतिशत के लगभग आएगी, यह इससे अधिक नहीं है। जहां पर आज भी जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्युशन लगभग 16 से 17 प्रतिशत है, वहीं पर कृषि के लिए हमारा प्लान्ड आउटले महज दो से तीन फीसदी तक ही रह गया है। मैं यह देख रहा था कि अब तक की पंचवर्षीय योजनाओं में प्रति हेक्टेअर पब्लिक इनवेस्टमेंट कितना हुआ। मैं उसके आंकड़े यहां पर देना चाहता हूं - पांचवीं पंचवर्षीय योजना, उससे पहले की पंचवर्षीय योजनाओं के आंकड़ें मैंने यहां नहीं रखे हैं, में प्रति हेक्टेयर 63 रूपए खर्च किए गए, छठीं पंचवर्षीय योजना में 34 रूपए खर्च किए गए। इसके बाद यह खर्च निरंतर घटता गया, केवल एक बार एनडीए के शासनकाल में यह कुछ बढ़ा था, लेकिन उसके बाद यह निरंतर घटता जा रहा है और आज यह घटकर मात्र 12 से 14 रूपए प्रति हेक्टेअर रह गया है। इतनी दयनीय स्थिति है। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि केवल पब्लिक इनवेस्टमेंट बढ़ाने से एग्रीकल्चर में ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, हमें प्राइवेट इनवेस्टमेंट भी एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ाना होगा। उसके लिए एक ऐसा अनुकूल वातावरण पूरे देश में तैयार करना होगा, जिससे हमारा पब्लिक इनवेस्टमेंट बढ़े और उसके साथ ही प्राइवेट इनवेस्टमेंट भी तेजी के साथ बढ़े। कृषि के प्रति उपेक्षा के इसी रवैये के कारण ही देश में कृषि के मामले में हमें कोई बड़ा परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। भारत के कृषि क्षेत्र में एक इनहेरेन्ट स्ट्रेंथ है, जिसे एक्सप्लॉइट करने की जरूरत है। सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए कि भारत की यह जो इनहेरेन्ट स्ट्रेंथ है, उसे कैसे और अधिक एक्सप्लॉइट कर सकते हैं।

श्रीमन्, कृषि एवं उसके एलाइड सेक्टर्स में ग्रॉस कैपिटल फार्मेशन वर्ष 2001-02 में 11.7 प्रतिशत था। मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 1999-2000 में यह 10.2 प्रतिशत, वर्ष 2000-2001 में 9.7 प्रतिशत, वर्ष 2001-02 में 11.7 प्रतिशत और वर्ष 2003-04 में 10.3 प्रतिशत रहा। कृषि का ग्रॉस कैपिटल फार्मेशन में

यह कंट्रीब्युशन रहा है, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कृषि का ग्रॉस कैपिटल फार्मेशन में कंट्रीब्युशन घटकर सात फीसदी से भी कम हो गया है। पिछले पांच वर्ष लगातार यूपीए की सरकार रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि पांच वर्षों में जीसीएफ में एग्रीकल्वर सेक्टर का कंट्रीब्युशन बढ़ने की बजाय क्यों घटा? आप कैसे यह दावा करते हैं कि यह सरकार कृषि क्षेत्र के विकास पर भरपूर ध्यान दे रही है और किसानों के हालात सुधारने के प्रति पूरी तरह से गंभीर है? कृषि का जीसीएफ में कंटीब्युशन कैसे बढ़ेगा, यह बढ़ भी नहीं सकता है क्योंकि उत्पादन लगातार गिरता जा रहा है। जितने भी प्रमुख जीन्स हैं, उनका उत्पादन तेजी के साथ गिरा है। मैं दालों के संबंध में बताना चाहूंगा जिनकी कीमत आज आसमान छू रही है, 80 रूपए, 90 रूपए प्रति किलोग्राम तक दाल की कीमत बाजार में पहुंच गयी है। वर्ष 2008-09 में इसका कुल प्रोडक्शन 40.18 मिलियन टन रहा, जो वर्ष 2007-08 की तुलना में 3.9 फीसदी कम है। इसी तरह से तिलहन के उत्पादन में भी कमी आई है। मैं बहुत विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता हूं क्योंकि इसमें समय लगेगा। गन्ना, जिसके साथ हमारे कृषि मंत्री जी भी जुड़े हुए हैं, उनको भी इसकी जानकारी होगी कि गन्ने के उत्पादन में भी कमी आई है। वर्ष 2007-08 में जहां गन्ने का उत्पादन 3482 लाख टन था, वह वर्ष 2008-09 में घटकर 2892 लाख टन ही रह गया। कपास के उत्पादन में भी तेजी से गिरावट आई है।

उपाध्यक्ष महोदय, देश में बहुत साल पहले ग्रीन रिवोल्यूशन हुई थी। यह सरकार अब दूसरी ग्रीन रिवोल्यूशन की बात कर रही है और उसका दावा भी कर रही है। यह बात हमारी समझ में नहीं आती कि हम दूसरी ग्रीन रिवोल्यूशन को कैसे देश में कायम करेंगे और कैसे वह प्रारम्भ होगी। प्रधान मंत्री जी ने यह भी दावा किया है कि आज जो खाद्यान्न का उत्पादन है वह 200 से 230 मिलियन टन है, उसे वर्ष 2015 तक हम दोगुना कर देंगे। हम कैसे इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, यह बात हमारी समझ के परे है। मैं यह कहना चाहता हूं कि दूसरी ग्रीन रिवोल्यूशन की चर्चा बार-बार न करें, बल्कि एक बार 10-15 या 20 दिनों के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाएं और एवरग्रीन रिवोल्यूशन की बात हमें करनी चाहिए, ताकि कृषि के क्षेत्र में सतत् विकास होता रहे और इसमें किसी प्रकार की कमी न आने पाए। हमारा कहना है कि एवरग्रीन रिवोल्यूशन में प्रोडक्टिविटी को सीधे बाजार से जोड़ा जाना चाहिए और साथ ही साथ उपभोक्ताओं से भी जोड़े जाने की जरूरत है। इस पर सरकार ध्यान दे, मेरा यह सरकार से आग्रह है।

सरकार द्वारा खाद्यान्न बढ़ाने की बात कही जाती है। मैंने पहले ही कहा कि इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे, जो आप वर्ष 2015 तक जो अभी 200-230 मिलियन टन अनाज पैदा होता है, उसे दोगुना करने की बात कर रहे हैं, यह बात हमारी समझ में नहीं आती। मैं इस सम्बन्ध में कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। सन् 2005-2006 से लेकर सन् 2007-2008 तक, इन तीन वर्षों में हमारा कुल उत्पादन मात्र एक

करोड़ टन बढ़ा है, जबकि लक्ष्य है कि हम इसे 2015 तक 40 करोड़ टन तक ले जाएंगे। इस सरकार ने यह मिनीमम लक्ष्य निर्धारित किया है। सन् 2007-2008 में कुल खाद्यान्न का लक्ष्य 23 करोड़ 30 लाख टन था, जो घटकर और भी कम रह गया है। यदि सरकार तीन साल में एक करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाएगी, तो वर्ष 2015 तक हम कितना उत्पादन बढ़ा सकते हैं, यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। मैं समझता हूं कि 40 करोड़ टन तक फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इस सरकार को कम से कम 40 साल का समय चाहिए, तब जाकर वह इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2002-2003 से लेकर वर्ष 2007-2008 तक की आबादी की चर्चा करना चाहता हूं और साथ ही साथ हमारे देश में खाद्यान्न उत्पादन कितना बढ़ा है, उसकी तुलना करना चाहता हूं। हमारे देश की आबादी इस दौरान लगभग आठ फीसदी बढ़ी है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन में केवल पांच फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है। यह बात हमारी समझ में नहीं आती है कि इस शार्टफॉल को पूरा करने के लिए हमारी सरकार के पास कौन सी योजना है? सरकार का क्या एक्शन प्लान है? आबादी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन तेजी से घट रहा है, तो कोई न कोई सरकार के पास ऐसा रोड मैप होना चाहिए, जिससे शार्टफॉल को पूरा किया जा सके।

अब मैं कृषि के सम्बन्ध में इस सरकार की गम्भीरता की चर्चा करना चाहूंगा। सन् 2009-2010 के बजट में कृषि के लिए बजट एलोकेशन 10,629 करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 550 करोड़ रुपए अधिक हैं। कृषि के क्षेत्र में कौन सा ऐसा करिश्मा हो जाएगा, कैसे यह सरकार कृषि के क्षेत्र में चमत्कार पैदा करेगी, यह बात हमारी समझ में नहीं आती है। सरकार कहती है कि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रेडिट फ्लो बढ़ा दिया है। पहले 2 लाख 87 हजार करोड़ रुपए था, उसे बढ़ा कर इस बार के बजट में 3 लाख 35 हजार करोड़ रुपया इस सरकार ने किया है। मैं इसका स्वागत करता हूं।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): आपके जमाने में 85 हजार करोड़ रुपए था।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, जब आपको मौका मिलेगा, तब आप अपनी बात कहना।

...(व्यवधान)

श्री संजय निरूपम (मुम्बई उत्तर): उन्होंने तो सिर्फ याद दिलाया है कि एनडीए सरकार के समय तो इतना था।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाएं।

श्री राजनाथ सिंह : मुझे सब कुछ याद है, वह भी मैं बताऊंगा। कृषि मंत्री जी का जवाब आएगा, तब वह बताएंगे।

अब क्रैडिट फ्लो बढ़ाने के बावजूद जैसा मैंने कहा कि ऐसे किसान परिवार जिनका बैंकों में एकाउंट है उनकी संख्या घटी है, इस गंभीर प्रश्न पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। क्रैडिट फ्लो तो बढ़ा दिया लेकिन इंट्रेस्ट-सब्सिडी को इस सरकार ने घटा दिया। क्रैडिट फ्लो आपने बढ़ा दिया, लेकिन इंट्रेस्ट-सब्सिडी को घटा दिया, स्वभावतः ऐसे किसान परिवारों की संख्या कम हो जाएगी, जिनका बैंकों में एकाउंट है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपनी स्पीच में कहा भी है कि

> "To achieve this, I propose to continue the interest subvention scheme for short-term crop loans to farmers for loans upto Rs. 3 lakh per farmer at the interest rate of 7 per cent per annum. I am also happy to announce that, for this year, the Government shall pay an additional subvention of one per cent as an incentive to those farmers who repay their short-term crop loans on schedule. Thus, the interest rate for these farmers will come down to six per cent per annum. For this, I am making an additional Budget provision of Rs. 411 crore over Interim Budget Estimate."

SHRI ADHI SANKAR (KALLAKURICHI): In case of timely repayment, it is zero per cent in Tamil Nadu. … (*Interruptions*)

श्री राजनाथ सिंह : यह बात फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक्सपेंडिचर बजट के पेज 16 की ओर दिलाना चाहता हूं। इस पेज पर स्पष्ट लिखा है कि शॉर्ट-टर्म-क्रैडिट का इंट्रेस्ट सबवेंशन वर्ष 2008-2009 के 2600 करोड़ की अपेक्षा वर्ष 2009-2010 में 2011 करोड़ कर दिया गया। यानी इंट्रेस्ट सबवेंशन जो पहले 2600 करोड़ रुपये था उसे घटाकर 2011 करोड़ रुपये कर दिया। इससे किसानों को क्या लाभ मिलेगा? मैं मानता हूं कि इस प्रकार के क्रैडिट फ्लो का फायदा बड़े-बड़े किसान उठा लेंगे, लेकिन छोटा किसान बढ़ाये हुए क्रैडिट फ्लो का लाभ नहीं उठा पाएगा। अधिक से अधिक कर्ज का लाभ किसान उठा सके, इसकी चिंता भारत सरकार को करनी पड़ेगी। स्मॉल और मार्जिनल किसान इसका लाभ नहीं उठा पाएगा। इसलिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग का लाभ अधिक से अधिक किसानों को मिल सके, इसके लिए कोई रोडमैप इस सरकार को बनाना पड़ेगा।

क्रैडिट फ्लो सरकार ने बढ़ा दिया, उससे कुछ किसानों को लाभ मिला है, मैं इस सच्चाई को स्वीकार करता हूं लेकिन यह भी सच है कि हमारे बैंक्स की जो बैलेंस-शीट है, उसमें बैड-लोन्स से उबारने की कोशिश उन्होंने की है और इससे उन्हें मदद भी मिली है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आपने जो

क्रैडिट फ्लो बढ़ाया है, मैं इसका स्वागत करता हूं लेकिन इंट्रेस्ट-सब्सिडी आपने घटाई है, इसके कुछ ही किसानों को लाभ मिलेगा, छोटे किसानों के इससे लाभ नहीं मिलेगा।

हम लोगों ने फारमर्स कमीशन बनाया था, उसकी रिक्मेंडेशन थी कि इस देश के किसानों को 4 प्रतिशत रेट पर कर्ज मुहैया कराया जाना चाहिए। आज मैं 4 प्रतिशत रेट की बात नहीं करता हूं, बल्कि आज मैं कहना चाहूंगा कि किसानों के लिए रेट ऑफ इंट्रेस्ट 4 प्रतिशत से भी कम होना चाहिए। हमारी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकार अपने किसानों को 4 प्रतिशत से कम पर कर्ज मुहैया करा रही है। यदि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक सरकार 4 प्रतिशत से कम पर किसानों को कर्ज मुहैया करा रही है तो भारत सरकार इस देश के किसानों को 4 प्रतिशत से कम रेट पर ऋण मुहैया क्यों नहीं करा सकती, यह बात हमारी समझ के परे है।

एनडीए के इलैक्शन मैनीफैस्टो में हम लोगों ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 4 प्रतिशत से कम रेट पर हम कर्ज मुहैया कराएंगे और जब कभी हमें अवसर मिलेगा तो हम इस काम को अवश्य करेंगे। जब मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर था तो 4 प्रतिशत रेट की बात करता था लेकिन आज के हालात को देखते हुए हमारा कहना यह है कि 4 प्रतिशत से कम पर कर्ज मुहैया कराया जाना चाहिए।

इस समय सूखे और बाढ़ का संकट है। इस देश में कहीं न कहीं सूखे और बाढ़ का संकट आता रहता है । मैं कहता हूं कि एक नीतिगत फैसला इस सरकार को करना चाहिए कि जिस क्षेत्र का किसान सूखे और बाढ़ से प्रभावित होता है, उसका कम से कम उस वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरी तरह से माफ कर दिया जाना चाहिए। यह भी मैं संसद में अनुरोध करना चाहूंगा। इस बार भी बहुत सारे क्षेत्र सूखे से प्रभावित हुए हैं। आपको भी जानकारी है। मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और इस बार का कोई ब्याज किसान को न देना पड़े, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें।

मैंने यह अनुभव किया है कि शॉर्ट-टर्म प्लानिंग कृषि क्षेत्र के हालात को सुधारने के लिए बराबर होती रही है। लेकिन मैं आज निवेदन करना चाहता हूं कि केवल शॉर्ट-टर्म प्लानिंग से ही काम नहीं चलेगा, एक लाँग-टर्म प्लानिंग भी होनी चाहिए। इसीलिए मैंने एक स्पेशल बुलाने की जो बात कही है कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन केवल इसी विषय पर चर्चा होनी चाहिए और इसके बाद हमारा वह लाँग-टर्म-एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, इस पर हम सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए। एक बहुत बड़ा संकट बीमे से संबंधित है। सूखे से, बाढ़ से फसल बर्बाद होती है और एक ही साल सूखा आता हो और फिर दूसरे साल न आता हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बाढ़ एक ही वर्ष आएगी, फिर दूसरे-तीसरे वर्ष नहीं आएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मैं जानता हूं कि आप जिस झारखंड के रहने वाले हैं जो वर्षों-

वर्षों तक, तीन वर्ष, चार वर्ष और पांच वर्ष से लगातार सूखे से प्रभावित है। किसान अपने खेत की जुताई, बुवाई औऱ सिंचाई करता है, सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी बाढ़ और और सूखे से उसकी फसल बर्बाद हो जाती है और फिर वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता है। इस संकट से किसान को उबारने के लिए भी सरकार को विचार करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी का इस बात की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मैंने कृषि मंत्री रहते हुए इस योजना पर विचार किया था। मैंने कहा कि यदि मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस हो सकता है, डैमेज होने पर इंश्योरेंस कॉरपोरेशन उसको कमपनसेट कर सकता है तो किसान के खेत की, किसान के लैंड-होल्डिंग की गारंटीड इनकम क्यों नहीं हो सकती? गारंटीड इनकम निकालने का क्या तरीका होता है, कृषि मंत्रालय में इस बात की जानकारी है। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगा कि कृपया उसे देखें और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अपनी पहली बजट स्पीच देते हुए तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम साहब ने यह कहा था कि यह जो इंश्योरेंस की व्यवस्था है, यह ठीक है और इस पर हमारी सरकार गंभीरता पूर्वक विचार करेगी तथा कुछ संशोधनों के साथ इसे हम लागू करेंगे। लेकिन हमारी एक स्कीम फॉर्म इंकम इंश्योरेंस स्कीम-कृषि आमदनी बीमा योजना थी जिसे बिल्कुल डस्टबिन में डाल दिया गया है।

एक योजना हम लोगों ने किसान क्रैडिट-कार्ड की प्रारम्भ की थी। वह एक शॉर्ट-टर्म-क्रैडिट की हमारी व्यवस्था थी और बहुत सारे किसानों को किसान क्रैडिट कार्ड मिला लेकिन आज भी मुझे सचमुच यह बताते हुए तकलीफ होती है कि आज भी बारह या साढ़े बारह करोड़ जो किसान परिवार हैं, उनमें से बड़ी मुश्किल से आठ या साढ़े आठ करोड़ किसानों के पास ही किसान क्रैडिट कार्ड हैं और किसान क्रैडिट कार्ड का लाभ किसान महसूस करता है। किसान का कहना है कि शॉर्ट-टर्म लोन की जो व्यवस्था सरकार ने की है, वह बहुत अच्छी व्यवस्था है और इससे हमें बहुत लाभ हुआ है। लेकिन विडम्बना यह है कि आज यदि किसान इस किसान-क्रैडिट-कार्ड को लेने के लिए बैंकों में जाता है तो वहां वह देखता है कि करप्शन का बहुत बोलबाला है। उसे पैसे की अदायगी करनी पड़ती है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 50,000 रुपये का क्रैडिट-कार्ड अगर उसे लेना है तो हमें तो बिहार में और एक-दो राज्यों से पता चला है और किसी ने बताया कि साहब, हमें 5000, 10000 रु. की अदायगी करनी पड़ती है। कुछ राज्य के किसानों ने यह कहा है कि जब तक हम दो या तीन हजार रुपया अदा नहीं करेंगे तब तक हमको किसान क्रैडिट-कार्ड ही नहीं मिलेगा। इस करप्शन पर कैसे नियंत्रण पाया जा सकता है, मैं समझता हूं कि इस ओर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

महोदय, बार-बार यह चर्चा सदन में आई है कि जो हमारे बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशनल बैंक्स हैं, केवल उन्हीं से ही कर्ज नहीं लेता है, बल्कि 75 फीसदी से अधिक किसान यदि कर्ज लेता है तो महाजनों से कर्ज लेता है। जो हमारे नॉन-इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं, उनके माध्यम से वह कर्ज लेता है जिसे महाजनी कर्ज कहते हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने कहा है हम टास्क फोर्स बना रहे हैं। इस संबंध में ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं कहूंगा कि टास्क फोर्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस टास्क को वह लगातार पांच वर्षों तक करता रहे बल्कि इसके लिए टास्क फोर्स से टाइम बाउंड रिपोर्ट मंगवा लें ताकि किसान इसका पूरा लाभ उठा सके। यह केवल विदर्भ के लिए या महाराष्ट्र के लिए होने से काम नहीं चलेगा यह पूरे देश के लिए होना चाहिए। माननीय मंत्री जी सिर हिला रहे हैं इसका मतलब है कि केवल महाराष्ट्र के लिए नहीं होगा बल्कि सारे देश के लिए होगा।

माननीय महोदय, मैं क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में भी चर्चा करना चाहूंगा। क्रॉप इंश्योरेंस कराने वाले किसानों की संख्या बहुत कम है। फसल बीमा सभी किसान नहीं करा पाते हैं। हमारा फसल बीमा के बारे में कहना है कि आपको फार्म इनकम इंश्योरेंस स्कीम लानी चाहिए जिसमें लैंड होल्डिंग इनकम की गारंटी तय हो। जिस तरह से आप मोटर व्हीकल इंश्योरेंस अनिवार्य कर देते हैं उसी तरह से किसानों की लैंड होल्डिंग इंश्योरेंस कम्पलसरी कर दें। अब एक संकट प्रीमियम का आता है कि प्रीमियम कहां से दें? जब हमने फार्म-इनकम-इंश्योरेंस स्कीम बनाई थी तब मैंने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी से कहा - हमारे देश का किसान प्रीमियम की अदायगी पूरी नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी इतनी आमदनी नहीं है और जब प्रीमियम की अदायगी नहीं होगी तो स्वाभाविक है कि किसान अपना इंश्योरेंस नहीं करेगा। तब उन्होंने पूछा - आप चाहते क्या हैं? मैंने कहा - मैं केवल स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर यह नहीं छोड़ना चाहता हूं बल्कि चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने एक्सचेकर से 75 परसेंट प्रीमियम की अदायगी करे। इससे अटल जी सहमत भी हो गए। तब इसी सदन के सम्मानित सदस्य, श्री जसवंत सिंह, फाइनेंस मिनिस्टर थे और इस स्कीम को देखने के बाद उन्होंने कहा था - राजनाथ जी, इस स्कीम को यदि आप पहले चरण में सौ से भी अधिक जिलों में लागू करना चाहेंगे तो जितने भी पैसे की आवश्यकता होगी, देंगे। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इसे निश्चित रूप से वहां दें।...(व्यवधान) हमने 20 जिलों में यह एक्सपेरिमेंट शुरू किया था लेकिन चुनाव की घोषणा हो गई थी और उसके बाद यह नहीं हुआ।...(व्यवधान) यह स्कीम है। यह आरोप प्रत्यारोप का सवाल नहीं है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आपस में बात न करें।

...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : महोदय, कृषि का विषय बहुत संवेदनशील है। मैं केवल आरोप लगाने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं अपनी प्रशस्ति या आन के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। वित्त मंत्री जी और कृषि मंत्री जी, दोनों यहां बैठे हुए हैं, हम प्रमुख प्रतिपक्षी दल हैं, शेष प्रमुख दल भी यहां मौजूद हैं, मैं यह कहना चाहता हूं कि कृषि क्षेत्र में ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए, किसानों के हालात को सुधारने के लिए जिस प्रकार के सहयोग की जरूरत है, उसके लिए हम पूरी तरह से इनके साथ खड़े हैं। इसे आरोप प्रत्यारोप के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।

महोदय, मैं यहां कोऑपरेटिव के बारे में भी चर्चा करना चाहता हूं क्योंकि कोऑपरेटिव की एग्रीकल्चर सैक्टर में बहुत बड़ी भूमिका है। कोऑपरेटिव बहुत बड़ा मूवमेंट है और मैं कह सकता हूं कि किसी भी देश में इतना बड़ा मूवमेंट नहीं है जितना बड़ा मूवमेंट हमारे देश में है। हमारे यहां 0.5 मिलियन सोसाइटीज़, 230 मिलियन्स मैम्बर्स, 1.5 मिलियन एम्पलाइज़ कोऑपरेटिव में काम कर रहे हैं। लेकिन यह भ्रष्टाचार और राजनीतिकरण का शिकार हो गया है। इसे राजनीतिकरण और भ्रष्टाचार से कैसे उबारा जाए, इस पर भी गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। कोऑपरेटिव्स का ढांचा ध्वस्त होता जा रहा है और एक-दो राज्य ऐसे बचे हैं जहां अपेक्षा के अनुरूप जैसा ढांचा कोऑपरेटिव के इन्फ्रास्ट्रक्चर का होना चाहिए, वैसा है। सरकार की तरफ से कोऑपरेटिव्ज का एनकरेजमैन्ट कैसे हो, मैं समझता हूं कि इस संबंध में भी विचार करने की आवश्यकता है। जब सोसाइटीज की संख्या बढ़ेगी तो मैम्बर्स की संख्या बढ़ेगी और खर्च भी निश्चित रूप से बढ़ेगा।

महोदय, पिछले 25 वर्षों से इनकम टैक्स का एक रूप चला आ रहा था। इनकम टैक्स से कोऑपरेटिव्ज को एग्जैम्पशन थी। लेकिन दो-ढाई, तीन वर्षों से इन पर फिर से इनकम टैक्स इम्पोज कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इनकम टैक्स जो 25 वर्षों से एग्जैम्प्टिड था, आपने उसे फिर से इम्पोज किया है। मैं समझता हूं कि कोऑपरेटिव क्षेत्र को इनकम टैक्स से पूरी तरह से एग्जैम्प्ट कर दिया जाना चाहिए। यह मांग भी मैं आपसे करना चाहूंगा। कोऑपरेटिव्ज के रिवाइवल के बारे में भी मैं समझता हूं कि एक पालिसी फॉर्मुलेट करने की आवश्यकता है। इस संबंध में भी विचार होना चाहिए। कई ऐसी स्टेट्स की कोऑपरेटिव्ज हैं, जहां इलैक्शन समय पर नहीं होते हैं, वहां समय पर इलैक्शन हों, इसके लिए एक प्रकार की संवैधानिक बाध्यता होनी चाहिए। कोऑपरेटिव्ज से लोन लेने वालों को कम रेट ऑफ इंटरैस्ट पर लोन मिल सके, इसके बारे में भी आज विचार करने की आवश्यकता है। 'नाबार्ड' रीफाइनैन्सिंग एजेन्सी है। आर.बी.आई. से नाबार्ड को और अब तो सरकार भी नाबार्ड को डिफरैन्ट एजेन्सीज के प्रोग्राम्स को इम्पलीमैन्ट कराने के लिए पैसा देती है। लेकिन हमारा कहना

है कि नाबार्ड जो कोऑपरेटिव्ज बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को पैसा देता है, वह आज आठ से लेकर दस फीसदी तक रेट ऑफ इटरैस्ट पर देता है। हमारा कहना है कि इसे और कम कीजिए, ताकि हमारे किसान यदि कोऑपरेटिव्ज से लोन लेना चाहते हैं तो उन्हें तीन, चार या पांच फीसदी की अधिकतम दर पर कर्ज की सुविधा प्राप्त हो सके, इसलिए इस रेट ऑफ इंटरैस्ट को भी कम करने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने बहुत सारे स्टिमुलस पैकेज दिये हैं। लेकिन वे सब चुनाव के पहले दिये हैं, हालांकि बाद में भी कुछ स्टिमुलस पैकेज दिये हैं। लेकिन आप पूरा बजट देख डालिये, कृषि क्षेत्र के लिए कोई स्टिमुलस पैकेज नहीं है।

कृषि क्षेत्र का एक संकट सॉइल हैल्थ, मिट्टी के स्वास्थ्य को लेकर है। मिट्टी की फर्टिलिटी भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मैं समझता हूं कि सॉइल हैल्थ कार्ड हर किसान को जारी किया जाना चाहिए और सॉइल टैस्टिंग के लिए जो लैबोरेट्रीज बनी हैं, उनके मॉडर्नाइजेशन की भी जरूरत है। मैंने देखा है कि कई लैबोरेट्रीज ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही हैं। सॉइल कांस्टीट्यूशन समझे बिना यदि किसान उसमें कैमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करता है तो किसान को अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जितना लाभ मिलना चाहिए, उतना लाभ उसे नहीं मिल पाता है। बल्कि कभी-कभी सॉइल हैल्थ को, सॉइल के कांस्टीट्यूशन को, उसकी रचना को समझे बिना यदि किसान कैमिकल फर्टिलाइजर डाल देता है तो उसे उसका नुकसान भुगतना पड़ता है, इससे उसकी सॉइल की, उसकी लैंड होल्डिंग की पूरी फर्टिलिटी कम हो जाती है और उसकी उत्पादकता कम हो जाती है। हमारा कहना है कि न्यूट्रिएंट वैल्यू बनी रहे, इस पर भी विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। सॉइल एनरिचमैन्ट के लिए, मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए, उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू को बढ़ाने के लिए एक जागरूकता अभियान भी सरकार के द्वारा चलाया जाना चाहिए। हमारी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, जो इस जागरूकता अभियान में सहयोग कर सकती हैं।

आज कैमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग जितनी तेजी के साथ हो रहा है, वह हमारे लिए चिंता का विषय है। हमारी जमीन, हमारे खेत की फर्टिलिटी निरंतर कम होती जा रही है। आज बॉयो फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। पहले कम्पोस्ट खाद, हरी खाद, केंचुए की खाद आदि तरह की बहुत सारी चीजें गांवों में प्रयोग में लाई जाती थीं। लेकिन अब उनमें काफी हद तक कमी आई है। लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं कि इस देश का किसान फिर से उन पर वापस हो रहा है।

मानसून के संबंध में मैंने पहले ही चर्चा की है। लेकिन मैं सिंचाई के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। सिंचाई की मद में काफी धनराशि खर्च की गई है, लेकिन जो कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई है, वह पूरी तरह से नॉमिनल है। आज भी हमारे पास 40 परसैन्ट सिंचित क्षेत्र है और 60 परसैन्ट असिंचित क्षेत्र है। जल के

प्रबंधन की आवश्यकता है। ट्यूबवैल का प्रयोग किसान बिजली के माध्यम से अपने खेत में करता है। अब न्युक्लीयर एनर्जी की बात भी आयी थी लेकिन मुझे इस बात की चिन्ता हुई है। आपने आश्वस्त किया था कि हम इतनी पॉवर जनरेट करेंगे, न्युक्लीर पॉवर जनरेट करेंगे कि देश के आम नागरिक की बिजली की जितनी आवश्यकतायें होंगी, वे पूरी होंगी। इधर जी-8 में यह सवाल खड़ा कर दिया गया कि भारत एन.पी.टी. का सिग्नेटरी नहीं है, इसलिये एनरिंचमेंट और साथ ही साथ जो रिप्रोसैसिंग रिएक्टर्स हैं, उनके देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैं समझता हूं कि यह भी एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। नेशनल फारमर्स कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है जिस पर चर्चा की जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं रेनफैड एरियाज के बारे में कहना चाहूंगा कि इसके लिये एक अथॉरिटी बनायी गई थी। मैं ऐसा समझता हूं कि रेनफैड एरिया अथारिटी आज कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। जो रेनफैड एरियाज़ हैं, अगर वहां पर वर्षा नहीं होती है तो क्या फसल पैदा करनी चाहिये, क्या उत्पादन होना चाहिये? इस संबंध में भी कुछ करने की आवश्यकता है। फर्टिलाइजर की कमी बड़ी तेजी के साथ हुई है। चाहे वह डीएपी हो, यूरिया हो या अमोनिया हो, उसकी कमी तेज़ी के साथ हुई है। किसानों को ये फर्टिलाइजर्स नहीं मिल पा रहे हैं। मैंने देखा है कि कई स्थानों पर किसानों को फर्टिलाइजर के लिये लड़ना झगड़ना पड़ता है। कहीं-कहीं तो लाठी-चार्ज भी हुआ है। इस संकट से किसानों को उबारिये.। इस सरकार ने बड़ा संकट पैदा कर दिया है कि पहले फर्टिलाइजर पर जो सब्सिडी मिलती थी, उस पर 25 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी कम कर दी है। मेरा कहना है कि यह सब्सिडी कम नहीं करके इसे बढ़ाया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी इंडियन सीड्स इंडस्ट्रीज हैं, उन्हें और ताकत दिये जाने की आवश्यकता है, उन्हें और मज़बूत किये जाने की आवश्यकता है। आज मल्टी नेशनल कम्पनीज़ उन्हें खरीद रही हैं। मेरी जानकारी के अनुसार 20 से अधिक ऐसी इंडियन सीड्स इंडस्ट्रीज को मल्टी नेशनल कम्पनीज़ ने खरीद लिया है। ऐसा नहीं होना चाहिये। आज इंडियन सीड्स कम्पनीज़ को प्रमोट करने की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं मोनसैंटो है, क्या कर रही है। 450 ग्राम बीटी काटन का पैकेट 1200-1300-1400 रुपये में मिल रहा है। फिर क्यों न किसान आत्महत्या करे? किसान आत्महत्या करने पर मजबूर होता है। मैं यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि जो ट्रेडीशनल सीड्स हैं, उन्हें प्रमोट किया जाना चाहिये। जैनेटिकली जो हमारे सीड्स आ रहे हैं, वे टर्मिनेटर सीड्स हैं। एक बार उस बीज का प्रयोग करने के बाद दुबारा किसान उस बीज का प्रयोग अपने खेतों में नहीं करता है। इस संकट से किसानों को उबारिये। हमारे जो पहले टेड्रीशनल सीड्स थे, वे हम पैदा करते थे, दस बार लगातार उसका प्रयोग करते थे और नये बीज पैदा करते रहते थे और उसी का उपयोग किया करते थे।

उपाध्यक्ष महोदय, किसानों को उसकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। अगर किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य मिल जाये तो उसका सारा दुख-दर्द अपने आप दूर हो जाता है। सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। जहां तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात है, मैं कहना चाहूंगा कि हर सरकार यह दावा करती है कि सी.ए. सी.पी. जो रिकमैंडेशन्स करती है, उसके आधार पर ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस का निर्धारण सरकार करती है लेकिन मैंने देखा है कि यह पूरी तरह से नहीं होता है। हमारा कहना है कि सी.ए.सी.पी. को एक स्टैचुटरी स्टेटस दीजिये। इसके साथ ही डा. स्वामीनाथन कमेटी ने सिफारिशें दी हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित करते समय 50 परसेंट का जो फॉर्मूला है, वह लागू किया जाना चाहिये। क्राप्स डाइवर्सिफिकेशन का सुझाव हम किसानों को देते हैं। इसके साथ किसानों को यह भी बताइये कि हम जो फसल बोने की बात आपको बता रहे हैं, फसल की मिनिमम प्राइस क्या होगी? फसल की बुवाई से पहले मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा सरकार को करनी चाहिये। इसके संबंध में निर्णय करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, स्टोरेज की एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं समझता हूं कि गेहूं चावल के स्टोरेज के लिये प्रापर गोदाम न होने के कारण वे सड़ जाते हैं। पिछले तीन वर्षों में जैसा कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कहा है एक लाख 10 हजार टन गेहूं और चावल खराब हो गया है। लोग भूख से मर रहे हैं, कुपर्षोण के शिकार हो रहे हैं, लेकिन फिर भी तीन वर्षों के अंदर एक लाख 10 हजार टन गेहूं और चावल खराब हो गया है। वित्त मंत्री जी मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप ऐसी व्यवस्था कीजिए ताकि इस देश के हर ब्लाक हैडक्वार्टर पर अथवा हर ब्लाक में कहीं न कहीं एक स्टोरेज की व्यवस्था हो जाए, वहां पर एक गोडाउन बन जाए ताकि यदि किसान अपनी उपज को वहां स्टोर करना चाहे तो वह फसल को स्टोर कर सके।

महोदय, सरकार ने फूड सिक्योरिटी के बारे में बहुत सारे दावे किये हैं, लेकिन दो रूपए किलो गेहूं और तीन रूपए किलो चावल कैसे मिल जाएगा, आप इतनी जल्दी क्या करेंगे, आप कहां से फूड ग्रेन लाएंगे, इस बात को मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आपने कहा है कि आप फूड सिक्योरिटी बिल लाएंगे, हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।

महोदय, मैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा। इसके बारे में सक्सेना कमेटी बनी थी और इस कमेटी की कुछ रिकमंडेशंस हैं। सक्सेना कमेटी की रिकमंडेशंस में इस बात का उल्लेख है कि 23 परसेंट बिलो पावर्टी लाइन के गरीब लोग हैं, जिन्हें आज तक राशन कार्ड नहीं मिला है। इस लाल, पीले और हरे राशन कार्ड के कारण भी बहुत बड़ा संकट पैदा हो रहा है। पीडीएस सिस्टम के माध्यम से जो चीजें लोगों को उचित कीमत पर मिलनी चाहिए, वे उन्हें नहीं मिल पाती हैं।

भारत का पीडीएस सिस्टम विश्व का सबसे बड़ा पीडीएस सिस्टम है। सब्सिडी का बहुत बड़ा भाग उसके ट्रांसपोर्टेशन और प्रिक्योरमेंट पर चला जाता है। किसान को सब्सिडी का जितना लाभ मिलना चाहिए, वह उसे नहीं मिल पाता है।

महोदय, ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि एक्सटेंशन सर्विसेज को भी आगे बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। इसकी भी चिंता करने की आवश्यकता है कि युवकों में कृषि के प्रति आकर्षण कैसे पैदा हो? मैं समझता हूं कि कृषि को इंटीलेक्चुअली, स्टिम्युलेटिंग और इकोनॉमिकली रिवार्डिंग बनाने की आवश्यकता है। आप एग्री-क्लीनिक खोलिए, ई-चौपाल्स खोलिए, एग्री-बिजनेस प्रारंभ कीजिए और इसके लिए पर्याप्त बजटरी एलोकेशन होना चाहिए। इस बार जितना बजटरी एलोकेशन हुआ है, वह ठीक नहीं है।

महोदय, अधिक चर्चा न करते हुए मैं इतना कहना चाहूंगा कि आज विश्व के दूसरे देश, जो वैस्टर्न कंट्रीज हैं कृषि के संबंध में पर्याप्त चिंता कर रही हैं। अब समय आ गया है कि यदि इस ग्लोबल कम्पीटीशन में हम अपने देश को, देश के किसानों को खड़ा करना चाहते हैं तो हमारी चिंता अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कृषि क्षेत्र पर अधिक होनी चाहिए। यदि हम अपने देश की सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि हमें कृषि क्षेत्र की विकास दर को बढ़ाना होगा, किसानों के हालात को सुधारना होगा और जितना ध्यान हम उद्योग पर देते हैं उससे भी अधिक ध्यान हमें कृाषि क्षेत्र पर देने की आवश्यकता है।

महोदय, अंत में ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं यही कहूंगा कि वित्त मंत्री जी आपने कॉमनवेल्थ पर 3 हजार करोड़ रूपया खर्च किया है, मैं कॉमनवेल्थ का विरोध नहीं कर रहा हूं, उसका स्वागत है और मुझे को आपत्ति नहीं है, लेकिन आपने इरीगेशन के मद में केवल एक हजार करोड़ रूपए का एलोकेशन किया है। ये सब चिंता के वि ष य हैं, इससे किसान चिंतित होता है, इसलिए मैं समझता हूं कि अब आप ज्यादा प्रतीक्षा मत कराइए और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए पूरी तरह से कदम आगे बढ़ाइए। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सहित सभी राजनीतिक पार्टियां कृषि क्षेत्र के विकास के मुद्दे पर सरकार से साथ पूरी तरह खड़ी दिखायी देंगी।

CUT MOTIONS

TOKEN

DR. PRASANNA KUMAR PATASANI (BHUBANESWAR) :

श्री जगदम्बिका पाल : महोदय, आपने मुझे देश के सबसे महत्वपूर्ण, जो देश के खेत, खलियान, चौपाल और जन-जन से जुडे विाय से संबंधित कृाि विभाग है, माननीय कृाि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान की मांगों के समर्थन में बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

15.00 hrs.

मैं बड़े ध्यान से सम्मानित सदस्य आदरणीय राजनाथ सिंह जी को सुन रहा था। यह इत्तफ़ाक है कि इस सदन में भी मैंने सुना और 20-25 बरसों में हम दोनों उत्तर प्रदेश के सदन में बैठकर भी एक दूसरे को सुनते थे। मैं पहले उनको धन्यवाद तो इस बात का दूँगा कि आज उन्होंने कहा मैं कटौती प्रस्तुत नहीं करूँगा, निस्संदेह इसके लिए मैं धन्यवाद दूँगा, लेकिन कदाचित्, अगर उन्होंने माननीय कृषि मंत्री द्वारा प्रस्तुत उस कृषि बजट के साहित्य को देखा होता तो शायद इस बार के कृषि मंत्री द्वारा रखे गए बजट पर आलोचना के बजाय वे उनको बधाई देते, मैं यह समझता हूँ। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कुछ बातें कहीं, उन्होंने अंतिम बात यह कही कि कॉमनवैल्थ गेम्स के लिए 3000 करोड़ रुपये दिये जा रहे हैं। यह बात कृषि से संबंधित नहीं भी है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा। आज देश के गाँव गाँव में हर व्यक्ति पूछता है कि हम जब दुनिया की प्रतिस्पर्द्धा में खड़े हैं और अपने को हम मानते हैं कि दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं, उनके मुकाबले खड़े हैं, तो क्या हम ओलम्पिक नहीं करा सकते हैं? गाँव के किसी खेत, खलिहान या चौपाल में बैठे हुए लोग भी आज इस बात को महसूस करते हैं। नॉर्थ ईस्ट से लेकर केरल तक के लोग, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के लोग इस बात को सोचते हैं कि अगर देश में कॉमनवैल्थ गेम्स कराने के लिए 3000 करोड़ रुपये देने पड़ते हैं, और कल अगर ओलम्पिक्स की मेज़बानी मिले तो 10 हज़ार करोड़ रुपये भी देने पड़े तो यह सम्मानित सदन देगा और निश्चित तौर से इससे देश का सम्मान बढ़ेगा, देश का गौरव बढ़ेगा कि हम भी ओलम्पिक्स करा सकते हैं, हम भी कॉमनवैल्थ करा सकते हैं। रही बात एग्रीकल्चर की। …(व्यवधान) माननीय सदस्य को मैंने बड़े ध्यान से सुना। …(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया शांत रहें।

श्री जगदम्बिका पाल : मैंने बहुत ध्यान से माननीय सदस्य को सुना। मैं उनकी स्पीच को दोहराना नहीं चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि कृषि में कोई स्टिमुलस पैकेज नहीं दिया गया। मिट्टी की टैस्टिंग के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि कैमिकल की जगह आर्गैनिक खाद का प्रयोग किया जाना चाहिए; जो रेनफैड एरिया है, उसके लिए कुछ काम किया जाना चाहिए; खाद की कमी के संबंध में कहा; ट्रेडीशनल सीड्ज़ के बारे में कहा; किसानों की उपज के बारे में कहा और उत्पादन के बारे में कहा। …(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप चुप रहिये। उनको बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : माननीय सदस्य ने स्वयं कहा कि कृषि बहुत गंभीर विषय है, इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। न पक्ष और न प्रतिपक्ष का यह सवाल है। हमें अपने सदस्यों से कहना चाहिए कि गंभीरता का माहौल रखें। मैं माननीय राजनाथ सिंह जी से भी यह अनुरोध करूँगा। जहाँ तक रिप्लाई की बात कर रहे हैं, अगर माननीय सदस्य के रिप्लाई से ही आप संतुष्ट हो जाएँ तो माननीय कृषि मंत्री जी के जवाब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ...(व्यवधान) अच्छी बात है! ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उनका जवाब मत दीजिए, आप अपनी बात कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : मैं कहना चाहता हूँ कि आज भारत सरकार की जो राष्ट्रीय विकास योजना है, उसके अंतर्गत हमारी सबसे ज्यादा चिन्ता अगर है तो वह सॉइल हैल्थ की है। क्योंकि हम मानते हैं कि पूरे देश में जिस तरह से कैमिकल फर्टिलाइज़र की आवश्यकता बढ़ती जा रही है और कैमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल बढ़ रहा है, उससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो रही है, सॉइल हैल्थ में कमी आ रही है जिसकी चिन्ता उन्होंने भी व्यक्त की है। आज हमारे खाद्यान्न में स्टैगनेशन आ रहा है, उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, खेती अलाभप्रद हो रही है और ऋणग्रस्तता बढ़ रही है। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन हम सॉइल हैल्थ की चिन्ता के लिए उत्तर प्रदेश की ही बात करें इस बजट में जहाँ 2008-09 में 420 करोड़ रुपये दिये थे और 2009-10 के लिए कृषि मंत्री जी 1000 करोड़ रुपये दे रहे हैं, जिसके लिए मैं यूपीए सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। उसमें जो सॉइल हैल्थ बनाने की बात है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने की बात है, उसके लिए लोगों में जागरूकता लाने की बात है।

हमने राज्यों को पैसा दिया है और कहा है कि किसानों के लिए कौन-सी उपज के लिए कौन-सी मिट्टी उपयोगी होगी। इसके लिए 15 लाख टैस्ट्स हमने मैनडेटरी किए हैं। जो पैसे हम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में दे रहे हैं, उसमें सोइल ठीक हो और किसान कौन सा काम करें, उसके लिए 15 लाख कम से कम हमारी मिट्टी का मृदा परीक्षण हो। हम इस बात की चिंता करते हैं कि बैलेंस आफ फर्टिलाइज़र हो, खादों का संतुलन हो। हम कैमिकल फर्टिलाइजर के स्थान पर आर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें। हम ढैंचा का इस्तेमाल करें, जिस्ट कम्पोस्ट का इस्तेमाल करें। आखिर 15 लाख टेस्ट्स हम

क्यों करवा रहे हैं? ट्रेडीशनल खेती की बात की जा रही है। लेकिन हर साल 35 हजार हेक्टेयर जमीन कम होती जा रही है, क्योंकि नए विकास के आयाम आ रहे हैं, नई फैक्टरीज़ बन रही हैं, नई कालोनीज़ बन रही हैं। आज गांवों में भी लोग सड़कों पर आ रहे हैं, आज जमीन का रक्बा कम होता जा रहा है। आज निश्चित तौर से उस कम जमीन पर हम हाई ब्रीड क्वालिटी अगर नहीं डालेंगे, तो आने वाले दिनों में हम न उत्पादन को बढ़ा सकते हैं और न लोगों की आवश्यकता ही पूरी कर सकते हैं। आज इसलिए हमने जिप्सम पर 90 प्रतिशत सब्सीडी दी है, हार्टीकल्चर पर भी ध्यान दिया है और सेरीकल्चर पर भी ध्यान दिया है, इसीलिए हमने पोलीपैक बनाने की बात कही, ग्रीन हाउसेज़ की बात कही या हमने फार्मर फील्ड स्कूल खोले, स्पैसिफिक एग्रीकल्चर मैकेनिज्म के लिए और 29 हजार टयूबवैल जो कि राज्यों का काम है, उसको भी एनर्जाइज करने का काम भी करने जा रहे हैं। हम राज्यों का क्लाइमैटिक एक्रो जोन बना रहे हैं, जिससे यह पता लग सके कि कहां व्हीट, गेहूं और दालें पैदा हो सकती है।

महोदय, गन्ने की खेती कम हो रही है। गन्ने की खेती कम क्यों हो रही है? गन्ना और कॉटन कैश क्राप माना जाता है। कोई भी किसान गन्ने की खेती कम नहीं करना चाहता है, लेकिन यदि गन्ने का मूल्य राज्य सरकार नहीं देगी, यदि किसान को अपने गन्ने के भुगतान के लिए ट्रेड यूनियन का चक्कर लगाना पड़े, यदि गन्ने का भुगतान न होने के कारण उसकी बेटी का रिश्ता टूट जाए, बूढ़े बाप की तीमारदारी और अस्पताल में इलाज न करा सके, अपने बेटे की फीस न दे सके तो इसके लिए निश्चित तौर से राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। उनको गन्ने का मूल्य देना चाहिए। माननीय सदस्य ने गन्ने का मूल्य न मिलने पर चिन्ता व्यक्त की है, गन्ने की खेती कम हो रही है। मैं उत्तर प्रदेश की बात करना चाहता हूं। हम गन्ना आंदोलन से जुड़े रहे हैं। मैं जिस इलाके से आता हूं, हमारी कैश क्राप केवल गन्ने की खेती है। हमने देखा है कि जिस गन्ने को पैदा करके हमने चीनी मिल को दिया है, उसका मूल्य प्राप्त करने के लिए गोलियां खायी हैं। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद तीन बार गोलियां चली हैं, उन तीनों बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पडरौना में गोली चली थी, उस समय मुख्यमंत्री कौन था? आज वह आपके साथ में नहीं है, पार्टी छोड़ चुके हैं। रामकौला में गोली चली थी, मुण्डेरवा में गोली चली, उस समय आपके मुख्यमंत्री नहीं थे, बसपा की मुख्यमंत्री थीं। किसानों को गोली चलवाने वाले लोग यह कहें कि गन्ने की खेती कम हो रही है। उनसे ज्यादा चिन्ता गन्ने की खेती की हमें है।

महोदय, क्राप के इंश्योरेंस की बात माननीय सदस्य ने कही थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री बहुत प्रसन्न हुए थे। तत्कालीन वित्त मंत्री बैठे हैं। उन्होंने कहा था कि आप जितने जिलों में मांगेंगे, उतने में देंगे। राजनाथ सिंह जी आप सवा छः साल तक सरकार में रहे, यदि क्राप के इंश्योरेंस के लिए आपकी सरकार को फैसला लेना होता तो आपकी सरकार को फैसला ले लेना चाहिए था।

15.08 hrs.

(Madam Speaker in the Chair)

आज यदि आप इस सरकार के बारे में कहें तो यह सरकार बहुत कुछ करने जा रही है। यह सरकार ऋणग्रस्तता को समझती है कि किसानों की खेती अलाभप्रद हो रही थी और आप ब्याज माफ करने की बात करते हैं, उस खेती को अलाभप्रद से लाभप्रद...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): पचास साल आपकी सरकार रही है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया :आप शांत होकर बैठ जाइए, इन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : महोदया, बजट में इस बात पर ध्यान दिया गया है कि खेती अलाभप्रद से लाभप्रद हो, समर्थन मूल्य उत्पादन मूल्य से अधिक हो और मजदूरों का पलायन रूके। यदि यह तीनों काम किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है, यूपीए की सरकार ने किया है। गांव में रहने वाला मजदूर और किसान दो-चार महीने खेती में रहता है और जब बेकार होता है, तो उसे गांव में कोई काम नहीं मिलता था, उसे मजबूर होकर मुंबई कोलकाता, हैदराबाद और अहमदाबाद की सड़कों पर दर-बदर की ठोकरें खानी पड़ती थीं। मजदूर बहुत बड़ी संख्या में पलायन करता था।

अध्यक्ष महोदया, अभी मैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के बारे में कहना चाहूंगा। नरेगा से रबी और खरीफ की फसल से मजदूर को फुर्सत मिलती है तो उसी गांव में उसे नरेगा के अंतर्गत काम मिलता है और सौ रुपए के हिसाब से मिलता है। गांव में जिस तरह पहले मजदूरों का पलायन हो रहा था, वह रुका है और वह इसलिए रुका है, क्योंकि आज गांव में उसे रोज सौ रुपए के हिसाब से तीन हजार रुपए महीने को मिल रहे हैं। जब नरेगा का काम खत्म होता है तो वह अपना रबी और खरीफ की फसल का काम करता है। जहां तक खेती को अलाभप्रद से लाभप्रद बनाने की बात है, यह सही है कि किसान ऋण के बोझ से आत्महत्या भी कर रहा है। बुंदेलखंड में हमने अपनी आंखों से देखा है, हिन्दुस्तान के तमाम इलाकों में देखा है। हम लोग राहुल जी के साथ गए थे। हमने राज्य सरकार से ब्याज की माफी की बात की, लेकिन इसके बावजूद भी राज्य सरकार ने ब्याज माफ करने का विचार नहीं किया। उसी ऋणग्रस्तता को किसान को ऋण से छुटकारा दिलाने के लिए, खेती को अलाभप्रद से लाभप्रद बनाने के लिए पांच करोड़ किसानों का 71600 करोड़ रुपए का कर्जा कांग्रेस, यूपीए की सरकार ने माफ किया है, जिससे कि आज हमारी खेती लाभप्रद हुई है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कृपया आप ये सब टिप्पणी रहने दीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल : अध्यक्ष महोदया, मैं कहना चाहूंगा कि यदि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही 27 योजनाओं की जानकारी करते तो निश्चित तौर से बधाई देते। आज जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कृषि मंत्रालय से चलाया जा रहा है, उसमें भी as per the resolution of 53rd meeting of NDC, हमने कहा कि कहां व्हीट, राइस और प्लसेस की खेती ज्यादा हो सकती है, उसके हिसाब से हमने पैसा देना शुरु किया है। आपने कहा कि कृषि के बजट को और बढ़ाइए। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में भारत सरकार ने सन् 2008-09 में 190 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार को दिए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि 190 करोड़ रुपए व्हीट, राइस और प्लसेस की खेती को बढ़ाने के लिए इंसेंटिव दिया, लेकिन उसमें राज्य सरकार केवल 130 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाई, 60 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाई है। ...(व्यवधान) ये कहते हैं कि हमारा बजट बढ़ गया है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, इसके बावजूद भी सन् 2009-10 में हमने इसी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में 190 करोड़ रुपए दिए थे। मैं श्री मनमोहन सिंह जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी और कृषि मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को 190 करोड़ रुपए से बढ़ा कर 309 करोड़ रुपए दिए हैं ताकि उत्तर प्रदेश के किसानों को फायदा मिल सके। आज हम किसानों को ज्यादा सब्सिडी दे रहे हैं। वित्त मंत्री जी ने कहा कि हम उस बात को सुनिश्चित करेंगे कि हम जो किसानों को अनुदान के रूप में राहत दे रहे हैं, किसानों को सीधे सब्सिडी मिले। हमें किसानों की चिन्ता है। यह बात सही है कि जितना पैसा केन्द्र सरकार दे रही है, वह पैसा राज्यों में गांव के किसानों की जेब तक नहीं पहुंच रहा। यह चिन्ता राजीव जी ने भी की थी कि 15 पैसे मिलते हैं और राहुल जी ने भी की कि दस पैसे मिलते हैं। आज भी यह सच्चाई है, इसको सब मानेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी इस बार कांग्रेस, यूपीए सरकार ने यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की है कि हम जो सब्सिडी का पैसा किसानों को दे रहे हैं, वह किसानों की जेब तक जाए। किसानों का उत्पादन बढ़े, फसल का प्रदर्शन हो सके। हम किसानों के खेतों पर कुछ फ्री करने जा रहे हैं। हम मिनी किट बांटेंगे, जिसमें कृषि से जुड़ी चीजें होंगी - चाहे व्हीट, हाईब्रिड या अन्य खाद की चीजें हों, ये भी किसानों को हम फ्री में देंगे। कृषि यंत्र - चाहे फर्टिलाइज़ल ड्रिल हो, रोटाबेटर हो, थ्रेशर, कृषि रसायन यंत्र हों, ये सारी चीजें हम उन्हें देने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदया, भारत सरकार की 27 योजनाएं हैं - चाहे वह माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हो, जो सेंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम है। इस बात को आप भी मानेंगे कि 22 हजार करोड़ रुपए हमने सेंट्रली

स्पोंसर्ड स्कीम के लिए दिए हैं। आज सुबह हमारे ग्राम विकास मंत्री जी कह रहे थे कि हम इस पर 70 परसैंट देंगे, 30 परसैंट प्रदेश को देना है। आज राज्य मेचिंग ग्रांट नहीं देती है, केन्द्र से जो पैसा राज्यों में जाता है, वह ऐसे ही पड़ा रहता है। मेचिंग ग्रांट न होने के कारण निश्चित तौर से वे योजनाएं लागू नहीं हो पाती हैं। आपने चिन्ता की है, लैब टू लैंड की बात की है कि लैब से किसानों के खेत तक टैक्नोलॉजी पहुंचे। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में तीन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीस हैं। वहां पर लोगों को पिछले तीन सालों से तनख्वाह नहीं मिली है। अगर आईसीएआर की स्कीम भारत सरकार की नहीं चल रही होती तो उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीस बंद हो जातीं। यह मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि आज वैज्ञानिकों की रिसर्च की, शोध की जितनी स्कीम्स चल रही हैं, अगर लैब टू लैंड कार्यक्रम को खेतों तक पहुंचाया जाये...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Hon. Member, you may continue with your speech after the statement by hon. Prime Minister.

15.16 hrs.

STATEMENT BY PRIME MINISTER

Recent visits to Italy, France and Egypt

THE PRIME MINISTER (DR. MANMOHAN SINGH): Madam, Speaker, I returned earlier today from visits to France and Egypt. Before that I had visited Italy for the G-8/G-5 Summit meetings.

Meetings of the G-8 and G-5 countries have become an annual feature. The agenda for this year's meetings was wide ranging, but the main focus was on the on-going global economic and financial slowdown.

The developing countries have been the most affected by the global financial and economic crisis. I stressed the importance of a concerted and well-coordinated global response to address systemic failures and to stimulate the real economy. There is need to maintain adequate flow of finance to the developing countries and to keep markets open by resisting protectionist pressures.

As a responsible member of the international community, I conveyed to the G-8 and G-5 countries that we recognize our obligation to preserve and protect our environment but climate change cannot be addressed by perpetuating the poverty of the developing countries. I presented India's Action Plan on Climate Change and the eight National Missions which we have set up in this regard. We are willing to do more provided there are credible arrangements to provide both additional financial support as well as technological transfers from developed to developing countries.

India's participation as guest of honour at the French National Day was an honour and a matter of pride for us all. I wish to share with the hon. Members the pride I felt to see the brave men of our Armed Forces from all three Services leading the French National Day parade. We have a strategic partnership with France. In this spirit, in our discussions, President Sarkozy and I reviewed the

entire range of our bilateral cooperation including counter-terrorism and defence co-operation. President Sarkozy was categorical in asserting that France is ready for full civilian nuclear cooperation with India.

In Egypt I participated in the 15th Summit of the Non-Aligned Movement. NAM is the powerful voice of almost two-third of the world's nations. I recalled what Pandit Nehru had said about NAM being a moral force in global affairs. The Summit called for bringing decision-making processes in the international system, including the UN and international financial institutions, in tune with contemporary realities. I am glad that our views found widespread resonance and that the Summit heeded our call to strongly condemn international terrorism.

On the sidelines of the Summit, I met with the Presidents of Egypt, Sri Lanka, Vietnam and the Palestinian National Authority, and the Prime Ministers of Bangladesh, Malaysia, Nepal and Pakistan. I found a uniform desire among all these countries to further enhance their relations with India.

During my meeting with Prime Minister Gilani of Pakistan yesterday, we discussed the present condition of India-Pakistan relations, its future potential and the steps that are necessary to enable us to realize the potential.

I conveyed to him the strong sentiments of the people of India over the issue of terrorism, especially the terrorist attacks in Mumbai. We are reviewing the dossier of investigations into these attacks which Pakistan has provided to us. I also conveyed to Prime Minister Gilani that sustained, effective and credible action needs to be taken not only to bring the perpetrators of the Mumbai attack to justice but also to shut down the operations of terrorist groups so as to prevent any future attacks.

It has been and it remains our consistent position that the starting point of any meaningful dialogue with Pakistan is a fulfillment of their commitment, in letter and spirit, not to allow their territory to be used in any manner for terrorist activities against India.

Prime Minister Gilani assured me that Pakistan will do everything in its power to bring the perpetrators of the Mumbai attacks to justice. He also told me that there is consensus in Pakistan against the activities of these terrorist groups, that strong action is being taken and that this is in Pakistan's own interest. The distinguished parliamentarians from different parties who accompanied the Pakistan Prime Minister also said to me that there was political consensus in Pakistan on this issue.

As the Joint Statement says, action on terrorism should not be linked to the composite dialogue process, and therefore cannot await other developments. It was agreed that the two countries will share real time, credible and actionable information on any future threats.

Whether, when and in what form we broaden the dialogue with Pakistan will depend on future developments. For the present, we have agreed that the Foreign Secretaries will meet as often as necessary and report to the two Foreign Ministers who will meet on the sidelines of the United Nations General Assembly.

Madam, as I have said before in this House, India seeks cooperative relations with Pakistan, and engagement is the only way forward to realize the vision of a stable and prosperous South Asia living in peace and amity. We are willing to go more than half way provided Pakistan creates the conditions for a meaningful dialogue. I hope that there is forward movement in the coming months.

Madam, I have returned home convinced that these interactions with world leaders have served to further advance India's interests.

(Placed in Library, See No. LT 348/15/09)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष महोदया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो बात मैंने सुबह कही थी, ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया आप शांत रहें।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्रीमती सुषमा स्वराज : ...(<u>व्यवधान</u>) जो बात सुबह मैंने कही थी, उसे प्रधानमंत्री स्वीकार कर रहे हैं। ..(<u>व्यवधान</u>)

SHRI L.K. ADVANI (GANDHINAGAR): That has been the demand of Pakistan all long not to link terrorism with the issue of dialogue and we have conceded that. Why take seven months for that? It is only because of Mumbai that you stopped it and India took a very firm position on this. What has happened that made you change it? We are unable to understand it. … (*Interruptions*)

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): The normal practice is that when the Prime Minister makes a statement, there is no system of seeking clarification. If the hon. Members want, they can have a structured discussion. There is no harm on it. But there is no system in this House of seeking a clarification after the statement is made.

श्रीमती सुषमा स्वराज : स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन हम करेंगे।

SHRI L.K. ADVANI : We will have a structured debate. But as a matter of protest against the Government's capitulation on this issue, I would like my Party to walk out.… (*Interruptions*)

<u>15.24 hrs.</u>

(At this stage, Shri L.K. Advani and some other hon. Members left the House.)

15.25 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL), 2009-10
Ministry of Agriculture
and
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution – Contd.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष या माननीय सदस्य, जिन्होंने कृषि पर अपने विचार रखे थे, शायद वे उत्तर सुनना नहीं चाहते होंगे, इसलिए सदन छोड़कर जा रहे हैं। ...(व्यवधान) ऐसा ही है तभी आप जा रहे हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप कृपया चेयर को ऐड्रैस कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : मैं समझता हूं कि कृषि से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई बजट नहीं हो सकता। एक बार नेता, प्रतिपक्ष खड़े हो गए, हम सब यील्ड हो गए। उनकी बात को प्रधान मंत्री जी ने सुन लिया, वित्त मंत्री जी ने जवाब दे दिया। अगर वाकई भारत के किसानों में, भारत की कृषि में, भारत के खेत-खलिहानों में दिलचस्पी होती तो सदन छोड़कर कभी नहीं जाते, सदन में बैठकर खेत-खलिहान के बारे में सुनते। आज खेती हम लोगों की जिंदगी है और जिस तरह खेती कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, इस बात को उन्होंने स्वयं स्वीकार किया था। मैं उसे ज्यादा दोहराना नहीं चाहता कि हमने कृषि ऋण के फ्लो को सन् 2008-2009 में दो लाख 87 हजार करोड़ रुपये किया था जिसे 2009-2010 में तीन लाख 25 हजार करोड़ रुपये किया गया। इतनी बड़ी वृद्धि किसानों को कृषि के उत्पादन को बढ़ाने में सीधे-सीधे सहायक होगी। मैं कहना चाहता हूं कि जहां हमने इसके लिए इतनी बड़ी धनराशि रखी है, वहीं जब एनडीए की सरकार थी, तो उन्होंने मात्र 85 हजार करोड़ रुपये देश के किसानों के लिए रखे थे। ये किसानों की हमदर्दी की बात करते हैं। आज इस लक्ष्य की प्राप्ति की बात करते हैं। अगर किसानों के उत्पादन के लक्ष्य की प्राप्ति हो सके, किसानों को समर्थन मूल्य मिल सके, हम नहीं पूरा देश याद करता है कि जिस समय एनडीए की सरकार थी, उन्होंने अपने अंतिम वर्ष में रबी की फसल का समर्थन मूल्य 560 रुपये किया था। आज यूपीए सरकार ने 1080 रुपये प्रति क्विंटल दिया है, भारत के किसानों के लिए दुगुना किया है। इससे आज किसे लाभ हो रहा है? इसका लाभ सीधे-सीधे किसानों को मिल रहा है। किसानों को चिन्ता होती थी कि हमारे उत्पादन की कीमत नहीं निकलती। आज जो समर्थन मूल्य दिया गया है, वह उनके उत्पादन मूल्य से अधिक दिया गया है। हम कहेंगे कि किसानों को अधिक से अधिक मिले। जो बजट रखा गया है, वह देश के गांवों, खेत-खलिहान और किसानों के हित को देखकर रखा गया है - चाहे भारत निर्माण की योजनाएं हो, गैर कृषि से जुड़ी हुई योजनाएं भी सीधे-सीधे किसानों को लाभ पहुंचा रही हैं - चाहे प्रधान

मंत्री ग्राम सड़क योजना हो, अगर किसानों का माल खेत से मंडी तक नहीं पहुंचेगा तो उन्हें उचित मूल्य कैसे मिलेगा। आज अगर गांवों में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा सड़कें बनती हैं, उस सड़क का आवागमन होता है तो किसान भी अपनी बैलगाड़ी, अपने ट्रैक्टर पर अपने उत्पादित माल को मंडी में ले जाकर बेच सकता है और उसे बाजार में अच्छे दाम मिल सकते हैं। सब पैसा, चाहे प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का हो, भारत निर्माण का हो, अगर उसका सीधा लाभ किसी को मिलेगा तो इस देश के किसानों को मिलेगा।

सूखे की बात की जाती है, खाद की बात की जाती है। जिस दिन सूखे के बारे में चर्चा हुई तो ऐसा लग रहा था कि केन्द्र सरकार राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दे। अगर प्रदेश में सूखा है, तो राज्यों में सूखे के प्रबंधन के लिए...(व्यवधान) आज पूरे देश में जहां भी सूखा है, आखिर अभी तक राज्यों ने कौन से कदम उठाए। क्या कोई चार्टर ऑफ डिमांड्स भेजी? केन्द्रीय अध्ययन दल की बात की? कितने प्रतिशत सूखा है, इसकी कोई रिपोर्ट भेजी? जब 50 प्रतिशत से अधिक सूखा होगा, हम और आप 28 साल तक उस सदन में रहे हैं, हम जानते हैं कि क्या होता है। केवल इस तरह आलोचना करने से काम नहीं होगा। निश्चित तौर से देश की जनता यह समझ चुकी है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए। साढ़े तीन बजे प्राइवेट मैम्बर्स बिल शुरू होगा।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : हमें सोमवार को पांच मिनट का समय दे दीजिएगा, हम सोमवार को कंटीन्यू करेंगे।...(व्यवधान) मैं अपनी बात को वाइंड अप कर सकूं।...(व्यवधान) मैं यूपीए सरकार को इस बात की बधाई दूंगा...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया शान्त रहिए। उन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : हम कृषि के लिए जो चार प्रतिशत विकास दर रखना चाहते हैं, मैं उसके बारे में कुछ सुझाव दूंगा। मुझे इसके लिए सोमवार को समय दे दीजिएगा।

अध्यक्ष महोदया : कृपया शान्त रहिए। अभी आपके पास एक मिनट का समय है, आप बोल लीजिए।

...(व्यवधान)

15.30 hrs.

PRIVATE MEMBERS' BILLS - INTRODUCED

(i) BAN ON COW SLAUGHTER BILL, 2009*

MADAM SPEAKER: The House shall now take up Private Members' Business. Item No. 14, Shri Yogi Adityanath.

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि गौ और गौ-वंश के वध का प्रतिषेध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to prohibit the slaughter of cow and its progeny."

The motion was adopted.

योगी आदित्यनाथ : अध्यक्ष महोदया, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

15.30½ hrs.

(ii) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2009* (Omission of article 44, etc.)

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

योगी आदित्यनाथ : अध्यक्ष महोदया, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 17.07.2009

<u>15.31 hrs.</u>

(iii) FREEDOM FIGHTERS AND THEIR FAMILES (WELFARE) BILL, 2009*

SHRI JAI PRAKASH AGARWAL (NORTH EAST DELHI): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the welfare of freedom fighters and their families and for matters connected therewith.

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the welfare of freedom fighters and their families and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI JAI PRAKASH AGARWAL : I introduce** the Bill.

<u>15.31½ hrs.</u>

(iv) COMPULSORY VOTING BILL, 2009*

SHRI JAI PRAKASH AGARWAL (NORTH EAST DELHI): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for compulsory voting by the electorate in the country and for matters connected therewith.

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for compulsory voting by the electorate in the country and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI JAI PRAKASH AGARWAL : I introduce** the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 17.07.2009
** Introduced with the Recommendation of the President

<u>15.32 hrs.</u>

(v) FREE AND COMPULSORY EDUCATION BILL, 2009*

SHRI JAI PRAKASH AGARWAL (NORTH EAST DELHI): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for free and compulsory education to all children up to intermediate level.

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for free and compulsory education to all children up to intermediate level."

The motion was adopted.

SHRI JAI PRAKASH AGARWAL : I introduce** the Bill.

<u>15.32½ hrs.</u>

(vi) DESTITUTE WOMEN AND WIDOWS WELFARE BILL, 2009*

SHRI JAI PRAKASH AGARWAL (NORTH EAST DELHI): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the welfare of the destitute and widows and for matters connected therewith.

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the welfare of the destitute and widows and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI JAI PRAKASH AGARWAL : I introduce** the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 17.07.2009

** Introduced with the Recommendation of the President

15.33 hrs.

(vii) AGRICULTURAL WORKERS (EMPLOYMENT, CONDITIONS OF SERVICE AND WELFARE) BILL, 2009*

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill to protect the interests of agricultural workers and to provide for their welfare.

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to protect the interests of agricultural workers and to provide for their welfare."

The motion was adopted.

SHRI ADHIR CHOWDHURY : I introduce** the Bill.

15.34 hrs.

(viii) PREVENTION OF FEMALE INFANTICIDE BILL, 2009*

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill to prevent female infanticide.

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to prevent female infanticide."

The motion was adopted.

SHRI ADHIR CHOWDHURY : I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 17.07.2009
** Introduced with the Recommendation of the President

15.35 hrs.

UNDERDEVELOPED AND BACKWARD AREAS AND REGIONS (SPECIAL PROVISIONS FOR ACCELERATED DEVELOPMENT) BILL, 2009

MADAM SPEAKER: Hon. Members, before I call Shri Baijayant Panda, the Member in charge of the Underdeveloped and Backward Areas and Regions (Special Provisions for Accelerated Development Bill) to move the motion for consideration of the Bill, time for Discussion on this Bill has to be allotted by the House.

If the House agrees, two hours may be allotted for its discussion.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Madam.

SHRI BAIJAYANT PANDA (KENDRAPARA): Madam Speaker, at the very outset, I would like to say that the Indian Constitution is one of the most widely lauded documents of its nature anywhere in the world. In the modern annals of democracy, reams have been written about how the Indian Constitution has taken the best features of various democracies and enshrined them into the rights of the Indian citizens which stands second to none anywhere in the world. But the fact remains that while the Indian Constitution recognizes every citizen as equal, while the fact remains that the Constitution specifically enshrines upon the nation to treat as equal every citizen irrespective of caste, creed, religious background and many other criteria, the fact remains that hundreds of millions of our fellow citizens are not equal; they are not equal because of no fault of theirs. They are not equal not because they do not fall into any of these categories. It is true that barriers of caste, barriers of religion affect many Indian citizens but the fact remains that one of the biggest predictors of the disadvantaged in our country is simply an accident of birth and that can be related to the region that they are born in.

If we look at the statistics of development in our country, I have here with me a map which indicates the income patterns3 of various regions of various States in our country. When we read this map, what strikes us is that it is a scarred

pock-marked map which indicates that there are broad swathes of regions in our country. Although their neighbouring States, their neighbouring regions have often done very well, yet many of these States have fallen behind and have led to those of our citizens who are in those States and in those regions being denied the basic opportunities that Indian citizenship should offer them.

I look at States like my own State of Orissa; I look at some of my neighbouring States like Bihar. I also look at States like Madhya Pradesh and Arunachal Pradesh. The list is somewhat extensive. I do not wish to go into each one of them. But one thing stands out that when you look at the regions that are disadvantaged, you recognize that not a small proportion but rather a significant proportion of our population is disadvantaged simply by virtue of having been born in these regions and not having the same opportunities as the other Indian citizens have in other parts of the country.

It is also obvious that it is these disadvantaged regions which are the breeding grounds of dis-affectation, these are breeding grounds of naxalism; these are the breeding grounds of extremist movement. If we are to tackle these problems which challenge the Indian nation, which challenge the Indian Constitution, we cannot do it by the stick alone. Our approach has to have both carrot and stick. Our approach has to focus on the developmental requirements of these regions, particularly these backward regions which have been left behind despite the professions of the Indian Constitution and the Indian Governments of the last 62 years that there will be balanced regional development throughout our country.

Madam, it is a matter of national shame that 62 years after we gained Independence, there is such an imbalance. Some would actually say and some do actually say that there is not much of an imbalance. Statistics is being quoted. For example, one statistics which is internationally used to evaluate the distribution of income is something known as the Gini Coefficient. A low Gini Coefficient indicates - like many Scandinavian countries, for instance - that income

distribution is somewhat fair. A high Gini Coefficient as in many African and Latin American countries indicates that there is a great disparity in the income between the rich and the poor.

Now, if you just look at the statistics, it often appears that India is not doing too badly. We have a lower than average Gini Index of the countries of the world. In fact, we have a better Gini Co-efficient than countries like China which are often compared to India as doing a better job of development. So while we can sometimes take pride in saying that if we consider our entire 1.2 billion population, our income distribution is less unfair than countries like China. But if we dig deeper into the statistics, it stands out like a very sore thumb that very large chunks of our population, very large chunks of our geography are disadvantaged and disaffected and, as I said before, the breeding grounds of extremism.

This is particularly stark because in recent years, our country has been gaining a respectability and acceptability in international forums that has eluded us for thousands of years. In some sense, because of our economic growth of the last decade and a half, we have started to again catch the imagination of the rest of the world. We are being talked about as an economic super power in the making. We are being talked about as a proper super power in the making. But the fact remains that any super power status that is conferred upon us by the rest of the world is going to be marred if such a large percentage of our population, such large sections of our geography are going to be left behind.

Madam Speaker, it is not just the world's approbation that we seek. The fact remains that if we cannot carry the majority of our population with us, we risk our nationhood. Our country, the idea of India, which our founding fathers like Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Sardar Patel and many others gave their life and blood to define, will be under challenge as it is today increasingly in this corridor of extremism which matches almost exactly with the backward and disadvantaged regions.

Madam, it is amazing that in a country where we can boast of a financial centre like Mumbai, which is fast becoming one of the major financial centres at least of Asia and sometimes in the future one of the world's major financial centres, in a country where we can boast of an IT powerhouse like Bengaluru, in a country where we can boast of the agricultural bread basket of Punjab, in a country where we can boast of the industrial dynamism of Gujarat, we also have other parts of the country which are a far cry from any of these examples.

Let me just read out the official Below Poverty Line statistics of some of the States that are in this predicament and, as you know, our Below Poverty Line criteria itself have been criticised as being too conservative, as not taking into account people who would be considered poor in any other country of the world. But even if we just go by our own definition of who is poor, even if we go by our own official statistics of what percentage of our population are below this poverty line, let us look at these numbers and let us note it with a degree of shame that such large parts of our country are being left behind.

My own home State of Orissa has a Below Poverty Line percentage of population of more than 45 per cent. The State of Bihar has more than 42 per cent of the people falling into this category of Below Poverty Line people. The State of Madhya Pradesh has more than 37 per cent of the people in this category. The States of Assam and Sikkim have more than 35 per cent of their people in this category. Even if we look at those States which have better statistics than this, as I was making the point a little earlier, the fact remains that a lot needs to be done. By some criteria and by some estimates, as many as 800 million people in India can be defined as poor by an independent yardstick. But even if we just stick to the official definition, even if we just stick to official statistics, it is clear that we need to do an enormous amount of work to ensure that this regional disparity does not continue.

Madam Speaker, it is not only a national shame and it is and it ought to be a national responsibility and I say this because in this august House as well as in the

other House of which I have been a Member for nearly 10 years, so often when matters of development and poverty are raised, so often answers are heard that these are States' responsibilities.

So often we are given a picture that the Centre's job is to legislate, is to plan, is to even accord financial help, but the actual job of implementation is that of the States. Yes, Madam, we recognise that in a federal entity, like ours, the real job of on the field implementation is, of course, the States, but national responsibility cannot be declined. National responsibility cannot be turned down. We are speaking here not as a United States of India with all the responsibility left to the States, but as the Republic of India where the Central Government, in Delhi, bears the ultimate responsibility for the country's performance.

Madam Speaker, the reason I mention this is that large chunks of our population from these disadvantaged regions actually hold the Centre responsible for their predicament. I am from one of those States and I would like your indulgence to spell out certain important reasons as to why people from my State and these other States that I have mentioned hold the Centre responsible.

Madam Speaker, for 45 years after Independence, our country decided and chose to follow a policy where there was a command economy in place. This cannot be faulted to the States. This was a Central decision. Those policies were passed in this august House and the Central decision of imposing a command economy on the country cost us very dearly in certain parts of the country.

Let me point out some examples, Madam Speaker. There was a policy called Freight Equalisation, which was imposed on the country by the Central Government in Delhi. Let me tell you it may sound just like a phrase, which does not matter any more because it has been several years since it has been repealed, but for half a century it bled my State and several other neighbouring States which are mineral bearing States into complete poverty.

Madam Speaker, any State or any country has certain advantages and certain disadvantages. States like Orissa, Jharkhand, Bihar and West Bengal have

a certain advantage, a natural economic advantage, having mineral wealth. This should have led to the natural situation that investment in those industries should have come to those States and they should have benefited from it. It did not happen because in a twisted sense of national interest a policy called freight equalisation was imposed which forced the Railways to subsidise the transport of raw materials from these States to other States so that if you are looking at it from an economic point of view in a very artificial way it looks exactly the same whether you made an investment in a power plant or a steel plant in Orissa or in some other place which is thousand kilometres away. That place, a thousand kilometres away, may not have the raw material, may not have a port, may not have other facilities which normally make such investment viable, but it was artificially made viable. States like mine and these other States, which I pointed out, which did not have the political clout in Delhi, because either we were in smaller numbers in Parliament or for various other reasons, could not then ensure that the same command economy ensured fairness to these States by providing the public sector investment in the State which was just fully due, which was economically logical, it just did not find political support. As a result tens of thousands of crores of investment which in any economic logic would naturally have come to these States simply did not.

These States, these deprived States, these breeding grounds of dis-affectation were not only let down but in a very cynical way deprived of their natural advantages. This is equivalent to suppose a legislation were to be passed that Punjab would not be allowed to sow any wheat, Mumbai would not be allowed to conduct financial transactions, Bangluru would not be allowed to have IT companies, it had the same kind of effect on States like Orissa, Bihar, Jharkhand, and Chhatisgarh. So, the Central Government, the national authorities do bear a responsibility for making sure that these parts of our country are helped, are given a helping hand to be brought up.

I would like to cite one more example. Again, I would like to emphasise on the mineral issues because the States like mine have a natural advantage when it comes to mineral industries because we have so many minerals. I can speak with authority in my State. If we talk about iron ore, if we talk about chromites, if we talk about coal, bauxite, dolomite, Orissa has such immense potential. But for 50 years, it was held back. Even if we accept that the command economy was good for the country – which I do not; I have just explained why it was not good for large parts of the country – even if we concede that the model of command-driven, Central-directed, public sector investment was good for national integration, even then there was no cause to deprive these States of their natural revenues that accrued from these industries.

Everywhere in the world where mineral industries exist whether it is Australia or South Africa, whether it is Russia or Kazakhastan, whether it is the United States of America or Poland, the norm for mineral royalties have been based on a principle known as *ad valorem*. Very simply put, *ad valorem* means the royalties are a percentage of the market value of the minerals. As everyone knows, mineral prices go up and down; these are cyclical industries. When the prices go up, obviously the royalties should go up. But in India, we persisted with a peculiar and draconian system which largely exists still today where the royalties were not *ad valorem*. Now gradually they have started becoming so with still a few exceptions left. The royalties were administered. Let me tell you how these cruelly deprived these backward regions from their justful dues.

Madam Speaker, as you are aware, as this august House is undoubtedly aware, for the past few years, until last year, there was a boom in the commodities industries throughout the world. Prices of all commodities shot through the roof. Prices of all these minerals, that I mentioned, shot through the roof, and yet the State Governments got only a pittance. They got a pittance for two reasons because the mandarins sitting in New Delhi to whom it is charged to ensure that at an appropriate time the royalties are to be revised simply did not do so. Were they

subject to lobbying by certain industries? I am not going to comment on that. I cannot actually speculate on why royalties were not revised in time. For example, there was a schedule of the Central Government to revise royalties every three years. The 2005 royalties were not revised until 2007. The *ad valorem* system not being in place, the actual amounts of the royalties are such a pittance that it is worst than a cruel joke. Just to give you an example, when the cost of raising a certain ore – I think it was probably iron ore – was no more than Rs. 300 or Rs. 400, this very same material was selling in the international market at Rs. 6000. That means, any party who had the luxury of having a mining lease and could raise the ore at a cost of Rs. 300 and could sell that ore at Rs. 6000, that means 2000 per cent mark up. The State Government barely got Rs. 30 a tonne. It is nothing more than a cruel hoax, nothing more than a cruel joke that these systems were not amended for half a century and some of the remnants of these systems are still in place which deprive States like mine and the other States that I have mentioned from having the kind of development that they normally would have had. Some changes have started happening in recent years. In recent years, these mineral-bearing States have started getting together. The Chief Ministers of Orissa, Karnataka, Bihar, Jharkhand and Rajasthan have been pressing upon the Centre to modify these rules and laws that have been passed by this august House, by the Ministries, and by the officials in Delhi with only mixed success.

There are many Committees. I will not go into specifics. But my point is that there are historical injustices that need to be corrected. If they do not, the disaffectation that my fellow citizens feel in Orissa, in Bihar, in Chhattisgarh, and in all these States is but natural, is but justified. It seems as if a callous and careless Central Government for more than half a century has deliberately decided that our interests in developing the country are only the showcases that we show to the world – the Bangaluru's, the Mumbai's, the Gujarat's, the Punjab's – and we take pride in that.

We take pride in the fact that Punjab has developed the way it has. We take pride in the way that Bengaluru, Mumbai and Gujarat have flourished the way they do. But that does mean that other parts of the country should be left behind, Madam Speaker.

I would like to end my examples by mentioning about the Railways. Madam Speaker, the same Railways, which was forced by these arbitrary Central policies to subsidize minerals so that our natural advantage could be neutralized, were also induced to make investments in a disproportionate manner where the Railways' infrastructure which makes such an immense difference to the economic development of a Region went in completely disproportionate manner.

Madam Speaker, I will cite the example of my own State because I am most familiar with my own State. The Railways itself uses a measure of its investment, a thumb rule, which is, how many kilometres of track they have laid per 100 square kilometres of geographic area. If we go by its own thumb rule, my own home State of Orissa has one of the lowest in the country. What is ironic is that one of our neighbouring States from where many Railway Ministers have come to the Central Government over the past 60 years has the highest in the country. I can understand if you say that certain parts of the country are hard to reach, and they are now only laying tracks to Jammu and Kashmir. Certain parts of the North-East do not have Railways. I can understand that. But how can you have two neighbouring States, one has the highest percentage of rail track laid per geographic area and the other adjoining it has one of the lowest length of rail tracks laid per geographic area. If this is not discrimination, I ask my colleagues in this august high House to tell me what it is.

Madam Speaker, I do not wish to speak for very long. I seek the indulgence of the House to support these areas, to make up for these historic shortcomings because we cannot assuage the ire of these hundreds of millions of people just by talk. There has to be action on the ground.

Before concluding, I would like to mention that some of these States like Bihar and Orissa have, for decades, been asking for a special category status. Madam Speaker, I have been a part of many delegations of Members of Parliament from my State and these neighbouring States to meet the Prime Ministers, to meet the Finance Ministers of various Governments. Madam Speaker, we have always been given reasons, that to us at least sound like excuses. We have been told that special category status has been narrowly defined to help certain of our States which have the criterion that they have a border area with hostile countries or that they are in a mountainous region. And that is fully justified. I had been to the North-East and I know how much there is a need for giving special attention to certain parts of the country; whether it is J&K, whether it is our border States like Meghalaya, Arunachal Pradesh and Sikkim, it is undoubtedly justified that our Central Government must give them special focus. But, Madam Speaker, I would like to submit to this august House – again let me cite the example of my own State with which I am familiar – that we have one of the longest coast lines in the country. Although it is not exactly an adjoining border with neighbouring countries, it is a source of smuggling, it is a source of illegal immigration, and it is a source of the kind of problems that we are facing in some of these other States.

Madam Speaker, when you talk of mountainous regions, many of these States that I talked about including my State have mountainous regions. What is the importance? Some of my hon. colleagues would like to wonder what the issue here is. I would like to take a minute of your indulgence to explain. Madam Speaker, many of the Central Government policies give tens of thousands of crores of rupees of funding. Take for example PMJSY roads, many rural electrification projects. They require that only those villages and hamlets which have a minimum population can be included. When you do not have mountainous regions and when you have more densely populated regions, the criterion of 500 population or 250 population is rather easily met.

16.00 hrs.

But when you look at some of the interior regions of Orissa, they are no different from the North-East. Hamlets have about 150 to 175 people, which means, we have a large percentage of tribal population. We have about 10 million tribal population of 68 different tribes, one of the largest in the country; and they are in similar situations geographically as in some of these other areas, where Special Category status has been accorded. But the fact remains that this population is scattered; it lives in heavily forested areas; the hamlets have population of less than 250; and as a result, they are excluded from the vast majority of the Central Government's schemes. So, it is left to the State Government alone to take up the burden of development in these areas, which is simply not justified.

Madam Speaker, in coming to the end of what I am urging this august House and my colleagues to support is that an unbiased look needs to be taken. Certain changes in policy have to be made because, if not biased, there is at least clearly neglect; and whether bias or neglect, neither would be accepted to these large chunks of population, who today are boiling with anger. If we do not take development to each and every village, to each and every family in these areas, the benefits of nationhood, the benefits of being an Indian citizen are denied to them, and there is no way we can make the case that we should all live in harmony.

Madam Speaker, in concluding, I would like to point out that there are many pioneering efforts. At the national level itself, there is, of course, the Planning Commission. But the fact is that we have already gone through the 10 Five Year Plans and we are in the middle of implementing the 11^{th} Five Year Plan. But the net result is that such large parts of the country are still neglected. I am not criticising the Planning Commission. I am just saying that for a country of this size, for a population of 1.2 billion, for more than 20 official languages, for nearly half a century of parties in Parliament, things cannot be that centralised. They need

to be decentralised. In fact, there are examples of Decentralised Development Authorities. I gave the example of the North-East, which richly deserves this kind of attention. There is the DONER. Within States, there are many examples of Regional Authorities for Development. In my own State, for instance, there is an Authority called the Western Orissa Development Council (WODC). But it is obvious to anybody that a State and that too, one of the poorest States in the country, can only afford to give that much funding and that much support to a Development Authority, which focuses on just one part of the State. The point I am trying to make is that this requires not only a National Authority headed by the Prime Minister himself, just like he heads the Planning Commission with the involvement of the Deputy-Chairperson of the Planning Commission but it also requires dedicated Authorities for specific regions, like one as I am proposing in my Bill one focussed National Authority, to deal with all the areas, which fall into this category.

I hope, Madam Speaker, that I would get the support of the Government in bringing about such a legislation so that these areas of lack of development can be attended to, otherwise, I put it to this House that these areas would get left behind for longer and we simply cannot afford to get left behind for another half a century.

With these words, I beg to move:

"That the Bill to provide for the establishment of an autonomous central Authority to ensure rapid, accelerated and overall development of poor, underdeveloped and backward areas and regions of the country which lag behind in matters of development of infrastructure in economic, social, educational, technical and industrial fields and assure their speedy development in a planned manner and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

MADAM SPEAKER: Motion Moved:

> "That the Bill to provide for the establishment of an autonomous central Authority to ensure rapid, accelerated and overall development of poor, underdeveloped and backward areas and regions of the country which lag behind in matters of development of infrastructure in economic, social, educational, technical and industrial fields and assure their speedy development in a planned manner and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने विस्तार से चर्चा की है। जैसा उन्होंने कहा है उसी तरह एक अविकसित तथा पिछड़ा प्रदेश बिहार भी है जिसका मिथलांचल सबसे ज्यादा पिछड़ा इलाका है। मैं मिथलांचल के पिछड़े इलाके का रहने वाला हूं। हालांकि संस्कृति, शिक्षा, पानी के हिसाब से मिथलांचल समृद्ध है लेकिन आर्थिक विकास के दृटिकोण से यह सबसे ज्यादा पिछड़ा है।

16.05 hrs.

(Shri Francisco Cosme Sardinha *in the Chair)*

जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, अगर नक्शा निकालकर देखें तो आजाद भारत में जितने एनएच बनाए गए हैं, जहां एनएच नहीं बनाए गए हैं, उनमें मिथलांचल सबसे अछूता भाग रहा है।

पहली बार जब एनडीए की सरकार बनी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधान मंत्री बने, उस समय 5500 किलोमीटर नया एनएचए बना था तो इसमें मिथिलांचल को 700 किलोमीटर हिस्सा मिला था। जिसके कारण इसका विकास हो रहा है, नहीं तो मिथिलांचल के उस एरिया में एन.एच. नाम की कोई सड़क दिखाई नहीं पड़ती थी, क्योंकि उधर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। इसी तरह जो देश के अन्य सूबे हैं, केवल बिहार और उड़ीसा का ही सवाल नहीं है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश का पहाड़ वाला इलाका हो या आंध्र प्रदेश का इलाका हो, यदि भौगोलिक दृष्टिकोण के साथ-साथ देखें तो इसका सामाजिक आधार भी है। वह इलाका आर्थिक, भौगोलिक दृष्टिकोण या साधन और समृद्धि के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा पिछड़ा है, उन्हीं इलाकों में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़े वर्ग में भी अति पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, अर्थात जो सामाजिक दृष्टिकोण से भी अति पिछड़े हैं, शिक्षा के कारण अति पिछड़े हैं, प्रशासनिक क्षेत्र में पिछड़े हैं, ऐसे समाज के अनुसूचित जाति, जनजाति और जो अति पिछड़े लोग हैं, वही उन इलाकों में बसते हैं। मैं सीधे कहूंगा कि इस देश का जो विकास हुआ, प्रारम्भ से अगर भारत के इतिहास का आप सामाजिक और आर्थिक अध्ययन करेंगे तो यह पायेंगे कि उन्हें आदिवासी क्यों कहा जा रहा है। उन्हें आदिवासी इसलिए कहा जा रहा है, क्योंकि वे इस भारत के आदिकाल के ही वासी हैं। इस देश में जितने आक्रमणकारी आए, उन आक्रमणकारियों से इन लोगों ने जमकर लोहा लिया और जितने विदेशी आक्रमणकारी आए, उन सबने मिलकर मिलिटैन्ट कास्ट के जितने लड़ने वाले लोग थे, उन्हें खदेड़-खदेड़ कर मजबूर कर दिया कि वे पहाड़ में जाकर रहें, जंगलों में जाकर बसें, पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर रहें और विदेशी शासन में भी इनका शोषण हुआ, इन्हें दबाया गया, इन्हें उन इलाकों में रहने के लिए मजबूर किया गया और आजाद भारत में भी वे उसी हालत में रहे, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि आज इन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इस पर सरकार के द्वारा एक

अध्ययन कराया गया था और दो सौ जिलों को पिछड़े जिलों के रूप में चुना गया था और इन 200 जिलों में सम विकास करने की योजना बनाई गई थी, उसका नाम सम विकास योजना रखा गया था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में सम विकास योजना के अंदर उन दो सौ जिलों को बाकी जिलों के बराबर लाने के लिए अतिरिक्त निधि की व्यवस्था केन्द्र से की गई थी। जिसका नाम बदलकर अब भारत विकास योजना अथवा क्या नाम रख दिया गया है, मुझे याद नहीं है। खैर जो नाम रखा गया है, सही है, उसका कुछ भी नाम रखा जाए। लेकिन इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों हुआ? जो माननीय सदस्य मामला उठा रहे थे, उस पर मैं कहना चाहता हूं कि आज भारत के अंदर केवल एक ही तरह की विषमता नहीं है। डा.लोहिया, जो समाजवादी चिंतक थे, इसी सदन में उनकी द्वारा की गई बहस के कितने वॉल्यूम पड़े होंगे। जिन्हें निकालकर माननीय सदस्य पढ़ सकते हैं। उन्होंने इस बात को उठाया था कि पूरी दुनिया में भी विषमताएं हैं, लेकिन भारतवर्ष में सात विषमताएं हैं, जिनके कारण यह देश विषमता की खाई में जाकर डूबा है। हमारे यहां जन्म की विषमता है, रंग की विषमता है, लिंग की विषमता है, अर्थ की विषमता है, भौगोलिक विषमता है, बौद्धिक विषमता है और तकनीकी विषमता है। इन सभी विषमताओं से यह देश विभाजित हो गया है और विषमता के कारण ऐसा हुआ है कि गरीबी के महासागर में अमीरी के कुछ टापू बनाकर उसमें वैभवशालियों की नगरी बसाई गई है और एक तरफ पसीना बहाने वाले और परिश्रम करने वाले हैं, जिन्हें अछूता छोड़ा गया है। जहां-जहां ये अविकसित क्षेत्र हैं, वे पसीना बहाने वाले हैं। पसीना बहाने वाला पसीना बहाते-बहाते मर गया, लेकिन उसके हाथ में कभी पैसा नहीं गया और जिनके हाथों मे पैसों का अंबार लग गया, उनके शरीर से कभी एक बूंद पसीना नहीं टपका। जिनके शरीर में पसीना नहीं है, जो शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, दौलत का वहां अंबार लगता है। जो पसीना बहाता है, परिश्रम करता है, उसके पास कभी पैसा नहीं जाता, वह भूखा रहता है और सूखी रोटी खाकर जीवन बसर करता है और इसलिए जानबूझकर उन क्षेत्रों को छोड़ा गया है।

महोदय, माननीय सदस्य ने जिन बिन्दुओं को उठाया है, चाहे रेल हो, कारखाने हों या उद्योग हों, यदि ये अविकसित क्षेत्रों में लगाये जाते, उस पथरीली, कंकरीली, बंजर भूमि में लगाये गये होते तो वहां के उन गरीबों का आर्थिक और सामाजिक विकास भी होता। जहां रेल जाती, वहां स्टेशन बनता और जहां स्टेशन बनेगा, वहां माल चढ़ेगा, माल उतरेगा, यात्री चढ़ेंगे, उतरेंगे। उन स्टेशनों के पास चाय की दुकान, पान की दुकान, साइकिल के पंचर लगाने की दुकान और नाना प्रकार की दुकानें लगेगीं। जहां रेल जायेगी, उस क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा। जब आर्थिक विकास होगा तो उस क्षेत्र में बसने वाले एस.सी.एस.टी. और ओ.बी.सी. लोग जो उपेक्षित हैं, उपहासित हैं, शोषित हैं, दलित हैं, पीड़ित हैं जो युग-युग से रो रहे हैं

और आज भी रो रहे हैं, अगर आज भी उनकी ओर ध्यान नहीं गया़ तो उनके आंसुओं से इस देश में कभी न कभी एक क्रान्ति की ज्वाला निकलेगी जिसे संभालना मुश्किल हो सकता है।

सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री पांडा ने जो विषय उठाया है, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। इस पर समग्रता से विचार होना चाहिये। अगर उद्योग बसेगा या जैसा टाटा ने कारखाना जमशेदपुर में खोला। वह पहाड़ी इलाका है, उन गरीबों का इलाका है। टाटा एक विश्व प्रसिद्ध नाम हो गया है। टाटा ने कारखाना उस समय बनाया जब सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, न वहां पानी था, न बाजार था, न कोई दुकान थी लेकिन आज हमें जमशेदजी टाटा को धन्य़वाद देना चाहिये कि निजी क्षेत्र में कैसे अविकसित इलाके में जाकर इस कारखाने को खड़ा किया? वहां एक शानदार शहर बस गया। उसके चारों तरफ एक विकास की गंगा बह गई। अगर ये पथरीली-कंकरीली जमीन में, बंजर जमीन में, झाड़ियों में उद्योग बसाये जाते, या बड़े बड़े कारखाने लगाये जाते तो वहां तक सड़कें जातीं, बिजली जाती, वहां तक वाटर सप्लाई जाती, आवासीय परिसर बनते जिनमें रहने वाले कर्मचारियों के लिये खाने-पीने की दुकानें बनतीं, अन्य प्रकार के शहर बसते, वहां उन गरीब लोगों को रोज़गार मिलता और उन लोगों की आर्थिक उन्नति होती, उनकी सामाजिक उन्नति होती। मुझे लगता है कि इस समाज में सुविधाभोगी सम्पन्न वर्गों के लोग हैं, जो पांचसितारा संस्कृति वाले लोग हैं,, जो बड़े घरानों से आते हैं, उनको अपना शासन चलाने की जिम्मेदारी दे दी जिन्होंने केवल यही सोचा था कि समाज में जो ऊपर वाले लोग हैं, जो अंग्रेज़ी बोलने वाले हैं, कंठ-लंगोट लगाने वाले हैं, ए.सी. कमरों में बैठने वाले हैं, उन्हीं के लिये यह विकास की गंगा बहेगी। अगर निर्धन, निर्बल, निस्सहाय, पीड़ित, शोषित और उपेक्षित के हाथ में शक्ति चली जायेगी तो वह सम्पन्न हो जायेगा, सबल हो जायेगा, सम्पन्न हो जायेगा, सशक्त हो जायेगा, आगे बढ़ जायेगा, प्रशासन में आगे बढ़ जायेगा और आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ जायेगा तो उनका एकाधिकार टूट जायेगा। भारतवर्ष में कुछ मुट्ठीभर लोगों ने यह षड्यंत्र किया था कि उन लोगों को दबाकर रखा जाये ताकि उनका एकाधिकार बना रहे। एकाधिकार केवल उस मायने में नहीं है कि इन क्षेत्रीय विषमता के साथ साथ जो एकाधिकार बना है कि क्षेत्रीय विषमता बढ़ी है, तो आज एकाधिकार है। प्रशासनिक एकाधिकार है, जमीन की जोत पर एकाधिकार है, सामाजिक एकाधिकार है। आज हम दिल्ली में संसद में खड़े हैं यहां से 100-150 किलोमीटर पर जिसे हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना रहे हैं, अगर इसमें हम एक वृत्त बना दें तो बसने वाले लोगों को देखिये, ऐसा लगता है कि यह भारत नहीं है, यह इंडिया नहीं है, यह सुपर इंडिया है, यह स्वर्ग है अर्थात् भारत के उड़ीसा में, बिहार में, झारखंड में,छत्तीसगढ़ में, आन्ध्र प्रदेश में, केरल में, और कर्नाटक के उन अविकसित पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले किसी गरीब की आंख पर पट्टी बांध दी जाये और सीधे लाकर इंडिया गेट पर खोल दी जाये तो उन्हें लगेगा कि हम स्वर्गलोक में पहुंच गये हैं। यही असली स्वर्गलोक है।

कहां इतनी खाई और कहां इतनी ऊंचाई? इसे कैसे पाटोगे? पाटने का काम किसका है, राजसत्ता का। राजा का धर्म है, संसद का धर्म है। पार्लियामेंट किसलिये बना है? इसका नाम ही है - संसद। इसका मतलब है कि संग करो सद्विचार से, संग करो सच्चाई से। जहां तथ्य नहीं हो, जहां सत्य नहीं हो, जहां तथ्य को पालतू, अनुकम्पा, अनुग्रह पर आधारित विद्वानों और अर्थशास्त्रियों द्वारा जहां तथ्य को जुटाया जाता हो, गलत मोड़ा जाता हो, सत्य पर पर्दा डालता हो, वहां राष्ट्र का समुचित विकास नहीं हो सकता है। इसलिये मैं कहूंगा कि अनुग्रह, अनुकम्पा और अनुदान पर पलने वाले कुछ लोगों ने भारत को विकसित नहीं होने दिया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि आप इस पर विचार करिये। इसलिये नहीं कि आपकी सरकार बनी रहे। आप विचार कीजिए क्योंकि वे जितने उठेंगे, जितने ऊपर बढ़ेंगे, हम न रहेंगे, आप न रहेंगे, यह देश रहेगा, हम न रहेंगे, आप न रहेंगे, यह भारत रहेगा। भारत समृद्ध होगा, संपन्न होगा, शक्तिशाली होगा, सुदृढ़ होगा, सुशिक्षित होगा तभी विश्व में भारत का एक नाम बनेगा, भारत का इतिहास बनेगा, भारत की विजय पताका फहरेगी। इसके लिए हम सब लोगों की समान रूप से कुछ न कुछ जिम्मेदारी है। मैं समान इसलिए कहता हूं क्योंकि इसके लिए पूरे समाज की जिम्मेदारी है। समाज की कोख से ही प्रशासन निकलता है, समाज की कोख से ही संसद जन्म लेती है, समाज की कोख से ही सम्पूर्ण विकास बहाने वाले लोग निकलकर आते हैं इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि भारतवर्ष के अविकसित क्षेत्रों को विकसित करने के लिए एक आधार बनना चाहिए और इसके लिए विशेष रूप से व्यवस्था होनी चाहिए।

महोदय, डा. लोहिया जी ने कहा था कि विशेष अवसर का दर्शन, उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था के लिए नहीं कहा था, उसका नाम विशेष अवसर का दर्शन था। विशेष अवसर का दर्शन जैसे जो घर में बीमार पड़ जाता है तो उन्हें अधिक रूप से पौष्टिक चीजें देते हैं, फल देते हैं, दूध देते हैं, घी-मक्खन देते हैं। अगर परिवार का कोई दूसरा सदस्य कहे कि बीमार को जितना खिलाओगे, उतना हिस्सा मुझे भी दो, तो यह अन्याय है, क्रूरता है और अमानवीय है। इसलिए समाज के अंदर या राष्ट्र के अंदर जो अविकसित क्षेत्र हैं जैसे, भौगोलिक कारण से, शिक्षा के कारण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, अगर वे पिछड़े हैं, अविकसित हैं, विकास से छूटे हुए हैं, उन्हें विकास की धारा में लाइए और उन्हें मुख्यधारा से जोड़िए। इसके लिए यह आवश्यक है कि हम बड़े लोगों से कुछ काटें, उनसे थोड़ा लें और जहां नहीं है, वहां थोड़ा बढ़ा दें। असंतुलन बनाने का मतलब क्या है, जहां बहुत ज्यादा ऊंचा हो गया है, वहां से कुछ काटो और जहां गहराई है, वहां गहराई को पाटो, तब कहीं जाकर यह बराबरी में आएगा। जब समतल होगा तभी समरस समाज होगा।

महोदय, मैं किसान हूं। समतल का मतलब क्या है? हम खेत जोतते हैं, अगर हमारी जमीन समतल में है तो एक कोने में पानी डालते हैं तो पूरी जमीन में पानी बराबर मात्रा में चला जाता है। अगर जमीन उबड़-खाबड़ हो तो आपने तो यह निकाल दिया है कि स्प्रिंकलिंग इरीगेशन लगायेंगे, ड्रिप इरीगेशन लगायेंगे। इस समाज के अंदर जो सामाजिक विषमता है, आर्थिक विषमता है, भौगोलिक और क्षेत्रीय विषमता है तो उनके लिए भी स्प्रिंकलिंग इरीगेशन लगाओ, वहां भी ड्रिप इरीगेशन की व्यवस्था करो, जिससे कि साधन वहां तक पहुंचे। यह साधन तब पहुंचेगा जब इसके लिए बजट में उपबंध होगा, बजट में उपबंध होगा कब, जब बजट बनाने वालों की दृष्टि बनेगी, उनकी दृष्टि बनेगी तब जब उनकी आत्मा में चेतना आएगी। जो दर्शन करना चहिए तो दर्पण माजत रहिए, दर्पण में लागा काई तो दरस कहां से पाई। अगर ह्रदय में मानवता नहीं है, ह्रदय में राष्ट्रीयता नहीं है, ह्रदय में मानव के लिए प्रेम नहीं है, एकात्म भाव का बोध नहीं है, पंडित बांचे पोथी-लेखा, कबीरा बांचे आंखिन देखा। मैं ऐसे ही समाज से निकलकर आया हूं। मैं एम.एल.ए. था, पार्टी का जिला प्रेसीडेंट था तब मैं एक सवर्ण के गांव में गया। जो मेरे साथ और लोग थे, उन्होंने खाना खाया, लोग उनकी थाली तो उठाकर ले गये, लेकिन मुझे अपनी थाली धोनी पड़ी थी और जहां मैंने खाया था, वहां मुझे चौका लगाना पड़ा था। जिसने इस पीड़ा को नहीं झेला है, वह क्या जानेगा कि सामाजिक विषमता क्या है? जिसने आर्थिक विषमता को नहीं झेला है, जो हमारे गांव में जाती हैं, सारा दिन वो कमाती हैं, रात में लौटकर आती हैं, बच्चे को कलेजे से लिपटाकर सोती हैं। जाड़े से बच्चा ठिठुरता है, मां का कलेजा फटता है, वह स्वयं नंगी हो जाती है और अपनी धोती अपने बच्चे को उढ़ाकर, उसे सीने से लगाकर सोती है। क्या आपने उस भारत को देखा है? जिसने उस भारत को नहीं देखा है, वह उस भारत की कल्पना भी नहीं कर सकता है। कवियों की कविता में पढ़ सकते हो, साहित्य में पढ़ सकते हो, लेख में पढ़ सकते हो, लेकिन आपने उस भारत के स्वरूप को नहीं देखा है, उस सत्य को नहीं देखा है, उस तथ्य को नहीं देखा है और न ही उसे समझा है। आप राजस्थान के रेगिस्तान में जाओ, भेड़ चराने वाले लोग हैं, भेड़ चराते हैं और भेड़ के साथ ही रहते हैं। शादी करते हैं, नयी नवेली वधू वहीं खाना पहुंचाती है। चांदनी रात है, तारों की बारात है, नीचे रेत है उस पर कंबल का बिछावन है, वहीं उनका हनीमून बनता है। क्या आपने उस हनीमून मनाने वाले भारत को देखा है, क्या आपने उस भारत की कल्पना की है? आपने उस भारत को बनाया है जो हवाई जहाज में उड़कर जाते हैं, वहीं अपनी शादी रचाते हैं, हवाई जहाज में शादी करते, हवाई जहाज में हनीमून मनाते हैं। कोई नहीं मिलता है तो स्विट्जरलैंड में जाते हैं, हॉलैंड, पोलैंड, इंग्लैंड और विलायत में जाते हैं। आप हमारी जिंदगी को क्या अनुभव करोगे? जिसने उन भेड़-पालकों की ज़िन्दगी को, उन पशु-पालकों की ज़िन्दगी को, उन गाँव में रहने वालों की ज़िन्दगी को नहीं देखा। इसलिए मैं सदन से आग्रह करता हूँ कि माननीय सदस्य की भावना को समझें।

भौगोलिक विषमता मिटेगी तो आर्थिक विषमता मिटेगी, आर्थिक विषमता मिटेगी तो सामाजिक विषमता मिटेगी, सामाजिक विषमता मिटेगी तो भारत का एकात्मबोध होगा, गांधी का देश बनेगा, लोहिया का देश बनेगा, अंबेडकर का देश बनेगा, दीनदयाल उपाध्याय का सपना साकार होगा। भारत के महापुरुषों ने जो सपना देखा था, उन महापुरुषों के सपने को देखो। केवल दक्षिण में पेरियार का नाम लेने से, उस पर आंदोलन करने से, सत्ता में जाने से भारत का विकास नहीं होगा। केवल अंबेडकर का नाम लेने से, सत्ता पर पहुँच जाने से, राजमुकुट पहन लेने से, हीरे जवाहरात पहन लेने से भारत का समुचित विकास नहीं होगा। जब उनकी राह पर चलोगे, तब विकास होगा। हम सदन से प्रार्थना करेंगे कि इनके विधेयक को सरकार मान ले, स्वीकार कर ले, कोई रास्ता निकाले। आज न निकाले तो कभी न कभी निकलेगा, लेकिन बात जब हाथ से निकल जाएगी, भारत में जब विस्फोट होगा, तब निकालकर कुछ नहीं निकलेगा। इसलिए उठिये, साधन-संपन्न समृद्ध लोगों को त्याग करवाइए और नए भारत के निर्माण में शोषित, पीड़ित, दलित, अविकसित वर्ग के लोगों को भी देश का हिस्सा बनने का अवसर दीजिए।

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय (श्रावस्ती): आदरणीय सभापति महोदय, आपने माननीय सदस्य श्री वैजयंत पांडा जी के विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद अर्पित करता हूँ।

मैं श्री वैजयंत पांडा द्वारा प्रस्तुत गरीब, अल्पविकसित और पिछड़े क्षेत्रों तथा अंचलों, जो अवसंरचनात्मक विकास के मामलों में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, तकनीकी तथा औद्योगिक क्षेत्रों में पिछड़े हुए हैं, का तीव्र, त्वरित और समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए एक स्वायत्त केन्द्रीय प्राधिकरण स्थापित करने और उनके सुनियोजित ढंग से तीव्र विकास को आश्वस्त करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक का कुछ सुझावों और संशोधनों के साथ समर्थन करना चाहूँगा।

आज़ादी के 60 वर्षों बाद भी आज हिन्दुस्तान में तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो औद्योगिक रूप से, तकनीकी रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। जब औद्योगिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास की दर में विकासशील देशों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा हुआ हिन्दुस्तान विकसित श्रेणी में जाने की योजना यूपीए सरकार के मुखिया के कुशल दिशा निर्देशन में बना रहा है और उस ऊँचाई तक पहुँचने के लिए हरेक हिन्दुस्तानी दृढ़-संकल्प भी है, ऐसी स्थिति में जब हम पीछे मुड़कर हिन्दुस्तान के इन पिछड़े हुए और अविकसित सामाजिक समानता से दूर अपने अंचलों को देखते हैं, तो कहीं न कहीं मन में एक पीड़ा और हूक सी उभरती है। निश्चित रूप से अभी आदरणीय पांडा जी ने बात की कि केन्द्र की सरकार से जब बात की जाती है तो संवैधानिक बाध्यताओं के तहत राज्य सरकारों को भी कुछ और केन्द्र सरकारों की सीमाओं को अलग अलग बांधा गया है। कहीं न कहीं कुछ ऐसी विसंगतियाँ आ जाती हैं और ऐसे अड़ंगे आ जाते हैं जब इन क्षेत्रों के विकास में, आपस की ये सरकारें जब एक दल की नहीं होतीं या वैचारिक मतभेद वाली हो जाती हैं तो लगातार वह पिछड़ा हुआ क्षेत्र पिछड़ता चला जाता है। इसमें केन्द्र सरकार ही जिम्मेवार नहीं है अपितु जो राज्य की सरकारें हैं, उनकी भी ज़िम्मेवारी कहीं न कहीं बनती है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार इस बारे में विशेष ध्यान दे। अभी आदणीय हुकूम जी बोल रहे थे। महोदय, मैं भी किसान हूं और गांव की तथा पिछड़े क्षेत्रों की जो भी विषम परिस्थितियां होती हैं, उन विषमताओं से मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूं। फर्क इतना है कि आप मिथिलांचल के हैं और मैं अयोध्या का वासी हूं। आपने बहुत अच्छी बात कही, डॉ. लोहिया की बात कही, समतामूलक समाज की बात कही, उनकी धारणा की, उनकी नीतियों की बात कही, लेकिन विषमता यह है कि आप जिस बैंच पर बैठे हैं और जिस पार्टी में हैं, वहां शायद बार-बार डॉ. लोहिया का नाम लेते रहेंगे, तो

कहीं न कहीं कुछ अनबन हो जाएगी। समतामूलक समाज और समान अवसर को प्रदान करने के उद्देश्य से हर हिंदुस्तानी के, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय डॉ. मनमोहन सिंह ने जिस समावेशी विकास की बात कही है और जो सिद्धांत उन्होंने दिया है, वह समावेशी और समग्र विकास हिंदुस्तान और हर हिंदुस्तानी की अवधारणा के तहत ही है। उसी अवधारणा के तरह बजट सत्र में जो बजट प्रस्तुत किया गया है, वह भी समावेशी समाज पर ही आधारित है। आम आदमी को, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए हिंदुस्तानी के चहरे पर आत्मविश्वास झलकाने के लिए उसे विकास की श्रेणी में अग्रिम पंक्ति में लाने के लिए, हमारी यूपीए सरकार बिलकुल दृढ़संकल्प है और सुदृढ़ निश्चय बनाकर चल रही है। इसी अवधारणा के तहत जो कार्यक्रम भारत निर्माण की बात कहें, राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण योजना की बात कहें, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना की बात करें, डीपीएपी की बात करें, मल्टी सेक्टोरल डवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात करें या तमाम उन प्रोजेक्टों की बात करें, शिक्षा अभियान की बात कर लें, जो केंद्र का पैसा राज्य सरकारों के पास जाता है, लेकिन राज्य सरकारों को संविधान के तहत उन्हें अधिकार प्राप्त है, उनका दुरुपयोग करते हुए कहीं न कहीं इन योजनाओं में दखलंदाजी करती हैं और उन्हें अडंगे लगाने का काम करती हैं। केंद्र द्वारा दिए गए पैसे में कुछ ऐसी स्थिति पैदा करती हैं, बंदरबांट की स्थिति पैदा करती है कि वह परियोजना पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं हो पाती है और आम हिंदुस्तानी तथा गांव के लोगों तक उस योजना का लाभ पहुंच नहीं पाता है।

मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे साथियों ने जो बातें कही हैं, उड़ीसा के बारे में, बिहार के बारे में, हिंदुस्तान के अन्य पिछड़े हुए अंचलों की बात कही, उत्तर प्रदेश और विशेषकर पूर्वांचल की बातें कहीं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्थिति आज और भी ज्यादा खराब है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल का आजादी के बाद से लगातार अवेहलना की गई है, निश्चित रूप से केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे पैसे को, पर्याप्त मात्रा में भेजे जा रहे पैसे को, उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, उस सरकार के हमारे साथी गायब हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दल या लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं चल रही है। मैं आपके माध्यम से, संसदीय कार्य मंत्री के माध्यम से, माननीय सदन के माध्यम से ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आज लोकतंत्र का बड़ा विद्रूप चेहरा देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रतिनिधित्व करने का या एमपी और एमएलए वहां ऐसे दल की सरकार है कि वहां टिकट खरीदा जाता है और जहां राजनीति का व्यवसायीकरण कर लिया गया है।

यह एक बहुत ही दुखद पहलू है और निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र का एक विदुप्र चेहरा सामने आया है। जिसे रोज आए-दिन हर किसी को मीडिया के माध्यम से, अखबारों में पढ़ने को मिलता होगा, टी.वी. चैनलों पर देखने को मिलता होगा। यह कहीं न कहीं हम सबको सोचने पर मजबूर करता है कि क्या

इसी परिकल्पना के तहत हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी शहादत दी थी? क्या ऐसा ही हिन्दुस्तान और उत्तर प्रदेश देखने के लिए पूर्वांचल से मंगल पांडेय जी ने इसी दिन को देखने के लिए स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का झंडा उठाया था और शहादत देकर शुरुआत की थी? आज एक बहुत ही विदुप्र चेहरा हमारे सामने उत्तर प्रदेश की राजनीतिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था का मखौल उड़ा रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, अधिक समय नहीं लूंगा, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और वहां के विकास की गति की जो बात है, वह आज बहुत ही शर्मनाक है। मुझे बहुत ही दुख के साथ इस सर्वोच्च सदन में कहना पड़ रहा है कि यहां से जो भी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण योजना का पैसा भेजा जा रहा है, वहां उसमें 30 परसैंट तक कमीशन लिया जा रहा है। उसका नतीजा यह है कि मूल रूप से जो विकास होना चाहिए, वह नहीं हो पा रहा है। हमारा पूर्वांचल औद्योगिक और शैक्षणिक क्षेत्र में बहुत ही पिछड़ा हुआ है। वहां की भूमि बहुत ही उर्वरक है, जहां तमाम विद्वान पैदा हुए। वहां की यश की गाथाएं आज भी विद्यमान हैं। तमाम महाग्रंथों के विद्वान हैं, जिनका पूरे विश्व में परचम लहराता है, वह क्षेत्र आज भी औद्योगिक विकास की धारा में बहुत ही पिछड़ा हुआ है। विशेषकर मैं जिस क्षेत्र से चुन कर आया हूं, जहां से मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है - सरावस्ती और बलरामपुर। ये दोनों जनपद ऐसे हैं, अगर हिन्दुस्तान का डेवलपमेंट इंडेक्स उठा लिया जाए तो पता चलेगा कि इनका नाम नीचे के क्रम में व्यवस्थित है। जब कि प्राकृतिक रूप से, इतिहास के रूप से और पर्यटन की दृष्टि से यह क्षेत्र बहुत ही धनी है। महात्मा बुद्ध का जो बुद्धा सर्किट है, उसका लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा पूर्वांचल में ही आता है। रिजर्व फोरेस्ट, माइंस की बात हो तो उस दिशा में भी हमारा क्षेत्र प्राकृतिक रूप से बहुत ही धनी है, लेकिन फिर भी औद्योगिक क्षेत्र में हमारा क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है।

सभापति महोदय, आज भी वहां वन ग्रामवासियों का दर्द बहुत ही व्याकुल करने वाला दृष्य उत्पन्न करता है। हमारे यहां जो पिछड़ी जनजातियां है, उनके क्षेत्र में जब जाएं तो वास्तव में एक बार सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि क्या यह इसी आजाद हिन्दुस्तान का ही हिस्सा है। केन्द्र सरकार को संवैधानिक व्यवस्था के तहत जो अधिकार प्राप्त हैं, उनमें जो विभिन्न विभाग हैं - चाहे वह रूरल डेवलपमेंट, शिक्षा, माइनोरिटी डेवलपमेंट या विद्युत का क्षेत्र का हो, उनमें जो निगरानी समितियां हैं, उनके माध्यम से कहीं न कहीं हमें अपना अंकुश बढ़ाना पड़ेगा और राज्यों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि जिस संविधान में निष्ठा और आस्था व्यक्त करके लोकतंत्र की भावनाओं के अनुरुप राज्य में जो शासन करने का आपको अवसर प्रदान किया गया है, उसमें उनका दुरुपयोग बंद करना चाहिए और विकास को सही दिशा में तथा सही तरीके से मूल रूप से ज़मीनी हकीकत पर लाना चाहिए।

निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से एक दर्द को और कहना चाहूंगा। विद्युत के क्षेत्र को लेकर, विद्युत उत्पादन को लेकर पहले से ही हमारे उत्तर प्रदेश की पीड़ा रही है। दादरी उपक्रम के नाम पर जो प्रोजैक्ट लगाया गया, उसमें हम किसानों की उर्वरा भूमि को भी ले लिया गया, लेकिन आज भूमि अधिग्रहण के बाद भी ऐसा प्रतीत नहीं होता कि उसे पूरा किया जायेगा। विद्युत मंत्री यहां नहीं हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि उपक्रम लगाने के लिए जो जमीन ली गई थी, उसको या तो किसानों को वापस किया जाये या फिर उस उपक्रम को पूरा करके हमें बिजली प्रदान कर दी जाये, जिससे हम विकास की गति में आगे बढ़ें और आर्थिक सम्पन्नता की श्रेणी में आकर खड़े हों।

निश्चित रूप से मैं आपकी अगली घंटी बजे, उससे पहले ही अपनी बात को समाप्त कर देना चाहूंगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान इस ओर जरूर आकृष्ट करना चाहूंगा कि विकास के लिए जो पैसा आपने मल्टी सैक्टोरल डैवलपमेंट प्रोजैक्ट का दिया और जिसके तहत महिला एवं बाल विकास विभाग की आई.सी.टी.पी. योजना के तहत जो आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना की गई, उसका एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना का उदाहरण मैंने आपको दिया है। आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार के मल्टी सैक्टोरल डैवलपमेंट प्रोजैक्ट के तहत जो पैसा गया। वहां की स्थिति यह है कि केन्द्रों को बनाने के लिए एक संस्था को पूरा ठेका दे दिया गया। वह भी प्रदेश लेवल पर ही दे दिया गया, जबकि उसे हमारे स्थानीय निकायों, चाहे वे पंचायत हों, उन तक वह पैसा जाना चाहिए था और उनके माध्यम से केन्द्र बनवाये जाने चाहिए थे। उसका एक नमूना मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा कि 15 परसेंट कमीशन लेकर पैक्सफैड नाम की एक संस्था को वह पूरा का पूरा ठेका दे दिया गया। पैक्सफैड संस्था ने क्या काम किया कि स्थानीय लेवल पर लोकल ठेकेदारों को फरदर वह ठेका दे दिया। उसे पैटी डीलर्स को, पैटी एजेंसी को उन केन्द्रों का निर्माण करने के लिए 10 परसेंट लेकर आगे दे दिया गया। इस तरह से 25 से 30 परसेंट जो पैसा आपने भेजा, जो केन्द्र ने भेजा, उसका सीधे-सीधे दुरुपयोग हो रहा है। अब आप स्वयं यह अंदाजा लगा सकते हैं कि वह जो आंगनबाड़ी केन्द्र बनेगा, वह वहां के लोकल ठेकेदारों के द्वारा 30-40 परसेंट पैसे से बनाया जायेगा और उसकी स्थिति क्या होगी। क्या गांव के नौनिहाल उसमें बैठकर, जो सपना हम यहां महापंचायत में बैठकर देख रहे हैं, केन्द्र की सरकार जो पैसा भेज रही है कि हमारे नौनिहाल खुशहाल होंगे और वे विकास के दौर में हिन्दुस्तान का भविष्य बनेंगे, उनका बौद्धिक विकास हो पाएगा। क्या उस छत के नीचे बैठकर उनका बौद्धिक विकास हो सकता है? कब वह छत गिर जाये, इसका कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए मैं आदरणीय वैजयंत पांडा जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से

आपने यह एक बहुत ही अच्छा विधेयक प्रस्तुत करके एक बड़ा ही सराहनीय काम किया है, लेकिन राज्य सरकार, जो संवैधानिक अधिकार हमारे संविदान के तहत प्रदत्त है, उसका दुरुपयोग कर रही है, निश्चित रूप से हमको उस पर कहीं न कहीं अंकुश लगाकर लोकतंत्र का जो एक विद्रूप चेहरा सा सामने आता जा रहा है, इस आजाद हिन्दुस्तान में उसका पटाक्षेप करने का काम और विकास की सही दिशा में ले चलने का काम करना चाहिए। जो क्षेत्र हमारा अतिपिछड़ा रहा है, उसके लिए विशेष रूप से ध्यान देने की आज आवश्यकता है।

मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अर्पित करते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा।

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Mr. Chairman, Sir, I thank you very much for allowing me to participate in this very important subject. Shri Baijayant Panda has brought a Bill which undoubtedly, to my mind, is very important on the issues that surround this Bill or the contextualization of the issues. The issue at which he wants to look at is the overall development of poor, underdeveloped, backward regions of the country.

I felt it important that I participate in this particular debate because I think there is a need for us - after so many years, after six decades of Independence - to have a relook and a rethink as to whether whatever we are doing is having the right impact and outcomes.

We know for a fact that there are many backward regions in the country. We know for a fact that there are a lot of people below the poverty line. We know for a fact that there are places where poverty is absolutely objectionable. We know of places where there are farmers' suicides. We know of places where there are starvation deaths, and these are reported.

Without going into most of the other details which the previous speakers have already said, let me also reflect as to whether we are diagnosing the problem properly and trying to administer a medicine which perhaps is not the correct one. In the name of such well-meaning motions, are we trying to create another institution which will meet the same fate as many such institutions that we have actually set up in this country? Therefore, the argument that I would like to place before the House is that to have a relook and a rethink of many of our development programmes is a must.

The Budget has just been passed. Rs.10 lakh crore is not a small sum of money. It is 1 and after that there are 13 zeroes. It is almost 10 trillion rupees that is going to be poured into our economy. As I said earlier, if the Finance Minister wants the outcomes that he so desires, then there is a great need to look at the delivery mechanisms that are there in place in the country.

Whilst it is good to think of another authority - we are looking at another authority to look at the backward regions for instance - can we also say that this authority will not meet the same fate as all the other authorities that are there in our country? I would like to just say in this august House that perhaps what is needed now is that we should pay more attention to how the money that is already being provided for is getting utilised. Therefore, I agree with the previous speaker that a lot of responsibility does rest with the States.

Indeed I would like to go into the example of my own State where we have done fairly remarkable work. Under the leadership of Dr. Pawan Chamling we have indeed seen that 70 per cent of all funds which come from the Centre are indeed devolved to the rural areas. This has been going on for the last fifteen years, and we see a remarkable change in the landscape in our own State. That has been borne out by the many awards and accolades that our State has garnered.

What I would like to say is that there is a need for the States to show greater leadership; that governance in every State must be toned up; that governance within our Panchayati Raj system must be toned up. With the kind of major national programmes that have been unleashed, it is time for every one of us to see that the funds that are being poured into our economy and into our rural areas are utilized to the best and to see that we get the best out of every rupee.

This is why I say that perhaps getting another Authority into place is not the right answer. But the diagnosis of what ails our systems, specially our delivery mechanisms, our delivery systems and our bureaucratic mechanisms should be the focus.

This morning, in the Question Hour also, a remark was made that a certain amount is being kept aside for many of the NREGA programmes, and that money could be actually increased to see that the monitoring and evaluation of many of these programmes which can actually mitigate a lot of the problems that are there in backward areas could be done properly.

The whole concept of inclusive growth is a very noble and a very good one. If we, all of us, even from this very House, can actually go to our individual areas and see that the work that is being done by programmes such as the NREGA is done well, it will go a long way in mitigating some of the problems.

So, my premise is that perhaps what is in context is actually true – I completely sympathise and empathise with the issues on hand, but the mechanism that is being sought from this Bill is perhaps not the correct one. So saying, I thank the august House and the Chairman for giving me this time.

SHRI BHAKTA CHARAN DAS (KALAHANDI): I am thankful to my friend, Mr. Panda, who has moved this Bill. I am actually thankful to him for his concern – a man born with the silver spoon in the mouth thought about the poor people, thought about the backward region. So, I am very much thankful to him for his concern for the backwardness of the country and of the State. यह बात सच है कि बगल में एक राज्य का विकास हो गया है तो दूसरे राज्य का विकास नहीं हो पाया है। अगर आप हमारे उड़ीसा का ही उदाहरण देखिए, उड़ीसा के बगल में बंगाल है, बंगाल हर क्षेत्र में बहुत आगे है, एक तरफ आंध्र प्रदेश है, वह भी आगे है। लेकिन जो मिनरल डिपॉज़िट एरिया है, जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये एरिया क्यों पीछे हैं? इनमें जो रीजनल इम्बैलैंस है, गरीबी का कोई समाधान नहीं हो पाया, विस्थापन का कोई समाधान नहीं हो पाया, शिक्षा और स्वास्थ्य् में भी हम लोग बहुत पीछे हैं। उड़ीसा में प्रति 12 हजार लोगों में एक डाक्टर उपलब्ध नहीं है, एक डाक्टर उपस्थित नहीं है। अगर हम अपने राज्य को देखते हैं, भुवनेश्वर जितना डैवलप्ड है, राउरकेला जितना डैवलप्ड है, कटक शहर जितना डैवलप्ड है, उतना डैवलप्ड कंधमाल एरिया क्यों नहीं है। कंधमाल, रायगढ़, कोरापुट, कालाहांडी, नवापाड़ा, बोलांगीर, बोलांगीर जिले में तीन प्रतिशत भी सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या कारण हैं? भारत का संविधान सरकारों को अपने एरिया का विकास करने के लिए पर्याप्त अधिकार और ताकत देता है। इसके बावजूद भी हम अपने राज्य उड़ीसा में विकास क्यों नही कर पाए? यह एक प्रमुख बात है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कई योजनाएं बनीं। 1986-87 में काफी अकाल आया।

तत्कालीन प्रधान मंत्री, हमारे प्रिय नेता राजीव गांधी जी ने तीन बार उड़ीसा का दौरा किया। उस समय मैं विधायक था। मैंने उड़ीसा विधान सभा में भुखमरी की बात उठायी थी। राजीव गांधी जी ने उड़ीसा में तीन बार जाने के बाद गरीब इलाके के विकास के लिए एक योजना बनायी। उन्होंने उस योजना की प्राइम मिनिस्टर आफिस से खुद मौनीटरिंग की। उसके बावजूद भी वहां जितना अनुदान केन्द्र सरकार की तरफ से गया, वह खर्च नहीं हो पाया और उनको कहना पड़ा कि हम जितना पैसा सैंटर से भेजते हैं, उसका 20 प्रतिशत भी गांव में खर्च नहीं होता। एक सेवा दल के शिविर में राजीव गांधी जी ने कहा, जिसे देश के सभी लोग जानते हैं कि अगर गरीबी देखनी है और गरीब लोगों के लिए जो पैसा भेजा जाता है, वह किस तरह से खर्च होता है, उसे देखना है, तो आप उड़ीसा जाइये, कालाहांडी जाइये। यह रीजनल इम्बैलेंस का नमूना है। हमारे मित्र यहां अपनी बात रखते समय कह रहे थे कि पिछड़ा एरिया डेवलपमैंट अथारिटी के फार्मेशन की बात आयी है, तो वह अथारिटी हम क्यों बनायें? अगर हम इसे बनायें, तो राज्य सरकार की जो व्यवस्था है, विधान सभा है, वह क्या करती है? उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि 45

परसेंट गरीबी उड़ीसा में है। उड़ीसा सबसे पिछड़ा राज्य है जहां 45 परसेंट गरीबी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पिछले दस साल में उनकी सरकार ने उड़ीसा में क्या किया है? उन्होंने वहां कितना विकास किया है? क्या ये गरीबी की मात्रा दस या पांच परसेंट भी घटा पाये हैं? यह अफसोस की बात है कि वहां गरीबी की परसेंटेज पांच परसेंट भी घट नहीं पायी है। यहां पर ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री डेवलपमैंट की भी बात हुई है। I must thank him for his concern about increasing the royalty in mineral deposits. लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि किस तरह से 128 रुपये पर टन रॉयल्टी लेकर वेदांत कम्पनी को मिनरल दिया गया है, जिसका आज मार्केट में न्यूनतम रेट तीन हजार रुपये पर टन है। अब आप सोचिए कि उड़ीसा में गरीबी और पिछड़ापन कैसे मिटेगा? उड़ीसा में क्योंझर, सुन्दरगढ़, कोरापुट और कालाहांडी जिला है। वहां मिनरल डिपॉजिट भरपूर है, हर तरह का मिनरल है। अगर हम उसका चयन और डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं करेंगे, तो हम किस तरह से विकास कर पायेंगे? हमारी मिनरल पॉलिसी कहती है कि हमें रॉ मैटीरियल एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जो लोग हमारी अर्थनीति के विकास के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, उनकी हमें मदद करनी चाहिए। लेकिन पसको एक कम्पनी है जो अपना धन लगाकर जरूरत से ज्यादा माल बाहर एक्सपोर्ट करेगी। हम पूछना चाहते हैं कि आपने उनको इसकी परमिशन क्यों दी है? एक तरफ आप हमारे कच्चे माल को बाहर एक्सपोर्ट करने देंगे और दूसरी तरफ आप अपने विकास की बात करेंगे, रीजनल इम्बैलेंस की बात करेंगे, तो उसे हम कैसे ऐक्सैप्ट करेंगे? आज वेदांत कम्पनी जो मिनरल ले रही है, वहां 1 लाख 20 हजार मीट्रिक टन बॉक्साइट डिपॉजिट है। अगर हम उसे 64 रुपये पर टन देंगे, तो हमे क्या मिलेगा। भारत सरकार का कानून है कि जहां ट्राइबल्स जंगल में बसे हुए हैं, वहां उनका जमीन और उससे प्राप्त होने वाली खनिज सम्पदा पर अधिकार है। वहां जो आदिवासी रहते हैं, उनको क्या मिल रहा है? आप देखिये कि मिनरल डिपॉजिट एक्सप्लॉयट होगा, लेकिन एक पैसे का बेनीफिट वहां के आदिवासियों को नहीं मिलने जा रहा है। उस एरिया का आर्थिक विकास कैसे होगा? आप कहेंगे कि हम उनके स्वास्थ्य, शिक्षा या रास्ता बनाने में दो, चार, पांच या दस करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं, तो उससे उनका विकास नहीं होने वाला है। यदि आपको ईमानदारी से रीजनल इम्बैलेंस को, बैकवर्डनैस और गरीबी को दूर करना है, तो आपको इस बात को समझना होगा कि आप उसमें उन्हें मालिकाना हक दीजिए।

उनको ओनरशिप दीजिए भले ही एक परसेंट दो, 10 हजार रूपए मंथली रोजगार कर सके एक परिवार, उतना दो। आप उनको इन्वाल्व करो, इनक्लूसिव ग्रोथ की तरह आप उनको आर्थिक विकास में इनवाल्प करो। अगर यह नहीं करेंगे, तो उनका विकास नहीं हो सकता है। समाजवादी नेता श्री हुकुमदेव जी

ने अपनी बात कह रहे थे कि जिसको गरीब की पीड़ा नहीं, भूख का एहसास नहीं है, ये चीजें जिसके अनुभव नहीं आई हैं। हुकुमदेव जी बहुत अच्छी बात है, हम आपकी इज्जत करते हैं। आप जानते हैं कि I am born with pangs of poverty. आप जानते हैं कि आपके साथ भी कई साल हमने आंदोलन किया है। बोधगया जैसे भूमि संघर्ष में रहकर भूमिहीन लोगों को भूमि दिलाने के लिए संघर्ष किया है। आज नक्सलवाद इतना क्यों बढ़ा है? चाहे झारखण्ड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो या उड़ीसा हो, इन तीनों राज्यों में मैंने काम किया है। हमारे मित्र माननीय मंत्री श्री अजय माकन जी यहां बैठे हुए हैं, लोग आगे बंदूकधारी, पीछे बंदूकधारी लेकर घूमते थे, लेकिन मैं एक बाई-इलेक्शन में गया था, मैं अकेले ही घूमता था। मुझे उनका डर नहीं था क्योंकि उनमें से बहुत से लोग जानते होंगे कि मेरी बैकग्राउण्ड क्या है। अगर आप नक्सलवाद की समस्या के हल के लिए नजरिया नहीं बदलेंगे, उस इलाके का विकास नहीं करेंगे, इतनी सारी स्कीम्स होने के बावजूद और भारतीय संविधान के अंतर्गत पर्याप्त अधिकार दिए जाने के बावजूद उस एरिया में विकास नहीं लाएंगे, तो नक्सलवाद बढ़ेगा। दो साल पहले केबीके योजना बनी, 500 करोड़ रूपए दो साल पहले तीन ब्लॉक्स -यशवंतपुर ब्लॉक, काशीपुर ब्लॉक और थ्वामुल रामपुर ब्लॉक - में खर्च हुए, इसके बावजूद भी वहां पर 500 लोग भूख, पीड़ा और डायरिया से मरे। ये लोग क्यों मरे? हम लोग वहां रिलीफ काम कर रहे थे, वहां पर गए थे। आपकी मानसिकता ही कमजोर है। आप चाहे जितनी ऑटोनॉमस अथारिटी बनाइए, आप वहां लोगों की भलाई नहीं कर सकते हैं। केवल यही बात होगी कि गरीब हैं हम इसलिए कि तुम अमीर हो गए, एक बादशाह हुआ, 100 फकीर बन गए। इससे यही होगा। हमारी राज्य सरकार का यही एप्रोच है। अगर आप पिछले दस साल में गरीबी को पांच प्रतिशत भी घटा नहीं पाए, तो मैं कैसे मानूं, दुनिया कैसे माने कि आपने राज्य का विकास किया है। आपकी मानसिकता में कहीं दोष नहीं है, यह मैं एक नौजवान, एक नागरिक होते हुए कैसे मानूं। मैं कालाहांडी, जो उड़ीसा का सबसे भूख पीड़ित जिला है, से आया हूं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर मुख्यमंत्री के पद पर मैं बैठ जाऊं तो मैं एक साल में नक्शा बदल सकता हूं इन इलाकों का और नक्सलाइट प्रॉब्लम भी आसानी से हल की जा सकती है, जो आप कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपकी मानसिकता में कहीं दोष है। अगर मानसिकता में दोष आ जाए, अगर कोई सरकार अपनी शासन की अवधि में मानसिक रूप से उसके लिए समर्पित नहीं होगी, तो समस्याएं कैसे हल होंगी। आप कह रहे थे कि आपकी सोच, आपकी एप्रोच क्या है, आप किसी विषय के प्रति रिस्पांसिव हैं या नहीं हैं। अगर आप रिस्पांसिव हैं तो आप उसको हल कर सकते हैं। इसके लिए कोई अथारिटी बनाना जरूरी नहीं है। हमारे प्रदेश में पश्चिम उड़ीसा को अलग राज्य बनाने की मांग चल रही है, इस बात को मेरे मित्र लोग जानते हैं, लेकिन मैं इस बात का समर्थन नहीं कर रहा हूं क्योंकि उड़ीसा एक

छोटा राज्य है, उसे दो टुकड़े करके आप विकास की ओर ले जाना चाहते हैं। लेकिन जिस राज्य में बालंगीर जिले में एक व्यक्ति एक बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आज उस जिले में मात्र तीन प्रतिशत सिंचाई की व्यवस्था है। इसमें मानसिकता की कमजोरी है। वह व्यक्ति जो मुख्यमंत्री बने, वह कमजोर थे, वह अपने एरिया के विकास में सोच नहीं पाए और वह एरिया विकास नहीं कर पाया। इसके लिए मैं उनको जिम्मेदार ठहराता हूं। अगर मैं कालाहांडी का प्रतिनिधित्व करता हूं, मेरे समय में अगर मेरे एरिया का विकास नहीं हो पाएगा, तो मैं अपने आप को जिम्मेदार मानूंगा। यह हर व्यक्ति को अपने को जिम्मेदार मानना चाहिए। इसलिए सोच में जो अंतर है, उसको लेकर आप संविधान को गलत नहीं कह सकते हैं। कुछ लोग संविधान में परिवर्तन लाने की बात कह रहे थे, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं। हमारे पूर्वजों ने जो संविधान बनाया, वह बहुत सोच-समझकर बनाया है। जब मैं रेलवे बजट पर बोल रहा था, तब मैंने कहा था कि इस समाज में गांधी जी की जो सोच है कि सबसे शोषित व्यक्ति अगर रो रहा है, सबसे शोषित व्यक्ति की आंखों में अगर आंसू है, जब तक उसके आंसू पोंछे नहीं जाते हैं, जब तक वह गरीब गरीब बना रहता है, तब तक यह देश समृद्ध नहीं हो सकता है।

<u>17.00 hrs.</u>

इसीलिए कांग्रेस पार्टी की आज तक जो भी नीतियां बनी हैं, देश हित को और देश के विकास को ध्यान में रखकर ही बनी हैं। मैं यह नहीं कहता कि उनमें खामियां नहीं रही होंगी, कुछ खामियां भी होंगी, गलतियां हमने भी की होंगी, लेकिन क्या हमारे पास जितने आयाम हैं, जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके जरिए संसद में बैठे हैं, विधान सभा में हमारे मित्र बैठे हैं, क्या हम अपने क्षेत्रीय असंतुलन और पिछड़ेपन के सवाल को वहां हल नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर हम समर्पित हैं, तो जरूर कर सकते हैं। इसलिए मैं आपकी सोच का तो जरूर आदर करता हूं कि आप पिछड़े क्षेत्रों के बारे में सोचते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जो गरीब इलाका है, उसके बारे में सोचते हैं। जहां तक रेलवे की बात है, बिहार से कई रेल मंत्री हुए और बिहार में रेल लाइन छा गई। हम लोग दो बार उड़ीसा से रेल मंत्रालय में मंत्री बने, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं रह पाए। मैं करीब सात महीने तक रहा और हमारे दूसरे साथी दो साल तक रहे इसलिए उड़ीसा में रेल लाइनों का ज्यादा विकास नहीं हो पाया। बंगाल से कई सदस्य रेल मंत्री बने और आप देखिए कि बंगाल कितना विकास कर रहा है। रेलवे एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हर कोई चाहता है कि वह अपने एरिया को रेल नेटवर्क से जोड़ दे और उसका आर्थिक विकास तथा आनुषंगिक विकास करे।

17.02 hrs.

(Dr. M. Thambidurai *in the Chair*)

लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो सोच है, जैसे नरेगा है, यह एक क्रांतिकारी विचार है। यूपीए सरकार ने गांधी जी की सोच को ध्यान में रख कर कई क्रांतिकारी विचार इस देश को दिए हैं और देश के लिए काम किया है। केवल एक ही चीज की जरूरत है कि हम लोग तो इंस्ट्रूमेंट हैं, हम सब इंस्ट्रूमेंट अपने-अपने विचार और सोच को बदलते हुए काम करें तो आने वाले समय में क्षेत्रीय असंतुलन और पिछड़ापन नहीं रहेगा।

इन्हीं बातों के साथ मैं कहना चाहता हूं और यह अनुभव भी करता हूं कि और एक अथोरिटी बनाने की जरूरत नहीं है। हम जितनी ऐसी चीजें बनाएंगे, उतने ही ज्यादा शोषक पैदा करेंगे। केबीके के विकास के लिए एक संस्था है, लेकिन उसका कोई अस्तित्व नहीं है, इतना पैसा जाता है, पर काम नहीं हो पाता है। हमने बंगाल के लिए पश्चिम बंगाल डवलपमेंट परिषद बनाई है, लेकिन इतने साल बाद भी कोई विकास नहीं हो पाया है, इस बात को हमारे सब मित्र जानते हैं। इसलिए और कोई इंस्टीट्यूशन बनाने की बात का मैं समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन यह जो गरीबी है, पिछड़ापन है, यह नहीं रहना चाहिए। इसे दूर करने के लिए हर तरह का प्रयास होना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

SHRI PINAKI MISRA (PURI): Mr. Chairman, Sir, I am grateful to you for having given me this opportunity of participating in what I regard as a historic Bill that my colleague Shri Baijayant Panda from Kendrapara has brought to this House. We have come to this House at the back of a historic mandate given by the people of Orissa where Shri Naveen Pattnaik, has been, for the first time, been elected for the third consecutive term as Chief Minister of the State and the people of Orissa have sent a trunch of 14 Members of Parliament to this House to look after their interests. My esteemed colleague has sought to look after not just the interest of Orissa but the interest of several other neighbouring States which languish in the same back waters as does my poor State.

In what is essentially a remarkable bi-partisan Private Members' Bill, there is regrettably a slight hint of partisanship that has been injected by my very esteemed colleague, the previous speaker, Shri Bhakt Charan Das. Politics very seriously makes strange bedfellows. I cannot but recall the fact that the wonderful quality is that he extols in the virtues of the late Rajiv Gandhi, but when the late Rajiv Gandhi visited, in fact, for the first time when he went to Kalahandi from where this KBK project has found its origin, I think, Shri Bhakt Charan Das in those days had probably raised black flags against him. This is in lighter tone. Today, he extols his virtues and I stand before this House as a Member of Biju Janata Dal.

SHRI BHAKTA CHARAN DAS (KALAHANDI): I am sorry to hear this. I met him and I discussed it with him as an Opposition MLA. But I have not shown any black flag. I want to bring it on record that he invited me for a talk afterwards. … (*Interruptions*)

SHRI PINAKI MISRA : That is why, I said that I am saying it on a lighter note. … (*Interruptions*) It is marvellous. In fact, partisanship has crept in and I must say that I am very happy that two very esteemed Members of Parliament know Orissa very well as General Secretaries of the Congress Party, Shri

Narayanswamy and Shri Ajay Maken. Therefore, I think, they will, if nobody in this House, empathise with what my colleague Shri Baijayant Panda has stated.

I wish to bring just a couple of facts on record and a couple of facts about the Bill itself. Firstly, for the past three years running, the GDP growth of Orissa has been larger than the national growth. This is borne out by the World Bank Reports, the Planning Commission Report and of the Ministry of Finance. Why then has Shri Panda to bring this Bill to this House and why then does Orissa continue to languish in poverty?

Shri Panda talked about 45 years, out of the 50 years, which was Congress ruled period and the rest five years were non-Congress ruled period. It may be seven or eight years of non-Congress rule. So, 45 years of command economy of the State has I think created certain imbalances which Shri Panda has very eloquently brought out. I only wish to add to the same.

A mention has been made about the KBK. The KBK was envisaged as a very special plan for Kalahandi, Bolangir and Koraput. Now, we find that the so-called funds that were earmarked for infrastructure projects for KBK have remained allegedly unspent at times because of extra rigorous curtailment on the part of the Centre. We find that the same project is now being extended towards Haryana, Punjab and other States. How does the uniqueness of KBK survive? This is a question which I ask myself. How does the amelioration of the backwardness of Orissa which was the central focus of KBK survive today? Therefore, Shri Panda has to be complimented for attempting to bring something before this House by way of an alternative mechanism.

Sir, there are several issues which Shri Panda raised with regard to railways, freight equalisation, mineral royalty, etc. How has, for instance, revision or upward mobility of the GDP growth of our State taken place? It is because of the enlightened policy of the State towards the mineral royalty issue. Kindly see what our State has done with regard to the manner in which minerals in Orissa can be tapped. Orissa has stated that unless there is a value addition by way of some

industry or the other, there will be no mineral farms as it were farmed out to people for export purposes. What does the Central Government choose to do today? The Central Government today wishes to bring in a new mineral policy. One should do away precisely with this kind of value addition that the State wishes to inject and that is precisely the kind of partisanship that Shri Panda was talking about. That is precisely the sort of treatment of the Centre which he was mentioned. If a new Bill or a new enactment comes today which says that in the event the State Government does not adhere to the Central Government's request of giving mineral resources to even those persons who do not wish to put up an industry, then it will revert back to the Central Government, to the Concurrent List, and the Central Government then will decide according to its own whims and fancies. That is precisely, what the State Government is crying hoarse about.

The State Government because of this value addition policy, has augmented its resources to some extent and that is why, we have brought down the poverty ratio by about two per cent. We have brought in food security in the State by way of Rs. 2 per kilo rice scheme. Of course I have no doubt that my friends on the other side realise that in larger measure it has brought the kind of food security that Shri Naveen Patnaik has been able to give to the people. He has been responsible for the kind of resounding mandate that he has got. But what Shri Panda has pointed out is the salient features in terms of the fact that agriculture in backward areas like Orissa is dependent year after year on rain. Unless a special emphasis is laid on irrigation, we will be dependent perennially on rainfall or lack of it. Therefore, Orissa, which is visited by either alternate drought or floods, is going to continue to languish in poverty.

We have a problem with the lowest pupil-teacher ratio in the country. This, Mr. Chairman, as you know, is a chicken and egg situation. What comes first? Does the infrastructure come first? Or does the improvement of the State's economy come first? The age-old question that Americans have asked themselves is this: Is America rich because of its good roads or are roads very good in

America because it is rich? It is the same thing. The same question has to be asked with regard to backward States, like Orissa, Jharkhand, and Chhattisgarh. Are we going to get good educational institutions? Are we going to get good health infrastructure? Are we going to get good infrastructure, which will encourage micro, small and medium enterprises in khadi sector, handloom sector and handicraft sector? Are we going to get entrepreneurs who come to our State and invest there because they feel that there is potential to be milked there? Or are we not going to get them because they feel that the State is already languishing in poverty?

That is the reason, I think, Mr. Panda is to be complimented for bringing the Bill before this august House, which I think, has salutary provisions. The Government has to, I think, take a very close look at this. I know the kind of traditions that obtain with regard to the Private Members' Bills. They are brought to be withdrawn. I think there are people in the House who share the empathy of the State because they have dealt with that State very closely and they realise that some of the provisions of this Bill truly require a closer look.

Shri Panda, of course, with his love for the State has said that the headquarters of the authority shall be at Bhubaneswar. I, perhaps, would make a departure there and say that the headquarters should be in Delhi and meetings should be held every quarter in any of these regions that are designated as backward regions. You can then have meetings in those areas. I am sure, Shri Bhakta Charan Das would have no difficulty if a meeting is held in Kalahandi where the Prime Minister himself goes and chairs a meeting. I think, salutary measures will then be taken – Shri Das can be certain about it – by the State Government, the Central Government as well as by all other authorities to ensure that at least that meeting is a resounding success and at least that region then sees some development for that period.

Shri Panda in clause 9(2) says:

> "Without prejudice to the generality of the foregoing provision, the Authority shall take following measures. "

Then, he has listed out six measures. These, I am sure, he meant them to be only illustrative. These cannot be exhaustive. Therefore, I would like to, in fact, say that it should be the following measures which shall "include, but shall not be limited to." It is because there are five or seven or ten or twelve other points which, I have no doubt, can be included in this. … (*Interruptions*)

I am mindful of the bell. All I need to say before this august House is that Shri Pand has brought an extremely valuable piece of suggestion to this House and it is up to the collective wisdom of this House to decide as to how they wish to adapt to this suggestion, as to how they wish to deal with this suggestion.

I sincerely urge this House not to deal with it in the manner in which all other Private Members' Bills are ordinarily dealt with because this truly is an extraordinary Private Member Bill which has been brought by my learned esteemed colleague.

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): महोदय, जब यह बिल आया, तब मैंने सोचा कि पूरे देश में अंडर डवलप एरीयाज और रीजंस के कारणों के बारे में कुछ कहना चाहिए।

मैं इसे स्पोर्ट करता हूं। पांडा जी ने यह बिल प्रस्तुत किया है, यह बहुत अच्छा नजरिया है। मैं कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा जिम्मेदार मंत्री होते हैं। उससे ज्यादा जिम्मेदार हमारे मंत्री लोग होते हैं। यहां बैठे भी हैं। वे इसलिए होते हैं क्योंकि चंद मंत्री ही ऐसे होंगे जो पूरे देश को एक जैसा देखते होंगे नहीं तो राज्य के अंदर घुसे पड़े हैं, निर्वाचन-क्षेत्र के अंदर घुसे पड़े हैं चाहे वे स्टेट मिनिस्टर हों, असैम्बलियों के हों या पार्लियामेंट के हों। अब जैसे रेलवे की बात कर रहे हैं, अफसोसनाक बात है कि बनाने वाले हम सारे मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। पूरी पार्लियामेंट है जिसका वे रिप्रेजेंटेशन करने यहां आए हैं। हम सारे लोग इस देश के लिए आए हैं। We meant for country. अभी मेरे कोई मित्र यहां कास्ट की बात कर रहे थे। एमएलए होकर और इतना लम्बा-चौड़ा नाम सुना लेकिन कमजोरी बता गये हैं कि मैं एमएलए था, किसी गांव के किसी एरिया में गया, वहां खाना खाया, उन्होंने फिर मेरे से थाली भी साफ करवायी और उस जगह को भी साफ करवाया। एमएलए होकर आपकी यह हालत है तो फिर एमपी बनकर क्या होना है? You are the representative of the particular area. You are representing not only one caste but every community. You must understand every man. मैं सभी को कहना चाहता हूं कि अब जब हम लोग कास्ट, कलर, क्रीड और सैक्स इन चीजों में फंसे पड़े हैं, तब मैं नहीं सोच पा रहा हूं कि इस देश का हम लोग कितना हित करने जा रहे हैं। विकास की बात तो अलग है।

चाहे हमारी पाकिस्तान से दुश्मनी रहे, चाइना से भी दुश्मनी रहे, पूरे पड़ौसी चाहे दुश्मन बनकर रहें, घर भी और घर के अंदर कास्ट, कलर रहे, मैं बैकवर्ड हूं, यह फॉरवर्ड है, यह शैड्यूल्ड कास्ट है, शैडयूल्ड ट्राइब है, यह कोली है, यह फलाना है, ये सब हम कब तक करते रहेंगे? अरे हिन्दुस्तानी क्यों नहीं बनते? हिन्दुस्तानी बन जाओ। हिन्दुस्तानी बनकर न सरकार डरा सकती है और न पाकिस्तान डरा सकता है। मेरी आप सभी से विनती है कि आप सभी अपना-अपनी नजरिया बदलें। मेजोरिटी ऑफ दि मिनिस्टर्स की आप लिस्ट देखेंगे, तो मेजोरिटी में डोमिनेशन शहरों की होगी। मेरे जम्मू में चले जाइए, तो जम्मू शहर की असैम्बली में अगर वे मेरी पार्टी के हैं, मुझे कोई अफसोस नहीं है, लेकिन 6-6 कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, तो वे जिले की तरक्की, वहां के चपरासी से लेकर कमिश्नर तक सारी दुनिया सुबह से शाम तक झाड़ू नहीं लगाएगी तो क्या तरक्की नहीं होगी? सवाल है कि हर कोने का, हर जगह का और हर एरिया का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? हमें यह देखना है। जब रिप्रेजेंटेशन होगा तो उसकी सोच से यकीनन चीज बदलेगी।

अब रेलवे को ही ले लीजिए। 70000 कि.मी. रेलवे लाइन इस देश में बिछाई जा चुकी है। मेरे जम्मू-कश्मीर में 70 कि.मी.रेलवे लाइन है। क्यों इंसाफ नहीं हुआ? क्या जब चौधरी लाल सिंह ही मिनिस्टर बनेगा तो क्या तभी रेल लाइन बिछेगी? इसका मतलब है कि कोई और बनेगा तो क्या हमारे यहां रेलें नहीं पहुंचेगीं? तब क्या रेलें हमारे पूरे एरिया की नीड एंड रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करेंगी? मेरा आपसे निवेदन है कि किसी को कोई अधिकार नहीं है। यह तो शुक्र है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इतने बढ़िया-बढ़िया हैं, नहीं तो ऐसा हो जाए कि वे फिर सारे पैसे शाम को घर ले जाएं, पूरा सौदा ही ले जाएं। बना दो मेरे इलाके के सारे ब्रिज, बना दो सारी सड़कें, बना दो सारे महल और बाकियों को छोड़ दो क्योंकि वे बैकवर्ड हैं। बैकवर्ड किससे होता है? मैं अपने बड़े भाई से कहना चाहता हूं, you see my constituency, अभी भी लोग 86 कि.मी., 90 कि.मी., 50 कि.मी., एवरेज 30 कि.मी. पैदल चलते हैं और वे सवर्ण हैं, अपर कास्ट के हैं। अब बताइए कि क्या उनको मार दें? वे लोअर कास्ट के नहीं हैं। मेजोरिटी अपर कास्ट है। आप नोट करिए कि वहां मेजोरिटी राजपूत हैं, ब्राहमण भी नहीं हैं। अब आप मुझे बताइए कि क्या किया जाए? सवाल अपर-लोअर कास्ट का नहीं है। सवाल है कि who will represent the country? Who is representing the state and the constituency? मैं यह कहना चाहता हूं कि कास्ट और कलर करके आप तबदील नहीं हो पाएंगे। हमें शर्म नहीं आती जब कसम उठाते हैं तब कोई जाति, बिरादरी, कस्बा नहीं होता है और उसमें कहा जाता है कि मैं सबकी परवाह करूंगा, मैं कांस्टीटयूशन को मानकर चलूंगा। मैं यहां आया हूं और मैंने पिछले पांच साल भी यहां काटे हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूं और मैंने महसूस किया है, चाहे मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट गुस्सा करें, चाहे उनको तकलीफ हो लेकिन सबसे पहले इनको ही देखना पड़ेगा कि आप जाति लेकर क्यों आए हो? कभी हिन्दुस्तानी बनकर तो देखो, यह हिन्दुस्तान डेवलप हो जाएगा, पूरा देश डेवलप हो जाएगा।

महोदय, मैं कुछ इलाकों की बात करना चाहता हूं, जहां सरकारी स्कूल हैं। वहां प्राइवेट स्कूल तो हो ही नहीं सकते क्योंकि कहां पैदल जाकर कोई प्राइवेट स्कूल या कालेज खोलेगा? वहां सरकारी स्कूल तो हैं लेकिन न टाट है, न बिल्डिंग है, न डैस्क है और न ही इन्फ्रास्ट्रक्चर है, वहां कुछ नहीं है। आप सर्व शिक्षा अभियान, सीसीएस, ईजीएस की बात कहते हैं। ये कहां है? मुझे उस दिन बोलने का मौका नहीं मिला नहीं तो मैं आपको दिखाता कि ये दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ बनाने की लंबी चौड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन यहां तो अभी तक स्कूल ही नहीं बने हैं। आप पहले स्कूल बनाइए। मेरे इलाके में अभी भी छोटे बच्चों को आठवीं क्लास पढ़ने जाना होता है तो 10-20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। वहां हॉयर सैकेंड्री स्कूल का नाम ही नहीं है। वहां डिग्री कॉलेज कहां से आ जाएगा? वर्ल्ड क्लास, क्वालिटेटिव, वैरी

साइंटिफिक, मॉडर्नाइजेशन, क्या नाम रखे हैं? आज कल मॉडर्नाइज पता कौन है, जिनकी पैंट बिल्कुल ढीली है, जिसकी पैंट बिल्कुल साथ में नहीं है। He is a very modernized boy. She is a very modernized girl. This is the position. मेरे इलाके में अभी भी लोगों की पैंट टाइट है। आप तो मॉडर्नाइज हो गए, क्वालिफाइड हो गए, आपके यहां सड़क बन गई है इसलिए आपकी पैंट नहीं खुलती है, हमारे यहां चढ़ाई चढ़ो तो खुल जाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं और मेरी सब्मिशन है कि अंग्रेजी के शब्द दिखाकर, अंग्रेजी का गोलमाल दिखाकर यह देश नहीं चमक पाएगा, अंग्रेजी कहने और बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह स्टाइल है। This is the style of language and speaking. This is a very good style! सब कहते हैं - क्या बोलता है, अंग्रेजी बोलता है, क्या पर्नसिएशन है? लेकिन यह पर्नसिएशन क्या करेगी? आपने मौका दिया है और आप मेरे लिए अपनी डिस्क्रीशनरी पावर का इस्तेमाल करना, पूरा फायदा देना। मंत्री साहब बैठे हैं, ये बहुत तगड़े मंत्री हैं, मैं इन्हें जानता हूं। सुबह नरेगा और पीएमजीएसवाई की बात कह रहे थे। मैं कहता हूं आप एक दिन मेरे साथ सैर करो तो मैं आपको पीएमजीएसवाई भी दिखाऊं, नरेगा भी दिखाऊं और आपका पूरा डिपार्टमेंट दिखाऊं जिससे भारत निर्माण करना चाहते हो। भारत निर्माण गांवों में है, गांव वे नहीं हैं जो सड़क से दो किलोमीटर आगे है, गांव वे हैं जो सड़क से 20 किलोमीटर है, जहां सड़क नहीं, गली नहीं, टक्की नहीं बल्कि पैदल चलने का रास्ता है। जहां इंसान नहीं चल सकता, वहां बकरियां चलती हैं। आप चलिए इन्द्रबल, चलिए किश्तबार, चलिए बद्रवाह, चलिए डोडा, चलिए गुलाबगढ़, चलिए अंगाला, चलिए गुलअनाज़, आप वहां जाकर देखिए।

MR. CHAIRMAN : Now, please wind up.

CHAUDHARY LAL SINGH : I am concluding. मेरी विनती है कि हर सर्विस इतनी कमजोर है, इतनी बुरी हालत है कि जहां क्राइटेरिया बनाया है कि 20,000 पॉपुलेशन के लिए एक प्राइमरी हैल्थ सैंटर होना चाहिए और अब 15,000 पॉपुलिशन किया गया है। हमारे यहां 20,000-15,000 या 5000 पॉपुलेशन ढूढ़नी हो तो आपको सौ किलोमीटर घूमना पढ़ेगा। इसका मतलब है कि आप यहां प्राइमरी हैल्थ सैंटर नहीं दे पाएंगे।

MR. CHAIRMAN: Please wind up now. You can speak on some other subject or topic when it comes next time.

चौधरी लाल सिंह : महोदय, आप मेरी बात का अंत सुन लीजिए। क्या आप नहीं सुनेंगे? मेरी आपसे विनती है क्योंकि प्रणब साहब ने पूरी तसल्ली की और इन्होंने भी पूरी तसल्ली की है लेकिन मेरी तसल्ली फिर भी रह गई है, मैं दोबारा तसल्ली करूंगा।

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, Sir, I stand here to deliberate on this very important Private Member's Bill moved by my friend Shri Baijayant Panda relating to Underdeveloped and Backward Areas and Regions (Special Provisions for Accelerated Development) Bill, 2009. In this Bill he has made certain observations in the Statement of Objects and Reasons and while explaining in his Explanatory Note, he has not only focussed on the Eastern part of the country but the entire country as a whole where Kutch, desert of Rajasthan, Saurashtra, Marathwada, Vidharba of Western parts, Telengana and Mahboobnagar of Andhra Pradesh and some areas of the Southern parts of the country have also been mentioned.

I look at this problem on a global perspective initially. Which are the areas of this world that are mineral rich and which is that continent which has a lot of natural resources? No doubt, it is Africa. Africa has abundance of natural resources. Yet, that continent, in comparison to other continents, is the poorest continent in the world. Why? It is because the skill and knowledge are not there in the African Continent. The wealth today is in those areas which have the skill and knowledge. When has this dichotomy started? It has started since the 19th Century. At one point of time, it was the valour, the physical strength that was ruling the roost, that was ruling the world. History reminds us that during the Roman Empire, it was by sheer force, by sheer physical strength, they conquered the land. Subsequently, those who controlled the waves, the sea, they made expansion, they made colonies, they overpowered many nations and they controlled the wealth and later on, especially in the first part of the 20th Century, those who controlled the sky – even today we have gone beyond the sky, mankind has gone beyond the sky – they controlled the wealth and they controlled the decision making process of this world.

Today, wealth is concentrated in those areas where skill and knowledge are there and basically this started in the 19th Century when the Industrial Revolution, as the Europeans call it, started and then the cycle of change of exploitation and

deprivation started. Of course, we had reached that stage of Industrial Revolution after more than 200 years of struggle and deprivation. That was by physical force and today, Africa is struggling hard showing their natural wealth to be exploited by the wealthy, by the knowledgeable, by those people who have skills in exchange so that they can get some wealth in return.

Sir, should we, in this federal structure of this country with 62 years of Independence, with this popular Government mechanism that is in place where people's aspirations are reflected through the mandate, also adhere to that type of mechanism, that type of rule where the able-bodied person can force others, especially the weak to be cowed down? Should this House also endorse that mechanism? That is a question perhaps my colleague Mr. Panda had when he piloted this Bill. It not only pinches us who come from States like Orissa, it pinches everyone who feels he is deliberately being weakened, deliberately being deprived of the due that is his right.

I would say certain instances can be put forth here in our country. In our inward eye when we look at the map of the country, which are those areas which are poor, and which are those areas which are rich in mineral wealth. I think, both these match together where poverty is, where hunger is, where deprivation is. Those are the places where the Earth is rich. How long shall we be saying the same thing that the Earth is rich and poor people are living on it? How long should we be saying this that the wealthy, the knowledgeable will be exploiting us?

I think, 40 years back, during the early 1960s, the founder of Jharkhand Mukti Morcha or Jharkhand Party, as it was called, Mr. Singh, used to say, 'civilisation started from the hills, the mountains.' Subsequently, the civilisation came to the river front and now with lot of industrialisation taking place, again civilisation is moving towards hills, towards the mountains. Mr. Jaipal Singh, the founder of Jharkhand Party, was saying this in the late 1950s or early 1960s.

Why did he say that? It was because the industrial units are being set up in the mines head. Jamshedpur came up, Rourkela came up, Bhillai came up, most of the public sector undertakings and those few private sector undertakings also came up with those areas. Mr. Panda has very rightly stated about the freight equalisation policy, the command structure that actually denied justice to many States, especially, mineral bearing States.

Now, of course, more than 18 years have passed, that has been given a go-by and a new system is in place today. I am reminded, I think, my colleague, Mr. Bhakta Charan Das, will remember there was a time in the 1990s when Mr. Biju Patnaik was the Chief Minister of Orissa. Out of anguish, he had expressed that if Centre was not providing him the opportunity to make investment in his State, he will secede. Subsequently, of course, he corrected himself. But that was the anguish of that grand old man when he was fighting for a cause to develop his State. By developing Orissa, the country also will develop. He was a freedom fighter. He had fought for the country. Repeatedly he had told us that the whole country needs to be developed in a cohesive manner.

MR. CHAIRMAN : Just a minute. We have to extend time for another half-an-hour for this Bill because already the time allotted is over. If the House accepts, we will extend the time for the Bill by half an hour.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: Okay. If it is not concluded within the extended time, then it will be taken next week, if necessary. Please continue.

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): I was reminded of Mr. Biju Patnaik's statement during that time. I think the then Prime Minister had to talk to him personally and many number of other leaders also. But that was his anguish. He was a person who had fought for the country and after his demise not only the National Flag of this country but also the National Flags of Indonesia and Russia were placed on his body. It is because, for their independence also, he had fought. Such was the man's anguish. How many people of this country remember that?

I am reminded of, and very sparingly I use this experience of mine which hurts me the most, when I talk about deprivation, especially deprivation of a State like Orissa. It was, I think, 22 years back; on a friend's request I was in a place in Delhi. There, casually, a person sitting just across the table told me that if at all Orissa secedes from this country, how does it matter for this country? You give us some coal; we will get coal from Australia and from other places. If Orissa secedes, how does it matter? That actually was a blow on me. If this is the situation, this is the thinking, it troubles me a lot. Is it for this that so many freedom fighters had fought for the independence of this country to hear, say, 50 years after, if Orissa is not a part of this country, it does not matter? Is it for this that the Father of the Nation had traveled on foot for more than 18 days to explain to the nation that here is a place; if you want to do service for the mankind, please come? Is it for this that Madam Indira Gandhi had to go to Kalahandi in 1966 to see – to be face in face – what famine is? Is it for this that the former Prime Minister, Rajiv Gandhi had to go to the front of the hut of a women of Phanus Punji, who had sold out her niece at a cost of only Rs. 20 just to get 2 kilogram or 1 ½ kilogram of rice? Is it for this that one has to deliberate and discuss that this is our right and we have to get it? It hurts. When someone says, you are giving us some coal, and if you don't want, you may not give, that hurts.

I think, that feeling gives rise to people taking upon arms. When people see that they are far away from the mechanism which decides the destiny of this country, and when people see that they are not a part of the decision-making process, what will they do? In a lighter vein, one can say that after six Congress Members getting elected from the State of Orissa, we get one Minister of State portfolio. … (*Interruptions*)

SHRI ARJUN CHARAN SETHI (BHADRAK): Although he was a Cabinet Minister earlier. … (*Interruptions*)

SHRI B. MAHTAB : That hurts. It was only during the non-Congress Government, Cabinet Ministers were made and not during the Congress Government. … (*Interruptions*) The only exception was before 1950s … (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): You were not made a Minister during the NDA Government. … (*Interruptions*)

SHRI B. MAHTAB : My leader was, and he was the longest serving Cabinet Minister. Dr. Harekrishna Mahtab had not served more than two years. … (*Interruptions*)

SHRI ARJUN CHARAN SETHI (BHADRAK): During the NDA Government, there were four Ministers. … (*Interruptions*)

SHRI B. MAHTAB : The next Cabinet Minister in the Congress regime was Shri J.B. Patnaik. He was there hardly for six months. That is all. But in the non-Congress Government, it was Shri Biju Patnaik; it was Shri Rabi Ray; it was Shri Nilamani Routray; it was Shri Arjun Charan Sethi, it was Shri Naveen Patnaik, and they were all Cabinet Ministers. … (*Interruptions*)

SHRI ARJUN CHARAN SETHI : Also Shri Srikant Jena. … (*Interruptions*)

SHRI B. MAHTAB : Yes, Shri Srikant Jena was there. Shri Hukmadeo Narayan Yadav will help me out. I think, they have taken a cue from you.

Leaving aside that, I would say that Orissa elects 21 Members to this House. The basic problem at times is being discussed. Smaller States have a smaller number of representation in this House.

Should they not be listened to? It is only the bigger States that can decide the fate of this country. There are bigger States like Bihar, before it was divided and Jharkhand was made, and Uttar Pradesh before Uttarakhand was made. Is it necessary that we should have smaller States so that the Centre can distribute the funds in a proportionate manner? I am not for that. I think, during the last time when the Private Member Resolution was discussed, I had advocated that smaller States have some merits but smaller States have greater demerits. It is being reflected in Jharkhand, it is being reflected in the North-East, and, of course, in Goa. City States like Delhi has its own merits. We need bigger States because history always reminds us that we need a stronger Union Government but at the same time that Union Government also should be responsible for the overall development of those areas which are falling behind for many historical reasons.

I am reminded of different speeches which have been delivered just within five to seven years after our Independence, and I had read those speeches both in Parliament Library and also in our Legislative Assembly's Library. What do they say? They fought for the country's Independence, and they saw Independence coming. They formed the Government, and they had the power in their hands. What was their vision? Their vision was: "Now, the country is on the march." Those people or those cadets who are in the last two rungs of the battalion are also marching along with those that are in the front. The country is progressing, there is no doubt. But those, who are behind, they should be empowered so that they can double-march and can strive to be in the front.

My friend, Mr. Panda, has very rightly expressed here that deliberate attempts are being made that those who are behind should remain behind, and they should be only the camp followers. The sense of exploitation that 'They should only follow and we are in the front.' not only hurts us but also forces us to rebel. That rebellion has its manifestations in different aspects. When some group of people just go out on the tracks and try to torch a train, burn a bus or have clashes on the streets, it shows that these are the symptoms of rebellion. But what do the Government do? They try to quell it, as it has happened in Kashmir Valley and as it is happening in different parts of the country. These are the symptoms.

Therefore, I would request the Government. You not only treat the symptoms but treat the disease also. The disease emanates from here, from Delhi. That disease needs to be treated.

I will give you two examples. During the early Nineties, a conscious decision was taken that we have to bring in reforms, reforms in electricity, in power sector. So, a policy was formulated. We had Electricity Boards at that time. In Orissa, we had the Orissa State Electricity Board. Even today, many States have Electricity Boards. It was said at that time that those States, who would go in for reforms, would bring down the losses, would be provided incentives. Accordingly, the APDP Scheme was formulated. Orissa was the first State to go in for reforms in electricity, in power! In Orissa, Electricity Reforms Act was promulgated in 1995. Privatisation took place. During that Plan Period it was decided that 50 per cent of incentives would be provided to the State. If I say privatisation was initiated there, it became a laboratory. I remember, Secretaries, Ministers and even Chief Minister of Andhra Pradesh during that time used to find out as to how we are doing the reforms in Orissa. Ultimately, they did it or not, I am not aware. But many States wanted to find out as to how this Reform process was taking place in energy sector, in power sector in Orissa.

SHRI ARJUN CHARAN SETHI : Haryana also did it.

SHRI B. MAHTAB : Haryana, of course, took up and Delhi also had done it. Successfully, Orissa had done it.

But my point is that on the scheme, which the Centre had formulated to provide incentive to the State Electricity Boards would say: "You have privatized. Our incentive is not to give any money to the private players."

Sir, 49 per cent is the stake of Orissa Government, and I fail to understand why we were denied. Subsequently, of course, it was corrected. After we raised this matter in this House, subsequently, it was corrected. The State Government had submitted a proposal to the Ministry of Power in June 2005 in the prescribed format which claimed incentives to the tune of Rs.264 crore for the year 2003-04. This is 50 per cent of actual loss reduction achieved by the utilities for the financial year 2001-02. Initially, the Ministry of Finance declined to sanction the grant on the ground that the Discoms are private companies and not State-owned. Subsequently, a Task Force was formed which suggested that this APDP, which later on became APDERP, assistance, both investment and incentive component, may be extended to the private distribution utility. Even after the Task Force has said this, the money should have flowed but it did not happen.

In the Eleventh Plan, Orissa also has put forth this view but now the answer which is coming to us is that you have private distribution companies, to which I had said, Orissa's stake is 49 per cent and it is very much a part and parcel for all practical purposes. Orissa's investment is involved. The loss of that company is also the loss of that Government. I would again urge upon the Ministers present here to put your indulgence for the benefit of our State.

When I see Mr. Joshi before me, I am reminded of rural development. I should put forth my point of view on a very traditional one, the workforce of rural area. Where are they? I am reminded of my mother's story when I was a child. She used to tell me that beware of the old lady. She is demonic. Do not go near her, go to bed and sleep quickly. We are all reminded of our grand mother's or mother's story of that old demonic lady who lurches behind the dark, always eager to catch

you and take you away from your family, from your house, from the safety that your parents have provided. Which is the old demonic lady today? It is the city. It is the city which is drawing the strength from the rural areas. All able bodied persons, be it male or female, anyone who is skilled, anyone who has the strength, no longer stay in the village. All are drawn to the city to earn their livelihood to enjoy better living standards. We have a programme, NREGA. I would invite Mr. Joshi to come to Bolangir district. Kalahandi is no more that wretched as it was 25 years ago. After Indravati project, it is a paddy surplus district.

It has better living standards. But, you go to Bolangir now. Though rains have come, in villages after villages the houses are empty. Why is it so? Many of them have migrated to Andhra Pradesh and to other places. Who are living in those places? It is the old ladies, the old men with some children who are living there. When you ask the district planners, the elected representatives to do some earth work in those villages, who are going to work there? The cards definitely have to be with the Sarpanch. Whom are he going to distribute? If at all he is going to do some work, he will utilise the machinery and forge the papers. In that forging, starting from the Sarpanch till the District Magistrate all are involved. … (*Interruptions*)

SHRI V. NARAYANASAMY: That is what Joshiji has said in the morning. … (*Interruptions*) I saw it myself on the ground.

SHRI B. MAHTAB : He is very practical. But Andhra Pradesh is doing the best job in NREGA, I do not know in what way. Our officers and our elected representatives have gone there also to find out how this mechanism is working in Andhra Pradesh so that at least we can try that here in Orissa. In our district planning meeting, I said with folded hands – let us not be a part to that burglary. I would request you to go to Bolangir.

It is the city which is drawing the strength. Every city, throughout the world will draw strength from the villages. There, the traditional skill of village needs to be revived and that reminds me of what our Father of the Nation had said - you

empower the people who are still in the village. The khadi and village industry needs to play a greater role. The traditional skill of a plumber, of a carpenter, of a *lohar* is still needed. It is needed in the village and it is also needed in the city.

Sir, I would not prolong my deliberations here. I would only say that communication or roads and rails bring in civilization and development. I am reminded of one thing. Somewhere I had read that just after 50-60 years of Independence of United States – at that time it was just called America – the demand before the candidates was – 'can you bring in rail line to my area'. That was the demand in the United States in those areas that – 'we need rail line, we do not need anything else, we will take care of ourselves. We need a rail line which should pass through our State, our area. Then development will follow.'

I remember, perhaps in the 1990s, when Shri Jagdish Tytler was the Minister of Surface Transport, in an Economic Editors' Conference, where I was participating, he was explaining that elected representatives are demanding that 'the National Highways should pass through my area'. Why is it so? A National Highway or roads or rail should pass through our area, our district. Even in the discussion on the Railway Budget this demand is always there that we need new lines.

For the last five years we have been asking one thing. Shri Ajay Maken, hon. Minister of State for Home Affairs is also here. For the last five years Orissa has been demanding for two specific projects – a survey of a rail line from Bhadrachalam to Ranchi which passes Malkangiri, Kalahandi, Sonpur, Deogarh, Keonjhar and to Jharkhand. This is for a rail line. These are the richest areas and mineral-based districts and this is the Maoist-infested area. We are also demanding for a National Highway connecting Visakhapatnam through all these Southern districts with Ranchi. I am reminded of one thing.

<u>18.00 hrs.</u>

MR. CHAIRMAN : Please wind up. We are going to take 'Zero Hour'.

Do you want to continue further?

SHRI B. MAHTAB : Yes, I may.

MR. CHAIRMAN: Please wind up.

… (*Interruptions*)

SHRI ARJUN CHARAN SETHI : He may continue next time. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: No, please wind up.

SHRI B. MAHTAB : I would say that road and rail lines bring in development. These two aspects especially need to be looked into. Bring in development to the under-developed areas. That is why, a demand has been consistently made for the last ten to twelve years, since 1997 when our party was formed, and we have been asking that a special provision should be made and Orissa should be accorded a special status. The only idea is that Centre should give 90 per cent and the State can provide 10 per cent.

Sir, I would like to continue next time.

MR. CHAIRMAN: You have already taken more than half an hour.

… (*Interruptions*)

SHRI V. NARAYANASAMY: After speaking of the global aspect, you came to the national aspect. Just now you have come to Orissa and now you will go to the district level. … (*Interruptions*)

SHRI B. MAHTAB : Yes, I will come to the district. I will come to my place, my district. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Okay, you continue next time.

Now, we take 'Zero Hour'.

श्री देवेन्द्र नागपाल (अमरोहा): सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने मुझे इस सदन में बोलने का अवसर प्रदान किया है। मैं माननीय पर्यटन मंत्री का ध्यान आपके माध्यम से अपने क्षेत्र के गंगा मैय्या घाट के प्रति आकर्षित कराना चाहता हूं।

महोदय, दिल्ली से 75 किलोमीटर दूर मेरा क्षेत्र पड़ता है - गढ़ गंगाधाम, जो बृजघाट के नाम से पहचाना जाता है। यह एक ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है। वहां पर लाखों की संख्या में लोग प्रत्येक माह स्नान करने आते हैं, किंतु अफसोस है कि इतना बड़ा धार्मिक स्थल होने के बावजूद वहां इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, जिससे हमारी माताएं-बहनें, जो लाखों की संख्या में आती हैं, उनके लिए स्नान करने के पहले और स्नान करने के बाद कपड़े बदलने का कोई उचित स्थान हो, इसलिए हरिद्वार की तर्ज पर इस दिशा में वहां कुछ विकास किया जाना अति आवश्यक है।

महोदय, गढ़ गंगा बृजघाट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक ऐसा स्थान है, जहां प्रत्येक माह पूर्णमासी के दिन लाखों की संख्या में लोग आते हैं। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि स्थानों से लोग वहां आते हैं जिससे बीस-बीस किलोमीटर लंबी लाइनें लग जाती हैं। वहां इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे लोग आराम से मां गंगा के दर्शन और स्नान कर लें और उनको कोई सुविधा अच्छी तरह से उपलब्ध हो जाए।

मैं अनुरोध करूंगा कि हरिद्वार की तर्ज पर, जो एकमात्र हमारे यहां धार्मिक स्थल है, इसे पर्यटन का दर्जा देते हुए, उसका विकास होना चाहिए। मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद अदा करता हूं।

श्री गणेश सिंह (सतना): महोदय, मैं भारत सरकार का ध्यान जीवनरक्षक दवाइयों के दामों में भारी अंतर की ओर दिलाना चाहता हूं।

हमारा भारत गरीब देश है। गरीबों को मुफ्त दवा के नाम पर हम बहुत कुछ नहीं दे पा रहे हैं। एक ही प्रकार की दवा के विभिन्न दवा कंपनियों के रेट में भारी अंतर है। यह अंतर दो गुना से लेकर पांच गुने तक का है। कंपनियां जेनरिक नाम के साथ-साथ ब्रांड नाम से भी दवा बनाती हैं और डाक्टर ब्रांड नाम से दवा अपने दवाई के पर्चे में लिखते हैं, जिससे कंपनियों को करोड़ों का फायदा होता है। कंपनी के ब्रांड नाम से दवा लिखने पर डाक्टरों को विभिन्न प्रकार से पुरस्कृत भी किया जाता है। वैसे तो नियमानुसार डाक्टर को जेनरिक नाम से दवा लिखने का प्रावधान है, पर ऐसा होता नहीं है।

बड़ी-बड़ी कंपनियां जो जेनरिक नाम से दवा बनाती हैं, ये ब्रांड नेम से भी दवा बनाती हैं। उनकी एमआरपी जिस रेट में दवा दुकानदार को दी जाती है, उससे दो गुना से तीन गुना तक की होती है। देश में एक ही बीमारी के लिए विभिन्न कम्पनियों द्वारा अलग-अलग दाम होने के कारण उत्पन्न स्थिति से आम जनता को राहत दिलाने के संबंध में इस ओर कदम उठाना अति आवश्यक है। मैं सदन में एक तुलनात्मक चार्ट प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने एक अत्यंत लोक महत्व और अविलम्बनीय के तात्कालिक प्रश्न पर मुझे बोलने की अनुज्ञा प्रदान की है। इसी सम्मानित सदन से भारत के सुदूर गांव में रहने वाले आम अनुसूचित जाति, जनजाति लोगों के ऊपर कोई अत्याचार हो तो उसकी रक्षा के लिए, उस अत्याचार निवारण के लिए प्रिवैंशन ऑफ ऐट्रॉसिटीज़ आन शैडयूल्ड कास्ट्स एंड शैडयूल्ड ट्राइब्स एक्ट बना। उस समय के विधेयक बनाने वाले लोगों ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि भारत के गांव में रहने वाले किसी गरीब, अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ यदि कोई अत्याचार, उत्पीड़न हो रहा है तो यह कानून उसके हितों की रक्षा करेगा। लेकिन अगर सत्ता में बैठे हुए लोग, स्वंय किसी राज्य की मुख्य मंत्री इस एक्ट का दुरुपयोग करें, जिस मुख्य मंत्री से हम यह अपेक्षा करते हैं कि वे राज्य के लोगों की रक्षा करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी जी के खिलाफ जिस तरह एससी, एसटी एक्ट का मुकदमा लगाया गया है, मैं समझता हूं कि उसकी आज देश में सर्वत्र निन्दा हो रही है। संविधान की शपथ लेने वाले, जिस तरह की घटना घटित हुई है, आज उनके ऊपर आईपीसी की धारा अंडर सैक्शन 153 (ए) - प्रमोटिंग एनीमिटी बिटवीन ग्रुप्स, आईपीसी की धारा 509 - इनसल्टिंग ए वूमैन सैक्शन 3 (ए), फिर 10 एससी, एसटी प्रिवैंशन ऑफ ऐट्रासिटीज़ एक्ट, इतनी गंभीर गैर-जमानती धाराएं हैं। कारण है कि उन्होंने कोई टिप्पणी की। उन्होंने टिप्पणी के लिए खेद भी प्रकट कर दिया। आपने देखा है कि सार्वजनिक जीवन में किस तरह की टिप्पणियां होती हैं, प्रधान मंत्री के ऊपर टिप्पणी होती है, सोनिया जी के ऊपर टिप्पणी हुई। गंभीर टिप्पणियां होती हैं लेकिन सार्वजनिक जीवन में टिप्पणियों पर कभी कोई मुकदमा लिखने की बात नहीं होती। शायद पहली बार नई परम्परा शुरू हो रही है कि यदि सार्वजनिक जीवन में कहीं कोई टिप्पणी हुई, तो उस टिप्पणी पर सत्ता में रहते हुए इस तरह के मुकदमे कायम किए गए। उस टिप्पणी पर उन्हें रात के दो बजे दिल्ली आते समय गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। लखनऊ सचिवालय एनैक्सी और मुख्य मंत्री निवास के पास हाई सिक्युरिटी ज़ोन में उनका घर था। पुलिस वहां मूकदर्शक के रूप में खड़ी रही और उनके घर को जला दिया गया, चार गाड़ियां जला दी गईं। जिन लोगों ने उनका घर जलाया था, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई लेकिन वहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोग थे, ...(व्यवधान) यह बहुत

गंभीर मामला है। हमारी प्रदेश अध्यक्ष जेल में हैं। अगर सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, तो निश्चित तौर पर मैं भारत सरकार से कहना चाहूंगा कि इसकी जांच सीबीआई से हो जाए। वे बहुत सी जांच सीबीआई के लिए भेजती हैं। यह जांच भी सीबीआई से हो जाए। अगर कोई सत्ता का दुरुपयोग इस तरह कर रहा है, संविधान का दुरुपयोग कर रहा है, तो उसे एक क्षण भी प्रदेश के मुख्य मंत्री बने रहने का कोई नैतिक हक नहीं है। उन्होंने आरोप लगा दिया। वे जिसके ऊपर चाहें आरोप लगा देती हैं।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Now, nothing will go on record. Shrimati Jayaprada, you can start speaking.

*(Interruptions) ... **

SHRIMATI JAYAPRADA (RAMPUR): Thank you very much, Sir. …(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Madam, you can start speaking. Nothing else will go on record.

*(Interruptions) ... **

श्रीमती जयाप्रदा : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से बिजली कटौती में सुधार हेतु ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: An hon. Member can speak only for three minutes or so while making submissions during Special Mention, and the Member cannot make a complete speech.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: You have already mentioned everything based on the notice that you have given here.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : It is not allowed. Nothing will go on record.

*(Interruptions) ... **

श्रीमती जयाप्रदा : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से बिजली कटौती में सुधार हेतु कहना चाहती हूं। ...(व्यवधान) सर, मैं क्या करूं? ...(व्यवधान)

* Not recorded

MR. CHAIRMAN: You cannot make a lengthy speech. You have expressed your views. Madam, please start your speech. Otherwise, I will have to adjourn the House.

श्रीमती जयाप्रदा : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहती हूं कि देश में विद्युत कटौती की समस्या सभी वर्गों को प्रभावित कर रही है। खासकर उत्तर प्रदेश में लगातार विद्युत कटौती की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। इससे ग्रामीण जनता बहुत परेशान है। इसके साथ-साथ जो जनता शहर में रहती है, उनका जनजीवन भी अस्त-व्यस्त हो रहा है। जहां इंसान के लिए बिजली, पानी और सड़क की जरूरत होती है, सड़क तो दूर की बात है, लेकिन इंसान की जो बुनियादी जरूरतें--बिजली और पानी हैं, वे भी उनके नसीब में नहीं है। आज लोग कहीं सूखे तो कहीं बाढ़ से बहुत ही परेशान हैं। ग्लोबलाइजेशन में आज आप ग्लोबल वार्मिंग की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह इसकी वजह से हो रहा है। लेकिन वास्तविक जीवन में गरीब से गरीब लोग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, वे ज्यादातर किसान हैं। इस देश में 70 परसेंट किसान खेती पर निर्भर करते हैं। उनके लिए आज नलकूप चलाना भी मुश्किल हो रहा है। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है और दूसरी तरफ डीजल और पेट्रोल का दाम भी बढ़ गया है। आज किसान को कहीं पर भी खुशी नसीब नहीं है। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, आज उस रीढ़ की हड्डी को भी तोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ...(व्यवधान) मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूं कि आज सुबह प्रश्न काल में भी आदरणीय मंत्री जी ने इस बारे में बताया था। लेकिन आम जनता खासतौर से किसानों को जो सहयोग मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। इस कारण वे लोग बहुत परेशान हैं। मैं यह बताना चाहती हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कम से कम 16 घंटे और शहरी क्षेत्रों में जहां 20 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, वहां ऐसा नहीं हो रहा है। इससे आम जनता और व्यापारी लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। मैं यही अवगत कराना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में कोई विकास की बात नहीं हो रही है। मौजूदा सरकार की आंख, नाक, कान सब बंद हो गये हैं। वह विकास करने के बारे में कोई सोच-विचार नहीं कर रही हैं। आम जनता की आवाज भी लखनऊ तक पहुंचाने का उनके पास समय नहीं है।

MR. CHAIRMAN: Madam, this is a State subject and it should be mentioned in the State Assembly. Madam, please take your seat.

श्रीमती जयाप्रदा : मैं यह कहना चाहती हूं कि विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा आदेश जाना चाहिए कि आम जनता को जो मिनिमम बिजली मिलनी चाहिए, वह मिले। इस तरह का आदेश केन्द्र सरकार तुरंत दे ताकि तत्काल इस स्थिति में सुधार आ सके।

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet on July 20, 2009 at 11.00 A.M.

18.14 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on Monday, July 20, 2009/Asadha 29, 1931 (Saka).